(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 28 वां दिवस [संख्या 21

सोमवार

दिनांक 27 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्रीमती श्यामाकुमारी !

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अधिकार-पत्र दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : Yes.

कपासन तहसील के गांवों के बांध एवं भूपालसागर बांध को फीडर

49:. **श्री गोविन्दसिंह शक्तावत**(कुम्भलगढ़) : [श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) की अनुपस्थिति में] : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कपासन तहसील से किन-किन गांवों में नये बांध बनाने की योजना है और किन-किन गांवों का सर्वे होकर रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पेश हो चुकी है ?

(2) क्या राज्य सरकार जो बांध अधूरे पड़े हैं उनको पूरा बनाने की सोच रही है या नहीं ? कौन-कौन से छोटे या बड़े बांध अधूरे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार भूपालसागर बांध में जो पानी लाने के लिये फीडर बनाई गई है उसे पूरा बनावेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(4) भूपालसागर में जो फीडर लाई गयी है उसमें कितनी रकम खर्च हो गयी है और कितनी और खर्च करने पर वह पानी लाने लायक हो जावेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) कपासन तहसील में केवल एक पांडोली तालाब के नये निर्माण कार्य का प्रस्ताव है। योजना का सर्वेक्षण अभी किया जाना है।

(2) जी हां। केवल एक बांध रायपुरिया, जो अकाल राहत कार्यक्रम का अपूर्ण कार्य है, का आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराया जावेगा।

(3) जी हां। योजना का संशोधित प्राक्कलन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
स्वीकृत होने तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर शेष कराया जावेगा ।

(4) भूपालसागर फीडर पर अब तक 32.02 लाख व्यय हो चुके हैं। कार्य को पूरा करने हेतु लगभग रु. 24.32 लाख की आवश्यकता होगी ।

प्रश्न संख्या 500

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हजारीमल !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 501

श्री श्योपतसिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री फतहसिंह !

श्री समरथलाल : प्रश्न संख्या 502

श्री अध्यक्ष : श्री फतह सिंह नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऑथोरिटी दे दी है इनको फतहसिंह जी ने ।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इधर की ऑथोरिटी उधर कैसे चली गई?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री समरथलाल !

तहसील भीम व देवगढ़ के ग्रामों का विद्युतीकरण

502. **श्री समरथलाल** (राजगढ) : [मेजर श्री फतह सिंह (भीम) की अनुपस्थिति में]: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) भीम और देवगढ़ तहसीलों के किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) इन तहसीलों के अन्य किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु सर्वे हो चुका है?

(3) क्या यह सही है कि इन तहसीलों के कई ग्रामों के नागरिक अपने घरों एवं कुओं के लिये बिजली की मांग कई वर्षों से कर रहे हैं ?

विद्युत मन्त्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) भीम और देवगढ़ तहसीलों के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जिन गांवों का सर्वे हो चुका है, उनकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री समरथलाल : यह जो सूची आपने दी है इससे भीम तहसील और देवगढ़ तहसील से नावां के बीच की मंजूरी हो चुकी है लेकिन इसका विद्युतीकरण पूरा नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम तहसील में 13 गांव और देवगढ़ में 9 गांव का विद्युतीकरण हो चुका है। अगर कोई एप्लीकेशन पैन्डिंग होगी तो जांच कर ली जावेगी ।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, कई गांवों में घरों व कुओं पर कनेक्शन देने के लिये हजारों एप्लीकेशन पैन्डिंग पड़ी हैं उन पर अभी तक भी विचार नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को आशा है, कर लेंगे।

श्री काशीनाथ गुप्त !

ग्राम बिलौठी में भू-जल विभाग द्वारा जल स्रोत का सर्वे

503. **श्री काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में पंचायत समिति, सेवर के अन्तर्गत बिलौठी ग्राम के निकट कई वर्ष पूर्व भू-जल विभाग द्वारा जल स्रोत का सर्वेक्षण किया गया था और वहां मीठा पानी भारी मात्रा में पाया गया परन्तु उसे आज तक उपयोग हेतु निसृत नहीं किया गया और उसके स्रोत को पाइपों से पेक किया हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

(2) ग्राम बिलौठी के निकट शहनावली एक बड़ा गांव है वहां की स्त्रियां पीने का पानी मीलों दूर से सिर पर ढोकर लाती हैं ? इसी बिलौठी के आस-पास रारह, तारवा, घोरमुई, सेंथरा, वृन्दावई सोतरक, जाटोली रथमान आदि ग्रामों की आवादी लगभग पच्चीस हजार होगी ? इन सभी स्थानों पर खारा पानी होने के कारण पेयजल की बड़ी किल्लत है ? ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार ग्रामीण जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत इन ग्रामों को बिलौठी ग्राम के निकट पुराने उपलब्ध जल स्रोत से पेयजल की पूर्ति के कदम उठायगी ताकि ग्रामीणों की पेयजल की गंभीर समस्या का निराकरण हो सके ?

राज्य मन्त्री, भू-जल विभाग (श्री विज्ञान मोदी): (1) जी हां। यह सही है कि भरतपुर जिले के प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण के पश्चात् बिलौठी ग्राम में सन् 1969-70 में एक प्रायोगिक नलकूप खोदा गया था जिसमें अच्छी मात्रा में मीठा पानी मिला था। उस समय के टैस्ट के अनुसार नलकूप की जल क्षमता 15,000 गैलन प्रति घण्टा थी। प्रायोगिक नलकूप भू-जल परीक्षण हेतु बनाया गया था किन्तु किसी राजकीय विभाग को आवश्यकता हो तो बेचा जा सकता है।

(2) मास्टर प्लान के अनुसार ग्रामों के बारे में विवरण नीचे दिया जा रहा है। इन ग्रामों में स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन पानी खारा है:—

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	कोड न०	तहसील	सन 1971 की आवादी	फ्लोराइड	क्लोराइड	टी. डी. एस.	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिलौठी	70	भरतपुर	1291	1.1	490	1230	
2.	शहनावली	72	,,	628	2.5	570	1925	समस्याग्रस्त
3.	बूड़ा गांव	उपलब्ध नहीं		एन. ए.		उपलब्ध नहीं		

(५)

(श्री विज्ञान मोदी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	धारमुई	73	भरतपुर	985	5.2	1270	800	समस्या ग्रस्त
5.	बुरावई	71	,,	7 9	0 6	700	2450	,,
6.	जाटोली रथमान	76	,,	1419	1.8	890	2170	,,
7.	रारह	67	,,	2107	टी. आर.	350	1645	,,

श्री मूलचन्द डागा : अगर लेन्दी आन्सर है तो टेबल पर रखना चाहिये ।

श्री विज्ञान मोदी :

8.	सेथर	74	भरतपुर	उपलब्ध नहीं				
9.	सातरुक	68	,,	3162	2.6	460	1400	समस्याग्रस्त
10.	ताखा	23	,,	1985	1.8	50	778	,,

श्री मूलचन्द डागा : Sir, under Rule 42, this should be laid on the Table of the House

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने दीजियेगा ।

श्री विज्ञान मोदी : उपरोक्त ग्रामों में ग्राम शहनावली एवं घोरमुई की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मथीना, मोरली खुर्द, जिसकी लागत 24.24 लाख रुपये हैं, के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है। नई ग्रामीण जलप्रदाय योजना जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता, तकनीकी, उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार, स्वीकृत की जाती है । जिला आयोजना समिति, भरतपुर से वर्ष 1977-78 के प्राप्त प्रस्तावों में उपरोक्त ग्रामों में से कोई ग्राम नहीं है ।

श्री काशीनाथ गुप्त : अध्यक्ष महोदय, अभी करीब 15 दिन पूर्व शहनावली एवं घोरमुई की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना गथीना, मोरली खुर्द आदि की स्वीकृति की गई है । मन्त्री महोदय ने भी अपने उत्तर में उसकी लागत 24.25 लाख की बतायी है । मेरा निवेदन है कि ग्राम बिलौठी के निकट जहां पर कई वर्षों पूर्व भू-जल विभाग द्वारा जल स्रोत्र का सर्वेक्षण किया गया था, वहां पर मीठा पानी भी निकलता था । तो क्यों नहीं जहां मीठे पानी का स्रोत निकला है उस योजना को भी शुरु कर दिया जाय ? इससे दूसरी जगह, जहां पर अभी पानी की किल्लत है जैसे ताखा, सेथरा, बुराबई, सातरुक आदि की जनता की पानी की समस्या दूर हो जायगी। मेरा निवेदन है कि बिलौठी के पास जो भू-जल सर्वेक्षण किया गया था उस योजना को क्रियान्वित किया जाय । हमारी जिला आयोजना समिति ने भी इसकी सिफारिश की है ।

श्री विज्ञान मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो नयी ग्रामीण जलप्रदाय योजना की बात कही और यह कहा कि जिला आयोजना समिति का प्रस्ताव भी है तो मेरा निवेदन है कि प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता, तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार ही विचार किया जा सकेगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेडा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर भू-जल विभाग द्वारा नल कूप खोदा गया था। वह ट्यूब वैल पड़ा हुआ है उसको यूज नहीं किया गया है क्योंकि वह योजना स्वीकृत नहीं की गयी। क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से जनता की मांग को देखते हुए नलकूप सरकारी विभाग को न देकर स्वयं चालू कर देगी जिससे कि सिंचाई भी हो सके और जनता को उसका लाभ भी हो सके? अन्यथा जैसा कि मन्त्री महोदय ने फर्माया कि नलकूप भू-जल परीक्षण हेतु बनाया गया था और किसी राजकीय विभाग को आवश्यकता हो तो बेचा जा सकता है, अगर कोई राजकीय विभाग नहीं मांगे तो बेकार ही पड़ा रहेगा?

(व्यवधान)

श्री विज्ञान मोदी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उस बारे में निवेदन है कि यह नलकूप एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर खोदा गया था और उसमें टैस्टिंग बोर किये गये थे। आपने कहा, वह बेकार पड़ा हुआ है और राज्य सरकार का बेकार ही खर्च हुआ. इसके लिये निवेदन है कि अभी 15-2-78 को इस बारे में जल अभियान्त्रिकी विभाग से यह सूचना मांगी गयी है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि भू-जल मंडल विभाग ने एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर इसे खोदा। जल अभियांत्रिकी विभाग इसको नहीं खरीदना चाहे तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कई एक्सपेरीमेंट्स भूतपूर्व सरकार द्वारा कई जगहों पर किये गये थे, भले ही नीचे पानी निकला। क्यों नहीं राज्य सरकार ट्यूब वैल्स की योजना को शुरू कर दे ताकि उसका उपयोग हो सके? नहीं तो अभी यह बेकार पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने ठीक फर्माया है। आज हमारे राजस्थान में पानी की समस्या बहुत भारी है। यह मानवीय प्रश्न है, इसलिये मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य सरकार अगर इस योजना को चालू करने के लिये उचित कदम उठायें तो जनता के लिये काफी लाभप्रद हो सकती है। सरकार को इस ओर कदम भी उठाना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं। भू-जल विभाग मुख्य मंत्रीजी के पास है। तो जब भूतपूर्व सरकार ने कई जगहों पर एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर भू जल का सर्वेक्षण किया था और टैस्टिंग बोर्स किये थे। मीठा पानी भी निकला था। इस प्रकार के टैस्टिंग बोर्स हर जिले में 10-10-, 15-15- जगह और 7-7 और 8-8 जगह किये गये थे। कई जगह पर मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में पाया गया था पर बाद में जल अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करने के कारण यह बेकार पड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं राज्य सरकार इन ट्यूब वैल्स को कन्सेशनल रेट्स पर काश्तकारों को दे दे ताकि काश्तकार लोग उसका फायदा भी उठा लेंगे और सिंचाई भी हो जायगी, दूसरे पीने के पानी की समस्या का भी काफी हद तक समाधान हो जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, जालौर में भी इस प्रकार के दो तीन जगह पर ट्यूब वैल्स का परीक्षण बोर किया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
गया था इन ट्यूब वैल्स से 60-70 हजार गैलन पानी प्रति घंटे आ सकता है। अगर उनको काम मे लिया जाय तो उनसे अच्छी सिंचाई भी हो सकती है और लोगों के पीने के पानी की समस्या का भी काफी हद तक समाधान हो सकता है ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस ओर ध्यान ही कहां देती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भूतपूर्व सरकार इन समस्याओं की ओर ध्यान देती तो आज यह समस्या ही नहीं रहती, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी भूतपूर्व सरकार के प्रति सहानुभूति है।

प्रश्न संख्या 504

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न ! श्री बिरदमल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :
प्रश्न संख्या 504

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी कहां है ।

प्रश्न संख्या 505

नैक्स्ट श्री हरीश शर्मा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : आपको प्रश्न पूछने का श्री बिरदमल सिंघवी द्वारा कोई अधिकार पत्र दिया हुआ नहीं है।

नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 506

श्री गुरुशरण छाबड़ा !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री अजीतसिंह !

राज्य में बीमा योजना की मदद से चलाई जा रही डिस्पेन्सरियां

507. **श्री अजीतसिंह** (टौंक) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रान्त में कुल कितनी डिस्पेन्सरी बीमा योजना (ई. एस. आई.) की मदद से चलाई जा रही है ?

(2) ई.एस.आई. बीमा योजना से चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवा में कितना रुपया राज्य सरकार देती है व किस हिसाब से ?

(3) क्या राज्य सरकार बीमा योजना के विकास हेतु मजदूरों की भलाई के लिये कोई नई स्वास्थ्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या जिला केन्द्रों पर डिस्पेन्सरी खोलने पर राज्य सरकार विचार करेगी ?

(4) क्या आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा को इस ई. एस. आई. बीमा योजना में जोड़ा जावेगा ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): (1) ई. एस. आई. योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 35 डिस्पेन्सरी कार्यशील हैं जिनमें से 2 अल्पकालीन एवं एक एम्पलायर्स यूटिलाइजेशन डिस्पेन्सरी क्रमश: धौलपुर एवं लाखेरी में है। इसके अलावा जयपुर में 143 शैयाओं का चिकित्सालय कार्यशील है ।

(2) ई. एस आई. योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले कुल व्यय का 1/8 भाग राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है ।

(3) जी नहीं ।

नये केन्द्रों पर योजना का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) यह प्रश्न कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली से सम्बन्धित है ।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार बीमा योजना के विकास हेतु मजदूरों की भलाई के लिये अगर जिला केन्द्रों पर डिस्पेन्सरी खोल दे तो क्या आपत्ति है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम दिल्ली के अनुसार जहां पर 1500 मजदूरों की संख्या हो या उससे अधिक हो तो वहां पर ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी खोली जाती है ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मकराना में करीब 15 हजार मजदूर होंगे जो कि खानों में और अलग-अलग उद्योगों में काम करते हैं। वहां पर ई. एस. आई. का कोई भी अस्पताल नहीं है। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने वहां फर्स्ट एड पोस्ट खोलने का प्रावधान किया था पर बाद में जनता सरकार ने आकर उसको भी केन्सिल कर दिया था। मन्त्री महोदय जी फर्मा रहे हैं कि 1500 मजदूरों पर या उनसे ज्यादा मजदूरों पर ही ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी खोली जाती है तो मकराना में खानों के अन्दर 15 हजार मजदूर काम करते हैं और आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं तो क्यों नहीं राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाले ताकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा वहां पर भी ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी खोली जा सके ? क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जैसा फर्माया, 1500 मजदूरों पर ही ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी खोली जाती है तो वहां पर 15 हजार मजदूर काम करते हैं विशेष तौर से मकराना में खानों और मकराना के पत्थर से संबंधित दूसरे उद्योगों में 15 हजार मजदूर काम करते हैं तो वहां पर एक्सीडेंट्स की गति को देखते हुए क्या सरकार वहां पर ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ? अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने एक फर्स्ट एड पोस्ट वहां पर खोलने का प्रस्ताव किया था पर जनता सरकार ने उसको केन्सिल कर दिया तो क्या इसका मतलब यह है कि जनता सरकार की नीति मजदूरों के पक्ष में नहीं है ? अगर नहीं, तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां

(श्री अब्दुल अजीज)

मजदूरों की संख्या को देखते हुए ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी खोली जावे ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता(कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि ई. एस. आई. अस्पतालों में इलाज तो कम होता है सर्टिफिकेट ज्यादा दिये जाते हैं ? बीकानेर के ई.एस.आई. अस्पताल में यह हो रहा है कि डाक्टर लोग मजदूरों से पांच-पांच रुपया लेकर सर्टिफिकेट दे देते. है और दवाइयां देते ही नहीं हैं.।

श्री त्रिलोकचन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। पर जैसा कि माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं, वहां पर ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी में भ्रष्टाचार हो रहा है और डाक्टर लोग पांच-पांच रुपये लेकर सर्टिफिकेट दे देते हैं 20-20 दिन का इस बारे में कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो बतावें, मैं जांच करा लूंगा ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ई.एस.आई. डिस्पेन्सरी, भीलवाड़ा में गत तीन महीने से कोई डॉक्टर नहीं है और न ही वहां पर कोई दवाइयां ही हैं। यह हो रहा है कि दवाइयों के बदले पानी मिला कर दिया जा रहा है। क्या सरकार इस ओर कोई कदम उठायेगी ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक स्पेसिफिक प्रश्न उठाया है, 15 हजार मजदूर मकराना में काम कर रहे हैं, वहां तो ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी खोली जानी चाहिए ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : आपने जैसा फर्माया उसके लिये मेरा निवेदन है कि मैं इसके लिये सिफारिश रजिस्ट्रेशन के लिये करूंगा अगर वहां पर 15 हजार मजदूर हैं तो ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, पिछली गवर्नमेंट ने तो वहां फर्स्ट एड पोस्ट खोलने के आदेश भी किये थे पर इस सरकार ने आते ही उसको कैंसिल कर दिया। तो क्या जनता सरकार मजदूरों के पक्ष में नहीं है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने जो कहा उसकी मैं जांच करूंगा कि वह सही है या नहीं है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीकानेर की ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी में यह हो. रहा है, आप चाहें तो जांच करा लें ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इसकी मैं जानकारी करूंगा। कौशल किशोर जी ने जो भीलवाड़ा की ई. एस. आई डिस्पेन्सरी के बारे में कहा उसकी भी मैं जानकारी करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री शिवचरणसिंह !

प्रश्न संख्या 508

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 509

श्री रामदेव चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 510

श्री बालकृष्ण थानवी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

Page No 9

(9)

प्रश्न संख्या 511

श्रीमती नारंगी देवी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 512

श्री श्रवणलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री खंगारसिंह चौधरी !

ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के अन्दर फ्लेट रेट व मीटर वाले कनेक्शनों में अन्तर

513. **श्री खंगारसिंह चौधरी खारची)** : क्या जन–स्वास्थ्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण जलदाय योजनाओं के अंतर्गत कई गांवों में पानी के कनेक्शन उपभोक्ताओं को उनके घरों व नोहरों में दिए हुए हैं ? यदि हां, तो पाली व जोधपुर जिले के गांवों में ऐसे कनेक्शन की क्या दर है ?

(2) क्या यह भी सच है कि कई नगरपालिका क्षेत्रों में भी उपभोकताओं को उनके घरों में पानी के कनेक्शन दिये हुए है ? यदि हां, तो जोधपुर व पाली जिले की नगरपालिकाओं की दर वताने की कृपा करें ।

(3) क्या यह भी सच है कि नगर-पालिका क्षेत्र व गांवों में जहां मीटर नहीं हैं उनसे सात रुपये माहवार ही वसूल किया जाता है व जिनके मीटर लगा है उनसे न्यूनतम रुपये 8.95 ड्यू डेट तक जमा कराने वालों से वसूल किया जाते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या राज्य सरकार इस फर्क को हटाएगी ?

(4) क्या यह सच है कि मीटर वाला उपभोक्ता पानी का वेस्टेज विल्कुल नहीं करता व विना मीटर वाला, जो केवल 6-7 रुपया माहवार देता है, मीटर वाले के मुकाबले अधिक पानी वेस्ट करता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार मीटर वाले उपभोक्ता के साथ न्याय करेगी ?

(5) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को मनमाने ढंग से विल दिये जाते हैं ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पानी के बिल न्यायसंगत ढंग से दिये जायें इसकी व्यवस्था करेगी व किसी भी हालत में शहरी क्षेत्र से अधिक चार्ज ग्रामीण उपभोक्ताओं से नहीं किया जाए, इसकी व्यवस्था करेगी ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्री महबूव अली) : (1) जी हां, पाली एवं जोधपुर जिले के गांव में, जहां पर जलप्रदाय योजनायें विजली से चलती हैं फ्लेट रेट पर रिवेट काटने के पश्चात दरें 6 रु. से 10 रु. तक हैं एवं जहां डीजल से चलती हैं, 10 रु. से 15 रु. हैं ।

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) यह सही नहीं है कि नगरपालिका क्षेत्र में न्यूनतम दर एवं फ्लेट रेट की दर 7.70 रुपये विल समयावधि में जमा कराने पर (रिवेट काटने के पश्चात) है । ग्रामीण क्षेत्र में विजली से चलित योजनाओं पर मीटर एवं फ्लेट रेट पर न्यूनतम दरें विल समयावधि में जमा कराने पर (रिवेट काटने के पश्चात) 6 रुपये से 10 रु. है एवं डीजल से चलित योजनाओं पर 10 रु. से 5 रु. निर्धारित की गई है । नगरपालिका

(श्री महबूब अली)

क्षेत्र में मीटर जल संबंध में न्यूनतम दर 7.70 एवं ½ इंच मीटर किराया 1.25 रु. निर्धारित हैं ।

(4) जहां तक पानी को वेस्ट करने का प्रश्न है यह व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित व्यक्ति जल को वेस्ट नहीं करेगा ओर विभाग देश के प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार व्यक्ति मानकर चलता है ।

(5) ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिल नियमानुसार सही दिये जाते हैं । जहां तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की दरों में समानता लाने का प्रश्न है, राज्य सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कौशल किशोर जैन : क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस परिवार में 8 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं उससे 10 रुपये के बजाय 15 रुपये फ्लेट रेट पर चार्ज किया जाता है ?

श्री महबूब अली : जी हां। आपका कथन सही है। जो 8 से अधिक का परिवार हो जाता है उसकी दर बढ़ा देते है, यह नियमों में प्रावधान हैं ।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : योजना कैसे बनाते हैं ?

श्री महबूब अली : जिस समय योजना का निर्माण किया जाता है उस समय जितनी पापूलेशन होती है और जितने गांव में पशु होते हैं उन सब को कन्सीडर करके योजना का निर्माण किया जाता है, निर्माण के समय ही विचार किया जाता है ।

श्री कौशल किशोर जैन : शहरों में अगर 8 व्यक्तियों की जगह 10 या 12 होते हैं तो भी वही रेट होती है जो मीटर में आती है किन्तु गांव में जहां 8 से 9 व्यक्ति हुए तो दर 10 रु. से 15 रु.हो जाती है। यह असमानता गांवों व शहरों में दूर करने के लिए आप क्या करेंगे ? या तो मीटर लगायें गांवों में नहीं तो एक ही रेट रखें।

श्री नवरंगसिंह : गांव में प्रति व्यक्ति व प्रति पशु का हिसाब रखते हैं....

श्री हरजी राम बुरडक : (लाडनूं) आपने प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में बताया है कि गांवों में, जहां जल प्रदाय योजनायें विजली से चलती हैं, फ्लेट रेट पर (रिबेट काटने के पश्चात) दरें 6 रु से 10 रु. तक है एवं जहां डीजल से चलती हैं 10 रु से 15 रु. है, इसका क्या आधार है ?

श्री महबूब अली : मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं....

श्री अध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमें कतई संतोष नहीं है, जवाब ठीक नहीं है । गांव वालों से 8 व्यक्तियों पर 10 रु. लेते हैं और 8 से 9 होते ही आप 15 रुपये लेते हैं। यह तो अन्याय है आपके राज में ।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह अन्याय किस समय से शुरू हुआ है ?

श्री महबूब अली : ये दरें आपने बनाई हैं।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : जब 15 रुपये जलदाय योजना के डीजल रेट पर चार्ज करते हैं तो उसके बाद इसकी भी कोई सीमा होती है कि कितने लोग उस टोंटी से पानी भर सकेंगे ?

श्री महबूब अली : योजना पर जो खर्च आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रेट बनाई जाती है। असमानता का प्रश्न माननीय सदस्यों ने बहुत बार सदन में उठाया है जिस पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए मैंने सभी माननीय सदस्यों को एक पत्र लिखा है जिसमें सब के सुझाव मांगे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनायें चल रही हैं उनके अन्दर किस तरह से समानता लाई जाए और ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जो असमानता है उसके लिए आप सुझाव दें। अभी तक किसी भी माननीय सदस्य ने मुझे उत्तर में कोई सुझाव नहीं भेजा है सरकार अपनी ओर से प्रयत्नशील है। मुद्दा यह है कि योजना पर जो खर्च आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रेट बनाई जाती है। 1976 के बाद राज्य सरकार ने यूनीफार्मिटी लाने के लिए बिजली से चलने वाली योजनाओं के लिए 10 रु. और डीजल से चलने वाली योजनाओं के लिए 15 रु. तय किया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्यों ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): सवाल इस बात का है कि राज्य सरकार यूनीफार्मिटी के नाम पर 10 रु. व 15 रु. तय कर रही है तो क्या वह जरूरत नहीं समझती कि लोगों को पीने का पानी सस्ती कीमत पर दे ? यह दृष्टीकोण आपका नहीं है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्य सरकार कोई बनिए की दुकान है ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : कम से कम पानी तो मुफ्त दें पीने के लिए।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): भिनाय में 10 रु. व 20 रु. की रेट लगा रखी है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मेरे प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। आपने फर्माया कि डीजल सेट पर आपकी जो कास्ट आती है उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। क्या आपके ध्यान में है कि 15 रु. से भी ज्यादा रेट वसूल की जाती है ?

श्री महबूब अली : मुझे जानकारी नहीं है माननीय सदस्य के पास यदि कोई जानकारी हो तो मुझे बता दें मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : सिरोही जिले में जो डीजल सेट्स की जलदाय योजनायें हैं, वहां 15 से 20 रुपये से भी ऊपर लिये जाते है। जुर्माने भी होते हैं कि दूसरों ने पानी क्यों भरा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : पानी बेचो मत।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : प्रश्न वास्तव में गंभीर है। इसकी गंभीरता को हम भी महसूस करते हैं। जैसा राज्य मंत्री ने कहा, आपको उन्होंने पत्र भेजा है उसका उत्तर आप अपने सुझावों के साथ दें तो निश्चित रूप से हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि इस प्रकार की शिकायतों का निराकरण कर सकें। मैं आशा करता हूं आप अपने सुझाव भेजेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : राज्य मंत्री के बस की बात नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आप एक समिति का निर्माण करें, उसमें इस प्रश्न पर चर्चा करके निर्णय लिया जा सकता है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप मीटिंग बुलायें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मीटिंग भी बुलाऊंगा। हमने आपसे सुझाव भी मांगे हैं कि कहां–कहां किस प्रकार की समस्या है, कितना खर्चा आ रहा है । इस संबंध में आपके सुझाव आयेंगे तो मैं आप सब लोगों को बुलाकर कुछ करूंगा ।

श्री अब्दुल अजीज : जब डालडा कंपनी भी निर्धारित रेट्स पर हर इलाके में डालडा बेचने की हिम्मत रखती है तो राज्य सरकार अलग-अलग रेट्स क्यों लेती है ? यूनीफाइड रेट्स कर दिये जांय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मकराना में पत्थर भी अलग-अलग रेट्स पर बिकते हैं।

प्रश्न संख्या 514

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा !

राज्य में कुष्ठ केन्द्र को विदेशी सहायता

515. **श्रीमती उजला अरोडा** (जयपुर, ग्रामीण) :

होली की राम राम ।

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कितने कुष्ठ केन्द्र हैं और उनमें कितने कुष्ठ रोगी कब से रहते हैं ?

(2) क्या जयपुर में घाट की गुणी मे कोई कुष्ठ केन्द्र चल रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए विदेशों से भी क्या कोई सहायता प्राप्त होती है ? यदि हां, तो कितनी और उसमें से कितनी कितनी राशि का किस किस कार्य के लिए उपयोग किया गया ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखा जाय ।

(3) क्या राज्य सरकार इस केन्द्र में हुए गबन-घोटाले की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह नई परम्परा डाल रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह आपकी उदारता का नाजायज लाभ उठाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : राम राम कर भी दें, तो भी कोई हर्ज नहीं ।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जयपुर शहर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जाने हेतु माह फरवरी, 1978 में 50 आवासियों के लिए एक कुष्ठ केन्द्र स्वीकृत किया गया है जिसके लिए भवन किराये पर ले लिया गया है । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पुराना घाट, जयपुर में एक राजकीय लेप्रोसी चिकित्सालय सन 1947-48से चलाया जा रहा है जिसमें 40 कुष्ठ रोगियों के रहने की व्यवस्था है । वर्तमान में इसमें 40 कुष्ठ रोगी रह रहे हैं । जोधपुर शहर में भी इसी प्रकार का एक लेप्रोसी चिकित्सालय चलाया जा रहा है, जिसमें 60 कुष्ठ रोगियों के रहने की व्यवस्था है। इन दोनों चिकित्सालयों में कुष्ठ रोगी आवासियों के लिये चिकित्सा, आवास, भोजन, वस्त्र आदि की पूर्ण व्यवस्था है । इसके अलावा

Page No 13

(13)

(श्रीमती विद्या पाठक)

लेप्रोसी रिलीफ एसोसियेशन, जयपुर नामक एक स्वयं सेवी संस्था द्वारा जयपुर शहर में एक कुष्ठ केन्द्र जून, 1975 से चलाया जा रहा है, जिसमें वर्त्तमान में कुल 40 कुष्ठ रोगी रह रहे हैं ।

(2) जी हां लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएसन, जयपुर द्वारा जयपुर में घाट की गुणी में एक कुष्ठ केन्द्र चलाया जा रहा है । संस्था से प्राप्त सूचना के अनुसार इस संस्था को नकद या अन्य कोई भी विदेशी सहायता नहीं मिली है ।

(3) लेप्रोसी रिलीफ एसोसियेशन नामक संस्था को समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1976-77 में 10,000 रुपयों का तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया गया था जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के आडिटेड स्टेटमेन्ट्स प्राप्त हो चुके हैं । अतः इस राशि के गबन अथवा दुरुपयोग की जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर अपूर्ण है । पूरी जानकारी शायद मंत्री महोदया को नहीं है । जर्मनी की एक संस्था है उसके द्वारा यह सहायता प्राप्त संस्था है । इसको जमीन व अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है । यह वर्षों से चल रही है लेकिन यहां पर इतने गबन-घोटाले हुए हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करायेंगी ? नम्बर एक । नम्बर दो, इस कुष्ठ केन्द्र में पिछले दिनों श्रीमान सिंघल द्वारा होम गार्ड्स और सिविल डिफेन्स के लोगों का दुरुपयोग करके वहां के जो चालीस कुष्ठ रोगी हैं उन चालीस के चालीस को बाहर निकाल दिया गया । इस तरह की जानकारी मंत्री महोदया को है ? यदि है, तो उन्होंने इस संम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? नम्बर तीन, इसमें इन लोगों को दिसम्बर से अब तक भोजन, वस्त्र व अन्य कोई भी चीज नहीं मिली है, क्या मंत्री महोदया को इसकी जानकारी है ? यदि जानकारी है तो इसके लिए क्या कदम उठाने वाली हैं ? इन सब बातों की माननीय मंत्री महोदया मुझे पूरी जानकारी दें ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लेप्रोसी रिलीफ एसोसियेशन 1975 में रजिस्टर हुई । उसके तहत एक लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोजेक्ट बनाया था जिसके लिए जर्मनी से 49 हजार रुपया मिला लेकिन यह दोनों प्राइवेट संस्थाएं हैं अनुदानित भी नहीं हैं । इनको 10 हजार रुपया दिलाया जिसका आडिटेड अकाउन्ट मिल चुका है इसलिए इसमें दखलअन्दाजी या इससे जानकारी प्राप्त करने का सरकार को अधिकार नहीं है ।

श्री नूरा (मसूदा) : मंत्री महोदया ने जवाब दिया चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ने अपना प्रमाण-पत्र दिया । चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रमाण पत्र दे देते हैं, ऐसी स्थिति में भी जांच हो सकती है कि काम हुआ है या नहीं । इस जांच की बात को नहीं टाला जाना चाहिए हकीकत में कोई चीज है या नहीं इसलिये जांच की आवश्यकता है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यह है, यह निश्चित है कि ट्रस्ट के द्वारा सचालित है लेकिन जब हम एडहाक ग्रान्ट देते हैं

Page No 14

(१५)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो क्या नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम उनकी जानकारी लें ? उन लोगों को दिसम्बर से भोजन, वस्त्र और दवाइयां नहीं मिली हैं और उनकी जो निजी साइकिलें हैं जिनसे वह जाकर सामान ले आते हैं वह भी ताले के अन्दर जुड़ी हुई हैं। बाहर से उपचार नहीं मिले तो उन कुष्ठ रोगियों का क्या हाल होगा ? यदि भोजन नहीं मिल रहा है तो सरकार क्या चिन्तन कर रही है ? क्या सहायता सरकार करेगी ? मैं समझती हूं कि मंत्री महोदया को जानकारी है और वह जानकारी हमें भी दें ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संस्था नियमित रूप से अनुदानित नहीं है । इसको 1976 में एडहाक ग्रान्ट मिली थी उसेका आडिटेड अकाउन्ट आ चुका है। जहां तक यह बात है कि वहां के निवासियों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, वह मैं उत्तर के भाग (1) में दे चुकी हूं कि इस तरह का एक केन्द्र फरवरी, 1978 में 50 आवासियों के लिए सरकार ने स्वीकृत किया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लालूदास !

ग्राम फलासिया में समाज कल्याण का छात्रावास

516. **श्री लालूदास** (फलासिया) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि फलासिया ग्राम जिला उदयपुर में जो छात्रावास है वह निजी बिल्डिंग में चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार वहां सरकारी भवन बनाकर छात्रावास उसमें चलाने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां । राजकीय छात्रावास, फलासिया किराये के भवन में चलाया जा रहा है क्योंकि वहां पर कोई सरकारी भवन छात्रावास हेतु उपलब्ध नहीं है ।

(2) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट । श्री बहादुरसिंह !

बढ़ते हुए रेगिस्तान की रोकथाम के उपाय

517. **श्री बहादुरसिंह** (नोहर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है तथा अभी तक इन उपायों में राज्य सरकार कहां तक सफल रही है ?

(2) श्री गंगानगर जिले में उपजाऊ तथा समतल भूमि को ही राज्य सरकार ने वन लगाने के लिये क्यों चुना है ? खेती के लिए अनुपयोगी भूमि पर राज्य सरकार जंगल क्यों नहीं बनाना चाहती ?

(3) जंगल की आय तथा व्यय का अनुपात क्या है ?

राज्य मंत्री, वन (श्री लालचन्द) : (1) बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए सरकार सूखा संभावित क्षेत्रों का विकास

(श्री लालचन्द)

मरुस्थल विकास एवं राजस्थान नहर परियोजना में वन विभाग कार्यक्रम सम्पन्न करा रहा है। इन उपायों में सरकार काफी सीमा तक सफल रही है।

(2) यह सही नहीं है, गंगानगर जिले में वन विभाग द्वारा मुख्यत: खेती के अनुपयोगी भूमि जैसे नहरीयं, खदान, दरडों टिब्बों के दोनों ओर खाली पट्टियों में वृक्षारोपण और अनकमाण्ड एरिया में टिब्बा स्थिरीकरण कार्य कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त पुनर्वास विभाग द्वारा नई आबादियों में ईंधन व छोटी इमारती लकड़ी के लिये रिजर्व मुरब्बों में भी वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है।

(3) जंगल से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ होते हैं जिसमें अप्रत्यक्ष लाभ का रुपयों में मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। साथ ही वन योजनार्थ लम्बी अवधि पर आधारित होने से प्रत्यक्ष लाभ भी कालान्तर में प्राप्त होते हैं। वैसे आयोजना भिन्न आय व्यय मदों का त्रीवर्षीय अनुपात (1974-75 से 1976-77) 100:99 रहा है।

श्री बहादुरसिंह : क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने क्षेत्र के अन्दर उन्होंने रेगिस्तान को रोकने की कार्यवाही की है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : रेगिस्तान कोई रुके हैं, न रुकेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान (अलवर) : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं हैं जैसे हाडोती का बूंदी का इलाका इस तरफ भी रेगिस्तान रोकने के लिए मंत्री महोदय कदम उठा रहे हैं? ऐसी जानकारी है ?

श्री मूलचन्द डागा : रेगिस्तानी क्षेत्र में कितने वृक्षारोपण किये ? आज तक कितने फल-फूल रहे हैं और कितने खतम हो गये ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान को रोकने के लिए एक विशेष साइन्टिस्ट, जो कि हिन्दुस्तानी हैं, ने यह सुझाव दिया है केन्द्रीय सरकार को कि रेगिस्तान को रोकने के लिए ऐसे पौधे हैं जो लगाने चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार कितनी राशि निर्धारित कर चुकी है ? मौजूदा सरकार ने उसको आगे बढ़ाने के लिए कितना खर्च किया है ? कुछ ऐसे वृक्ष हैं जैसे आकड़ा है और दूसरे वृक्ष हैं जिनको लगाने से रेगिस्तान बढ़ने से रोका जा सकता है, उसकी केन्द्रीय सरकार को भी सूचना दी है, और योजना दी है। क्या राज्य सरकार को इसकी जानकारी है ? रेगिस्तान को रोकने के लिए इस साल कितनी राशि निर्धारित की है ? इसकी जानकारी दें। It is very important question.

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने खड्डे खोद दिये और कितने खड्डों को खोदने की उनकी योजना है ?

श्री अध्यक्ष : कितने वृक्ष लगाये और कितने वृक्ष काट चुके हैं ?

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में रेगिस्तान की रोकथाम के लिए यह सुझाव दिया था कि राजस्थान डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड बनाये।

Page No 16

(16)

(श्री सुरेश कुमार)

रेगिस्तान को रोकने के लिए एक खास विषय रखें और लोगों को इसकी शिक्षा दें।

क्या ऐसा बोर्ड बनाने का राज्य सरकार विचार करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड आलरेडी वर्क कर रहा है। माननीय सदस्यों ने कहा कि डेजर्ट बढ़ रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार, सरकारी आंकड़े नहीं हैं, डेजर्ट नहीं नहीं बढ़ रहा है। 9 महीनों से बढ़ रहा हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : रेगिस्तान खतम हो रहा है ?

श्री अब्दुल अजीज : जंगलात काट लिये जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : डेजर्ट बढ़ रहा है, इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : घट रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मावजी भाई !

जयसमन्द के पास गैम सेन्चुयरी और चरनोट जमीन

518. **श्री मावजी भाई (सलूम्बर) :** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयसमन्द के पास गैम सैन्चुयरी बनी हुई है और उसके पास चरनोट की जमीन है ? यदि हां, तो चरनोट की जमीन में मवेशियों को चरने क्यों नहीं दिया जाता है ?

(2) क्या गैम सैन्चुरी से आदिवासियों को सूखी लकड़ी और सूखा घास लाने से भी रोका जाता है ? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गैम सैन्चुरी के पास जो चरनोट की जमीन है वह सरपंच विकास अधिकारी व प्रधान, पंचायत समिति सराड़ा द्वारा अलाट की गई है और वहां पक्के मकान बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो चरनोट की जमीन क्यों अलाट की गई है ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री लालचन्द) : अध्यक्ष महोदय, स्थगित करने के लिये निवेदन करता हूं

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

श्री सुभाषचन्द्र आर्य !

ग्राम सिघाना का हरिजन छात्रावास

519. **श्री सुभाषचन्द्र आर्य (सूरतगढ़) :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(i) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बुहाना के ग्राम सिघाना में हरिजन यादव छात्रावास चल रहा है? यदि हां, तो कब से ?

(2) इस छात्रावास में गत पांच वर्षों में कितने-कितने कौन-कौन छात्र रहे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) उक्त छात्रावास को गत पांच वर्षों में कितना-कितना अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया और कितना खर्च हुआ ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां, पंचायत समिति, बुहाना के ग्राम सिघाना में एक 'श्री यादव हरिजन' नामक अनुदानित छात्रावास सत्र 1967-68 से चल रहा है।

(2) इस छात्रावास में गत 5 वर्षों में जितने-जितने जो-जो छात्र रहे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त छात्रावास में गत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदान के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। दिये गये अनुदान की सारी राशि खर्च हो गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री सुभाषचन्द्र आर्य : मन्त्री महोदय; इस मामले मे मेरे क्षेत्र की मुझे सारी जानकारी है। कृपया नाम बतायें, कौन-कौन लड़के किस-किस गांव से आये हैं? वहां के भूतपूर्व प्रधान के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मन्त्री महोदया इनका नाम, गांव का नाम बताने की कृपा करें।

श्रीमती विद्यापाठक : अध्यक्ष महो- महोदय, माननीय सदस्य कोई जानकारी देंगे तो उस आधार पर अवश्य जांच कराई जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अब्दुल अजीज !

मकराना नगर में रेलवे क्रासिंग पर एक्सीडेन्ट

520. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि मकराना नगर में रेलवे क्रासिंग पर एक्सीडेन्ट होने के कारण नगरवासियों की मांग पर डी.एम, रेलवे ने राज्य सरकार से दो लाख रुपये के अनुदान की मांग की है? यदि हां तो अनुदान कब तक दिया जावेगा?

एक माननीय सदस्य : 520 नहीं, 420।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नम्बर गलत तो नहीं है।

राज्य मंत्री स्वायत शासन (श्री विज्ञान मोदी): मकराना रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने के लिये जनता की मांग पर मण्डल अधीक्षक, उत्तरी रेल्वे, जोधपुर ने राज्य सरकार को 1.50 लाख रुपये का व्यय वहन करने का प्रस्ताव भिजवाया था।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उसे आगामी कार्यों की प्रस्तावित सूची में सम्मिलित कर लिया है परन्तु कार्य अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह खण्ड (2) है कहां ?

श्री अब्दुल अजीज : आबादी को और मजदूरों को रेलवे लाइन क्रास करके जाना पड़ता है। उसकी सभी लोगों को जानकारी है। केबिनेट मिनिस्टर्स के मंत्री लोग भी जानते हैं।

Page No 18

(18)

प्रश्न संख्या 521

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री बंशीलाल सारस्वत !

बख्त सागर तालाब में गन्दे पानी के गिरने से उत्पन्न स्थिति

522. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नागौर शहर के उत्तरी भाग का सारा गंदा पानी भिष्टा एवं मलमूत्र नालियों का बहकर पिछले चार मास से बख्त सागर तालाब में जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस मलवे, मलमूत्र से तालाब का पानी इतना गंदा हो गया है कि आस पास के क्षेत्र में रहना ही दूभर हो गया है व उसमें बड़ी भयंकर गंध आती है ?

(3) यदि हां, तो स्थानीय अधिकारीगण एवं स्वायत्त शासन संस्था के प्रशासक इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। कोई जवाब देने वाला नहीं है ? कौन से मंत्री जवाब दे रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष, महोदय, यह क्या हो रहा है। व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप जरा शांति रखिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दो मिनट हो गये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं है, तो दूसरा प्रश्न लेता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कौन जवाब देंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मंत्री का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : गन्दा पानी सागर में गया है ....

एक माननीय सदस्य : उत्तर का प्रबन्ध कीजियेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : राज्य सरकार क्या कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : इस सदन की हाइएस्ट मॉयोरिटी आप हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप ताड़ना दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह शर्मनाक घटना है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आपाधापी की....

श्री कौशलकिशोर जैन : होली है। होली का त्योहार है।

मुख्यमंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): मल मूत्र की बहुत चिन्ता है। चिन्ता होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : मोरारजी को मूत्र की बहुत चिन्ता है।

Page No 19

(19)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मल की चिन्ता है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

एक माननीय सदस्य : कारण ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री के नाम से प्रश्न है, उसका कोई लेना देना नहीं है।

प्रश्न संख्या 523

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मदनसिंह !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री नवरंगसिंह !

लोकसेवा आयोग द्वारा जन-सम्पर्क अधिकारियों हेतु आमंत्रित आवेदन-पत्र

524. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लगभग 6 माह पूर्व जन सम्पर्क विभाग में 14 जन-सम्पर्क अधिकारियों के रिक्त पद के लिये लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि आयोग द्वारा 6 माह से अधिक अवधि समाप्त होने पर भी साक्षात्कार के लिये उम्मीदवारों को अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक होंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि इतनी अवधि व्यतीत होने पर भी आयोग द्वारा 14 जन सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं करने के कारण राज्य सरकार को कठिनाई हो रही है ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्री महबूब-अली) : (1) जी हां. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 23-6-77 को इन पदों को भरने के लिये विज्ञप्ति प्रसारित कर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे।

(2) जी हां, उम्मीदवारों को आमंत्रित करने की तिथि लोक सेवा आयोग द्वारा निश्चित की जाती है।

(3) जी हां।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि 6 महीने होने पर भी अभी लोक सेवा आयोग के आमंत्रण अभ्यार्थियों के पास नहीं गये हैं। साथ में यह भी पूछना चाहूंगा कि इसमें कितना रिजर्व कोटा है और कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अभ्यार्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं ?

श्री महबूब अली : यह प्रार्थना-पत्र लोक सेवा आयोग के अन्दर पेश किये जाते हैं। इसके अन्दर देरी होने का कारण यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संघीय लोक सेवा आयोग से पूछा है कि इसके लिये क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की जायें ? एक्सपीरियेन्स किस तरह का हो ? किसी अखबार के अन्दर आनरेरी नौकरी करते हों उसी को एक्सपीरियेन्स माना जाये ? इस बात के स्पष्टीकरण के लिये राजस्थान जन सेवा आयोग ने लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया है कि जो वेतन प्राप्त करते हैं, वे ही एक्सपीरियेन्स प्राप्त माने जायं और उनको ही बुला लिया

Page No 20

(20)

(श्री महबूब अली)

जाय । 14 पोस्टों के लिये आमंत्रित किया गया है और शीघ्र ही तारीख निश्चित करके बुला लिया जायेगा ।

श्री नवरंगसिंह : मैं जानना चाहूंगा आपने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया और निश्चित क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी तो अब दुबारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त करेंगे या उन्हीं को बुला लिया जायेगा जो इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं ? आपने बताया कि लोक सेवा आयोग ने क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी है तो पहले जिस आधार पर प्रार्थना-पत्र दिये गये थे, उनको भी बुलाने का अधिकार देंगे या नहीं ?

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा कि जब तक यह निश्चित नहीं हो तब तक आप क्या एडहाक अपाइन्टमेंट देने की चेष्टा करेंगे ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय, यह बताने कि कृपा करेंगे कि जब लोक सेवा आयोग को यह मालूम नहीं था इस विज्ञप्ति के आधार पर कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिये तो फिर एप्लीकेन्ट्स को सही स्थिति कैसे मालूम हो सकती थी ? नम्बर 1 और नम्बर 2, मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि खण्ड (2) और (3) का उत्तर 'जी हां' दे रहे हैं तो सरकार की इस मामले में क्या स्थिति रह जाती है क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इस प्रकार स्थिति पेश कर दी है ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, क्वालिफिकेशन निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है। एक्सपीरियेन्स्ड किसको माना जाय, जो अखबार में काम करने वाले व्यक्ति है चाहे वे वैतनिक हो या अवैतनिक उनको एक्सपीरियेन्स्ड माना जाय – यह प्रश्न था। इस प्रश्न को लोक सेवा आयोग को रेफर कर दिया। उन्होंने यह कह दिया कि जो वैतनिक है, उनको ही एक्सपीरियेन्स्ड माना जाय। विवाद इस बात का चल रहा था कि जो अखबारों में अवैतनिक काम करते हैं उनको क्यों नहीं माना जाय इसलिये ही लोक सेवा आयोग को भेजा था। अब उन्होंने यह कह दिया है कि जो वैतनिक है उनका ही अनुभव माना जाय। इसलिये क्वालिफिकेशन में कोई झगड़ा नहीं है।

श्री नवरंग सिंह : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दुबारा प्रार्थना पत्र मांगे जायेंगे या यह ही रखे जायेंगे ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, उसमें कोई एम्बीगुटी नहीं। एप्लीकेन्ट्स का क्या दोष है जब लोक सेवा आयोग ही साफ नहीं है कि इस क्वालिफिकेशन का क्या अर्थ है ? क्या नये स्पष्टीकरण के अन्तर्गत नये लोगों को मौका दिया जायगा ताकि अन्य लोग भी आ सके ? लोक सेवा आयोग ने जो गड़बड़ी की उसके आधार पर सरकार को कठिनाई हो रही है, उसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि इसमें कठिनाई हो रही है राज्य सरकार को तो राज्य सरकार लोक सेवा आयोग के सम्पर्क में है। जल्दी से जल्दी इन्टरव्यू के लिए काल करके पोस्टों को भरा जायेगा। जहां तक एक्सपीरियन्स का सवाल है जिसके

(श्री महबूब अली)

पास जैसा एक्सपीरियेन्स है, उन सबने अप्लाई किया है। अब स्पष्टीकरण होने पर मामला लोक सेवा आयोग पर निर्भर करता है, वह किस प्रकार करता है। यह राज्य सरकार की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने....

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न के लिये कह दिया है। माननीय सदस्य, जो उत्तर दे दिया, वह दे दिया। पर्याप्त है।

प्रश्न संख्या 74

स्थगित प्रश्न।

श्री बृजयेन्द्र पाल सिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 525

श्री हर चन्द सिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री निर्मल कुमार !

राजस्थान में हिन्दी भाषा को बढ़ावा

526. श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या भाषा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की भाषा नीति क्या है ?

(2) क्या जनता सरकार आने के बाद हिन्दी भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है ?

सम्पूर्ण राजस्थान में हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की क्या योजना है ?

भाषा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) राजस्थान राज भाषा अधिनियम; 1956 पारित कर राजस्थान प्रदेश में राजस्थान की राज्य भाषा हिन्दी घोषित की गई।

(2) जी नहीं।

(3) सरकार प्रशासन में हिन्दी भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिये निरन्तर सक्रिय है। हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि अब और कितना टाइम लगेगा ? अगर आपके पास आंकड़े हैं तो बता दें। रोजाना आपके सक्यूलर निकल रहे हैं फिर भी अंग्रेजी में मिनिस्टर महोदय स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या टाइप राइटर्स की कमी की वजह से मामला रुक रहा है ?

श्री बजरंग लाल शर्मा। भाषा नीति का जहां तक प्रश्न है....

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे समय दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकर्ता है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राज भाषा

Page No 22

(22)

(श्री निर्मल कुमार सकलेचा)

हिन्दी बताई है। सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। हमको यहां से जो साहित्य दिया जाता है वह आधा अंग्रेजी में दिया जाता है और आधा हिन्दी में दिया जाता है। राज्य भाषा हिन्दी है फिर भी आधा काम हिन्दी में होता है और आधा काम अंग्रेजी में होता है। विवरण में जो योजनायें बताई हैं उनमें कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है वे अवधि निश्चित करें कि एक वर्ष के अन्दर या 6 महीने के अन्दर सारा राज काज हिन्दी में होगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा यह भाषा नीति का प्रश्न सरकारी राज काज की भाषा तक सीमित है या शिक्षा में भी भाषा नीति का प्रश्न सम्मिलित है ? शिक्षा में भाषा नीति के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा। कृपा करके बतायें कि शिक्षा में भाषा की नीति के बारे में राज्य सरकार के क्या विचार हैं ?

श्री ईश्वर चन्द्र : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें, कितने आई. ए. एस. ऐसे हैं जो हिन्दी नहीं जानते हैं ? जो अंग्रेजी जानते हैं उन्हीं को ज्यादा तरजीह दी जाती है हिन्दी वालों को कम तरजीह दी जाती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जानना चाहूंगी मंत्री महोदय से, हिन्दी के बारे में सरकार की क्या योजना है ? जो इंगलिश में काम करने वाले लोग हैं, दक्षिण के रहने वाले लोग हैं, वे किस तरह हिन्दी सीखेंगे ? इसको क्या कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कौनसी ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्री महोदय का जवाब तो आने दें।

श्री मूलचन्द डागा : आज भी जो व्यक्त हिन्दी स्टेनों की परीक्षा में बैठते है उनको बाहर किया जाता है अंग्रेजी में भी बैठने के लिये। अंग्रेजी में भी परीक्षा पास करें उसके बाद ही इन्क्रीमेंट देते हैं यद्यपि वह हिन्दी में पास होता है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय आज भी अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह दी जाती है, उन आई ए. एस. को ही अच्छा ऑफिसर माना जाता है और उन्हीं को ऑफिसर बनाया जाता है जो अंग्रेजी अच्छी जानते हैं। हिन्दी वालों को अच्छा ऑफिसर नहीं माना जाता है। हिन्दी वालों को तो यह समझा जाता है कि ये तो संस्कृत वाले पण्डित लोग हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं हिन्दी को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा दर्जा दें। इसके महत्व को देखते हुए इसके दर्जे को भी बढ़ाया जाय।

श्री कौशल किशोर जैन : आश्वासन देते तो 30 साल हो गये। निश्चित समय का आश्वासन दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दें कि सप्लीमेन्ट्री पूछने के बाद मंत्री महोदय जवाब दें। नहीं तो मंत्री महोदय सुन कर ही रह जाते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कुर्सी से मंत्री महोदय उठते ही नहीं हैं ।

श्री शिव चरण सिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटेरियेट स्तर पर आज भी आई.ए.एस. आफिसरों का जो नोटिंग होता है वह हिन्दी में नहीं होता है, अंग्रेजी में होता है। अभी भी अंग्रेजी में नोटिंग होता है। मैंने कल ही आपकी फाइलों में अंग्रेजी में नोटिंग देखा है। केदारजी की फाइलों में भी अंग्रेजी में नोटिंग होता है।

श्री केदारनाथ : मैं भी लिखता हूं ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में, हिन्दी भाषा के प्रसार के सम्बन्ध में जो चिन्ता है वह वास्तव में सही है। हमारी भी इसी प्रकार की चिन्ता है लेकिन कुछ व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही है। खास तौर से हिन्दी के टाइपिस्ट और हिन्दी टाइप राइटस की। हिन्दी के टाइप राइटस तो फिर भी उपलब्ध हो सकते हैं लेकिन हिन्दी के टाइपिस्टों की संख्या बहुत कम है । इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हिन्दी के टाइपिस्ट उपलब्ध हों। आज सेक्रेटेरियट में और बाकी डिपार्टमेंटस् में जो केवल अंग्रेजी के टाइपिस्ट हैं उनको कहा गया है कि वे जल्दी से जल्दी हिन्दी टाइप सीख ले ताकि हिन्दी में सारा काम शुरू किया जा सके। मुझे इस समय तारीख तो याद नहीं है लेकिन समय भी निश्चित किया गया है कि इस समय तक हिन्दी में टाइप करना सीख लें। इसलिए हिन्दी के प्रसार के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ी बाधा है वह हमारे कारण नहीं। हम भी यही चाहते हैं कि सारा काम हिन्दी में हो हो लेकिन कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है कि जवाब लिखते हुए कोई नाराजगी नहीं हो, काम रुक न जाय इसलिए मजबूरी से हिन्दी टाइप नहीं हो सकने के कारण अंग्रेजी में जवाब भिजवाना पड़ता है। मन से हम भी यही चाहते हैं कि हिन्दी का प्रसार जल्दी से जल्दी हो।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने आफिशियल लैंग्वेज के बारे में जवाब दिया है....

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : इसी प्रकार का आश्वासन आपने उर्दू के सम्बन्ध में भी दिया था आज उर्दू के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या उसी तरह से हिन्दी के लिए भी समझा जाय ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुख्य मन्त्री महोदय ने यह आफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया है। मैं जानकारी चाहता हूं शैक्षणिक लैंग्वेज के बारे में। जो नेशनल एजूकेशन पालिसी है उसके अनुसार थ्री लैंग्वेज फार्मूला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, वे यह बतायें कि शिक्षण के बारे में इसे किस ढंग से लेना चाहेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिन्दी और अंग्रेजी दो हो गई लेकिन एजूकेशन में भी लैंग्वेज फार्मूला है उसके बारे में सरकार को क्या नीति है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बिल्यु-बोधेरा क्षेत्रीय-जल प्रदाय योजना

500. हजारीमल सारण (सरदारशहर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील में बिल्यु-बोधेरा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में शामिल गांव रातूसर, भावुवाला व रायपुरा को गत दो साल से पेय जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना पर स्रोत की कमी के कारण।

(2) जी हां। वर्ष 78-79 में एक और सफल नलकूप तैयार होने पर इन ग्रामों को पेय जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

जोधपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति

504. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर विश्वविद्यालय में 1 जुलाई, 77 से अब तक किन 2 व्यक्तियों ने उपकुलपति अथवा कार्यवाहक उपकुलपति का कार्य किया है और किस-किस अवधि के लिए किया है ?

(2) इन उपकुलपतियों के त्याग-पत्र देने के क्या कारण हैं ?

(3) राज्य सरकार ने इन त्यागपत्रों की कोई समीक्षा की है ? यदि हां, तो उसका विश्लेषण क्या है ?

(4) क्या राज्य सरकार जोधपुर विश्वविद्यालय में विद्यमान इस वातावरण को अच्छा मानती है ? यदि नहीं, तो इसके लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चयन समिति चयन के समय विद्यमान परिस्थितियों पर विचार कर नाम प्रस्तुत करती है, सरकार द्वारा समीक्षा नहीं की जाती।

(4) जो कुछ हो रहा है उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना कार्य सुचारु रूप से चलाने की प्रक्रिया विकसित करनी है। राज्य सरकार से जो भी सहायता मांगी जायगी उस पर विचार किया जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

रामगंज मंडी के प्रमुख चौराहों पर अतिक्रमण के मामले

505. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी नगर के प्रमुख चौराहों पर सत्र

Page No 25

(श्री हरीश शर्मा)
व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर दूकानें बना ली हैं और इस से नगर का सौन्दर्य समाप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन अतिक्रमणियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी नगरपालिका की सड़कें टूटी-फूटी और खड्डे पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें ठीक करवाने की व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अतिक्रमण नहीं किया गया।

(2) जी नहीं । यह पूर्णरूपेण सही है। रामगंज मन्डी के बाजार की सड़क नं० 2 से 5 में कुछ स्थानों पर खड्डे पड़े हुए हैं, इसकी मरम्मत नगरपालिका शीघ्र करवायेगी ।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग श्री गंगानगर में दर्ज मामले

506. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में श्री गंगानगर के शुरू से लेकर सन् 77 तक कितने मामले प्रति वर्ष के हिसाब से दर्ज हुए ?

(2) कितने मामले प्रति वर्ष के हिसाब से चालान किये गये ?

(3) अब तक कितने मामले चालान होने से बाकी बचे हैं ?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभागों की गंगानगर जिले में दो चौकियां है एक हनुमानगढ़ में व दूसरी गंगानगर में। इन दोनों चौकियों पर सन् 1973 से 1977 तक 61 अपराध पंजीबद्ध हुए जिनका वर्षवार ब्योरा संलग्न तालिका में अंकित है।

(2-3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सन् 1973 से सन् 1977 तक गंगानगर जिले से सम्बन्धित 24 अपराधों का न्यायालय में चालान किया गया। 37 अपराधों का चालान नहीं किया गया। इन 37 अपराधों में से 25 में अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय में मन्जूरी हेतु प्रस्तुत किये गये। 4 मामलों में चालान से पूर्व विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया गया। 8 अपराध विचाराधीन शेष रहे। वर्षवार ब्योरा संलग्न तालिका में अंकित है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर हेतु अलाट की गई भूमि

508. श्री शिवचरणसिंह (बयाना): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर बसाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि कम कीमत पर सारे ट्रांसपोर्टरों को इस क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई ? यदि हां, तो किस-किस को कितनी भूमि कितनी राशि में ?

Page No 26

(26)

(श्री शिवचरणसिंह)

(3) क्या यह सही है कि आज भी शहर में यातायात की अव्यवस्था है ?

(4) क्या यह भी सही है कि सारे यातायात कम्पनियों के दफ्तर अभी जयपुर शहर में ही हैं ?

(5) क्या इस नगर की योजना अनुसार सारे ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर में होंगे ? यदि नहीं, तो कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा आगरा दिल्ली बाई-पास पर ट्रक स्टेण्ड योजना विकसित की गई है।

(2) नगर विकास न्यास द्वारा राज्य-सरकार की स्वीकृति के अनुसार जयपुर ट्रांसपोर्ट की एसोसियेशन के माध्यम से उस के सदस्यों के लिए 31,466 वर्ग गज भूमि 35.00 रुपये प्रति वर्ग गज भूमि एवं 11.900 वर्ग गज भूमि 100.00 रुपये प्रति-वर्ग गज एव 5 प्रतिशत शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवंटित की गई। एसोसियेशन के माध्यमों से उसके 205 सदस्यों को भूमि का आवंटन किया गया। विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(3) जी हां। परन्तु बढ़ती हुई आबादी के कारण सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, जिसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं, जिन में से कुछ नगर की चार दीवारी के अन्दर कुछ चार दीवारी के बाहर हैं। 37 ट्रांसपोर्ट कम्पनियों ने आवंटित भूखण्डों पर निर्माण भी कर लिया है।

(5) टांसपोर्ट एसोसियेशन के माध्यम से 205 ट्रांसपोर्टस को भूखण्ड ट्रक स्टेण्ड में दिये जा चुके हैं जहां ट्रकों के खड़े होने के लिए पर्याप्त खुली जगह का प्रावधान है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं का मामला

509. श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, जयपुर के आदेश दिनांक 25-7-74 के द्वारा 22 कनिष्ठ अभियन्ताओं ने अग्रिम प्रतीक्षा नियुक्ति आदेश प्रसारित होने तक मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, जयपुर में उपस्थिति दी थी ? यदि हां, तो किस-किस कनिष्ठ अभियन्ता ने वहां कितने-कितने समय कार्य किया और क्या उक्त अवधि के वेतन का उन्हें भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो अभी तक वेतन का भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) इस अवधि के नियमितता के आदेश प्रसारित न होने के कारण क्या उनकी वेतन वृद्धि और नवीन वेतनमान उनका स्थिरीकरण रुका हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के उक्त अवधि के प्रतीक्षा नियुक्ति आदेश को नियमित करने

(श्री रामदेव चौधरी)

के आदेश प्रसारित करने का कोई विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 25-7-74 को जो आदेश जारी किया गया उसके अनुसार दिनांक 1-8-74 से एक खण्ड व उसके दो उपखण्डों की समाप्ति के कारण 9 उप कनिष्ठ अभियन्ता के पद समाप्त किये गये थे। एक अन्य आदेश दिनांक 29-7-74 के अन्तर्गत ऐसे 30 पद समाप्त किये गये। जिन-जिन उप कनिष्ठ अभियन्ताओं को अन्य स्थान पर पदस्थापन हेतु अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में रहना पडा व जितने समय वे आदेशों की प्रतीक्षा में रहे, संलग्न सूची में अंकित है। आदेश की प्रतीक्षा अवधि का नियमन करने की कार्यवाही की जा रही है, नियमन होने पर वेतन भुगतान किया जा सकेगा।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इस विषय में शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

भ्रष्टाचार को रोक-थाम

510. श्रीबाल कृष्ण थानवी (फलौदी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य पुलिस विभाग में भूतपूर्व सरकार के साये में फले-फूले भारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए (जिसमें हर पुलिस थाने क्षेत्र में आने वाले ट्रक चालकों से ली जाने वाली रिश्वत एवं अन्य मामलों में ली जाने वाली घूस का भी सामावेश है), राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का पुनर्गठन कर इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक सतर्कता संगठन स्थापित किया हुआ है। यह संगठन अपर पुलिस महा निरीक्षक के निर्देशन में कार्य करता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये हर तरह से समुचित वातावरण भी बनाया जा रहा है।

चम्बल नदी की नहरों के पानी से सीपेज के कारण फसल एवं जमीन को क्षति

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल नदी की नहरों के पानी से सीपेज के कारण जमीन व फसल को विगत दिनों काफी क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने सीपेज रोकने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में सिंचाई दर अन्य राज्यों से अधिक है ? यदि हां तो राज्य सरकार सिंचाई दरों को संशोधित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि बिना सिंचाई की फसल पर भी सिंचाई कर लिया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि निजी कुओं से बिजली मोटर द्वारा सिंचाई किये जाने पर भी सिंचाई कर वसूल किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) चम्बल नदी की नहरों से सिंचाई लागू किए जाने के पश्चात् चम्बल सिंचित क्षेत्र में जलावरोध की समस्या अवश्य उत्पन्न हो गयी है, परन्तु इस समस्या का कारण केवल नहरों का सीपेज ही नहीं, बल्कि आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग, सिंचाई हेतु पानी एवं अन्य साधनों का गलत तरीके से उपयोग आदि भी है।

जलावारोध की समस्या प्रारम्भ से ही है तथा इस समस्या में विगत दिनों में कोई विशेष बढ़ोतरी देखी गयी हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। जहां तक जलावरोध की समस्या को निवारण करने का प्रश्न है, इसके लिए सिंचित क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत विश्व बैंक ऋण द्वारा जलोत्सरण योजना तैयार कर लागू की जा रही है। सीपेज को कम करने हेतु नहरों को पक्का किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु इसके पश्चात भी नहरों के दस लाख वर्ग फीट भाग से लगभग 2 क्यूसेक्स की दर से पानी की सरण होती रहती हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

हिण्डौन डिपो में गाड़ियों का अभाव

512. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन डिपो में रोडवेज की गाड़ियों का अभाव है एवं सबसे खराब गाड़ियां लगा रखी हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि ये गाड़ियां आये दिन खराब होती हैं और यात्रियों को परेशानी होती है?

(3) क्या यह भी सही है कि मंडावर करौली रूट पर यात्रियों को आये दिन बसों के इन्तजार में पूरे दिन इन्तजार कर के घर को वापस लौटना पड़ता है?

(4) क्या यह भी सही है कि हिण्डौन बस स्टेण्ड पर यात्रियों को बैठने एवं अन्य कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है?

(5) यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध क्या व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) दिनांक 1-3-78 को हिण्डौन आगार में निर्धारित नार्म्स के मुताबिक चार गाड़ियों की कमी थी जिसकी पूर्ति शीघ्र की जा रही है।

(2) जी नहीं। हिण्डौन आगार में ब्रेक डाउन निर्धारित नार्म से कुछ अधिक है जिसके सुधार के लिये प्रयत्न जारी हैं।

(3) जी नहीं। मंडावर से महुवा अराष्ट्रीयकृत मार्ग है तथा महुवा से करौली राष्ट्रीयकृत मार्ग है। मंडावर से महुवा-हिन्डौन मार्ग पर निगम द्वारा 2 एकल सेवायें संचालित की जा रही हैं। महुवा से करौली मार्ग पर 18 सीधी एकल सेवायें तथा महुवा से हिन्डौन व हिन्डौन से करौली क्रमशः 18 व 22 एकल सेवायें वर्तमान में संचालित की जा रही है।

(4) जी नहीं। हिण्डौन में बस स्टेण्ड नगर पालिका की भूमि में है, जहां पर एक

(यातायात मन्त्री)
पैसेन्जर शैड व प्याऊ के अतिरिक्त दो बुकिंग केबिन की व्यवस्था है। यह भूमि निगम की नहीं होने के कारण अन्य कोई सुविधा बस स्टेण्ड पर निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। बस स्टेण्ड निर्माण के लिये भूमि आंवटन हेतु जिलाधीश, सवाई माधोपुर से पत्र व्यवहार जारी है तथा निगम को भूमि का आवंटन होने के पश्चात् साधन होते ही सभी आवश्यक सुविधायुक्त बस स्टेण्ड के निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

(5) इसका उत्तर प्रश्न के भाग चार में दे दिया गया है।

बांसवाड़ा जिले के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय

514. श्री नाथूराम (बागीदोरा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कक्षावार वर्ग संख्या एवं अगस्त से फरवरी तक प्रत्येक मास में कार्यरत अध्यापकों की संख्या बताते हुए सूची, बस रूट पर स्थित विद्यालयों की सूची पृथक से संलग्न करते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता से भी कम अध्यापक कार्यरत रहे हैं एवं नगर क्षेत्र व बस रूट पर स्थित शालाओं में काम करने वाले अध्यापकों की संख्या का अनुपातिक तालमेल नहीं है ?

(3) क्या इससे पिछड़े हुए क्षेत्र के छात्रों की पढ़ाई की ओर उपेक्षा प्रकट नहीं होती ?

उत्तर

(1) सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) (अ) जी हां। कम रहे हैं।

(ब) सभी शालाओं में अनुपात समान है।

(3) जी नहीं। पदों को आंवटन की कमी से कुछ क्षेत्रों में यह स्थिति बनी है जिसको शीघ्र ही पूरा किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झुन्झुनूं जिले में कृषि के लिये बिजली का मामला

521. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस बार झुन्झुनूं जिले में कृषि के लिए दी जाने वाली बिजली दिसम्बर महीने से ही सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक नहीं दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बार की भयंकर सर्दी में दिन में बिजली नहीं मिलने के कारण रात में सिंचाई करने के कारण कई लोग मौत के मुंह में चले गये ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में आगे क्या व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सारे जिले में 8 बजे से 2 बजे तक बिजली नहीं दी जाती हो

(विद्युत मन्त्री)
ऐसी बात नहीं है, पर विभिन्न फीडर्स पर आवश्यकतानुसार स्टेगरिंग अवश्य किया जाता रहा है।

(2) सिचाई के लिये दिन में बिजली हर फीडर पर बारी बारी से उपलब्ध कराई गई है, केवल कुछ घन्टे स्टेगरिंग किया जाता था। रात में सिचाई करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं है।

कनिष्ठ लिपिक के बकाया वेतन का मामला

523. श्री मदनसिंह दांता(दांतारामगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भाग चन्द्र कनिष्ठ लिपिक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, दांता सीकर पहिले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्य करता था ? अगर हां, तो उन्होंने कब से कब तक कार्य किया ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री जैन का उस समय का वेतन बकाया पड़ा हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ? इन्हे वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व यातायात मंत्री ने विधान सभा में आश्वासन दिया था कि वेतन का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायगा ? अगर हां, तो आज तक भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में यातायात मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में कई दफा आदेश दिये ? अगर हां, तो इन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां. श्री भागचन्द्र जैन भूतपूर्व रोडवेज विभाग के कर्मचारी थे। रोडवेज विभाग के स्थान पर वर्तमान निगम की स्थापना दिनांक 1-10-1964 से हुई थी। निगम की स्थापना पर रोडवेज विभाग के सभी कर्मचारियों को निगम में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था। श्री जैन भी उनमें एक थे इनका राज्य सेवा में समावेश हो जाने के कारण निगम द्वारा इन्हें राज्य सेवा के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश दिनांक 16-1-68 को प्रसारित किये गये थे।

(2) श्री जैन को इनको निगम में प्रतिनियुक्ति अवधि में निलम्बित किया गया था तथा इनके विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन थी। अतः इस निलम्बन अवधि के वेतन भुगतान के प्रश्न का निर्णय जांच पूर्ण होने तक नहीं लिया गया था। इनके विरुद्ध जांच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विचाराधीन थी।

(3) जी नहीं। विधान सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि इनके विरुद्ध विचाराधीन जांच पूर्ण होने पर वेतन भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा। इनके विरुद्ध विचाराधीन जांच पर निर्णय ले लिया गया है। तथा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 13-12-77 द्वारा इनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने तथा निलम्बन काल की अवधि का भुगतान नहीं करने की

(यातायात मन्त्री)
सजा दी गई है। इस प्रकार इनके वेतन भुगतान का प्रश्न समाप्त हो गया।

(4) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7-3-78)

आसीन्द जिला भीलवाड़ा का गढ़

74. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द जिला भीलवाड़ा का गढ़ राज्य सरकार की सम्पत्ति है? यदि हां, तो वहां कौन-कौन से कार्यालय कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि गढ़ ही में कांग्रेस कार्यालय हेतु भी स्थान दिया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के अधीन और कितने किराये पर? यह किराया किसके द्वारा निर्धारित किया गया?

(3) क्या किराया नियमित रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा जमा कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। इस गढ़ में तहसील पुलिस स्टेशन, कृषि उपज मंडी समिति, वन विभाग, कृषि विभाग एवं कांग्रेस कार्यालय कार्यरत है।

(2) कांग्रेस कार्यालय भी इसी गढ़ के एक भाग में सन् 1973 से पूर्व से ही चल रहा है। जिस समय कांग्रेस कार्यालय को गढ़ में स्थान दिया गया था उस समय जागीरदार ने किन नियमों के तहत किराये पर दिया इसकी जानकारी नहीं है और न हो किराये के निर्धारण एवम् उसकी राशि की जानकारी राज्य सरकार के पास है।

(3) जी नहीं। इस प्रश्न के पूछे जाने पर ही वर्तमान राज्य सरकार को यह पता चला है कि उक्त कांग्रेस कार्यालय का किराया नहीं दिया जा रहा है किराया निर्धारण एवं वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर का चिड़ियाघर

229. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर का चिड़ियाघर पशुओं के दुर्लभ प्रजनन के लिये विख्यात है? इस चिड़िया घर में आने वाले दर्शकों से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है? पिछले तीन वर्षों के आंकडे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) चिड़िया घर की ख्याति और इसकी आवश्यकता के अनुरूप राज्य सरकार इसके विकास के लिये क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या यह सही है कि चिड़िया घर के शेरों-तेंदुओं के रख रखाव की उचित व्यवस्था नहीं है? जगह की कमी होने से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

क्या इसके प्रजनन में कोई बाधा आ रही है ? यदि हां, तो इसके लिये राज्य सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

(4) जयपुर चिड़ियाघर में कुल कितने शेर और तेंदुए हैं ? क्या यह सरकार की जानकारी में है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने केवल पांच-पांच शेरों से अपने यहां सफारी पार्क बना कर देश-विदेश के पर्यटकों को अपने यहां आकर्षित करना आरम्भ कर दिया है ? क्या चिड़ियाघर के इन शेरों की संख्या के आधार पर जयपुर में सफारी पार्क बनाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो सफारी पार्क की योजना कैसे और कब से लागू की जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर की ढाई सौ वीं वर्ष गांठ के उपलक्ष में जयपुर चिड़िया घर में हरिण पार्क बनाया गया था ? क्या वह पार्क बन गया है और उनमें हरिण छोड़े जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और इस पार्क में कब तक हरिण छोड़ दिए जायेंगे ?

(6) जयपुर चिड़ियाघर में कुल कितने कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या चिड़िया घर की आवश्यकताओं के अनुसार यह स्टॉफ पूरा है ? यदि नहीं, तो स्टॉफ बढ़ाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? क्या यह सही है कि चिड़ियाघर में वर्क चार्ज पर कई कर्मचारी पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं ? क्या राज्य सरकार इनको स्थाई करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इन्हें कब से स्थाई किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर चिड़िया घर में कई दुर्लभ पशु-पक्षियों का प्रजनन हुआ है और उसके लिए इसको अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। पिछले तीन वर्षों की आय व दर्शकों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	आय	दर्शकों की सं०
74–75	52471.30	521743
75–76	60096.20	564028
76–77	107101.60	521508

(2) इस चिड़िया घर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसके विकास के लिए निम्न कार्य किये गये हैं:—

1. बन्दरों के पिंजरों का निर्माण
2. चिड़ियाओं के पिंजरों का निर्माण
3. मगर मच्छ के बड़े तालाब का निर्माण
4. रेप्टाइल हाऊस का निर्माण
5. ओवर हेड टेन्क का निर्माण
6. झूला पुल
7. विजिटर पाथ
8. प्राकृतिक इतिहास संग्राहालय

इसके अतिरिक्त टाइगर व पेन्थर (तेन्दुआ) के लिये नये बड़े पिंजरों के बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) वर्तमान में शेरों और तेन्दुओं के लिये आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है। उनको छोटे पिन्जरों में रखा हुआ है। इसके लिये बड़े पिन्जरे बनाने के लिये

(82)

मंत्री)
निक निर्माण विभाग से अतिरिक्त प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जा हैं। इन पिंजरों के निर्माण हेतु 000- रुपये की धनराशि सार्वजनिक ाण विभाग में जमा भी करा दी है।

जयपुर चिड़िया घर में इस समय लाइन (शेर), 2 टाइगर और 2 पेन्थर हुए) हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सफारी पार्क बनाये गये हैं। इसकी य सरकार को जानकारी है। जयपुर भी एक सफारी पार्क बनाने की योजना ान्य सरकार के विचाराधीन है।

यह सही है कि जयपुर की ढाई सौ वर्षगांठ के उपलक्ष में जयपुर चिड़िया में एक हरिण पार्क का निर्माण किया या है। यह हरिण पार्क बन कर तैयार चुका है, परन्तु अभी तक इसमें हिरण हीं छोड़े गये हैं कारण कि इस हिरण र्क में मोती डूंगरी रोड स्थित 'स्लाटर उस' तथा राम निवास बाग का गन्दा नी आकर एकत्रित होता है। वर्षा तु में तो यह पानी इतनी मात्रा में आता कि यह सारा पार्क पानी में डूब जाता है। स सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्पर्क कर उचित व्यवस्था के प्रयत्न ये जा रहे हैं जिसके उपरान्त इसमें रण छोड़ना सभव हो सकेगा।

जयपुर चिड़िया घर में स्टॉफ निम्न ार है:—

स्थायी स्टॉफ

.	अधीक्षक	1.
.	कनिष्ठ लिपिक	2.
3.	केयर टेकर	9
4.	चौकीदार	3
5.	स्वीपर	2
6.	मिस्त्री	2

चिड़िया घर की आवश्यकता को देखते हुए स्थायी स्टॉफ की संख्या बहुत कम है। अतः कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये निम्न कर्मचारी अस्थायी रूप से लगाये गये हैं :—

1.	वर्क चार्ज पर	19
2.	मस्टर रोल पर	10

यह अस्थायी कर्मचारी लगभग गत 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इनको न्यूनतम वेतन 150/- माहवार दिया जाता है। राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ. 13 (1) राजस्व 8/77 दिनांक 21 मार्च 1978 द्वारा जयपुर चिड़िया घर के 8 दैनिक मजदूरी वाले पदों को चतुर्थ श्रेणी पदों में परिवर्तित कर दिया है। राज्यादेश होने पर वर्तमान कर्मचारियों का समायोजन संभव हो सकेगा।

बसों की जाँच कर रूट पर चलाना

230. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बसों व अन्य परिवहनों की जांच कर के ही रूट पर चलने के लिये परमिट दिये जाते हैं ?

(2) क्या यह नियम रोडवेज की बसों पर भी लागू है ? यदि हां तो, आज की

(श्री रामकरण सिंह)
तारीख में कितनी बसें हैं जो रोड पर नियमों के आधार पर चलने योग्य हैं और कितनी बेकार हैं ? डिपोवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कोटपूतली डिपो की किस-किस नम्बर की बसों को कब-कब जांच कर रूट पर चलने योग्य किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। दिनांक 28-2-78 को आन रोड व आफ रोड वाहनों की डिपोवार सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)।

बाड़मेर जिले में ओल्ड ऐज पैन्शन के विचाराधीन मामले

231. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में ओल्ड ऐज पैन्शन के अब तक कुल कितने लोगों को मिली ? सूची मय नाम एवं पतों के तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त विषय में किन-किन की दरख्वास्तें पैन्डिंग हैं ? उनकी तहसीलवार सूची मय नाम एवं पतों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त दरख्वास्तों पर कब तक निर्णय कर लिया जायगा।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में अब तक कुल 495 व्यक्तियों की वृद्धावस्था पैन्शन स्वीकृत की गई है। तहसीलवार सूची मय नाम एवं पतों के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील सिवाना के 2 व्यक्तियों एवं तहसील पचपदरा के 1 व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र पैन्डिंग है। सूची मय नाम एवं पतों के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह तीनों आवेदन-पत्र आयु के प्रमाणीकरण के अभाव में पैन्डिंग हैं, जिनके प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्रों पर निर्णय ले लिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के पुस्तकालय अध्यक्ष का पद

232. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करें:—

(1) श्री रामसिंह मेहता, पुस्तकालयाध्यक्ष; माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत)

शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (समाज कल्याण विभाग) उदयपुर को क्यों रिवर्ट कर मेडिकल कॉलेज; उदयपुर में भेजा गया ?

(2) श्री रामसिंह मेहता ने दिनांक 11-10-72 से 10-10-77 तक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्य किया एवं वह एक अनुभवी और पुस्तकालय-विज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी हैं ?

(3) क्या दिनांक 10-10-77 से आज तक उनका एल. पी. सी. मेडिकल कालेज, उदयपुर में नहीं भेजे जाने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

(4) क्या आज दिन तक पुस्तकालयाध्यक्ष का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री मेहता को प्रधानाचार्य, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान ने बिना पुस्तकालय का चार्ज लिये ही निदेशक कालेज शिक्षा, जयपुर के लिए कार्य मुक्त कर दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) श्री रामसिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान; उदयपुर के अस्थायी कर्मचारी थे। श्री मेहता रवीन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर के स्थायी वरिष्ठ लिपिक हैं। उनका कार्य संतोषप्रद नहीं होने के कारण उन्हे उनके पैत्रिक विभाग रवीन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर में वापस भेज दिया गया।

(2) जी हां। श्री रामसिंह मेहता ने माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में दिनांक 11-10-72 से 10-10-77 तक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्य किया एवं वे पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। किन्तु उनका कार्य आवश्यकतानुसार सन्तोषप्रद नहीं था।

(3) जी हां। श्री मेहता द्वारा पुस्तकालय की 45 पुस्तकें, जिनकी कीमत रुपया 1188.25 है, कमी होने के कारण एवं नोटिस दिये जाने के बावजूद भी पुस्तकें अथवा उनकी कीमत जमा नहीं कराने के कारण एल. पी. सी. जारी करने में बाधा है।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष का पद इस समय रिक्त है। इस पद को भरने हेतु एन. ए. सी. प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया है।

(5) जी हां। श्री मेहता का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 7-9-77 द्वारा हुआ था। श्री मेहता बिना पूर्व अनुमति के दिनांक 9-9-77 से अवकाश पर थे जो अवकाश के बाद दिनांक 28-9-77 को उपस्थित हुए। श्री मेहता को पुस्तकालय का चार्ज संभालने हेतु प्रधानाचार्य, माणिक्यलाल वर्मा-आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 21-9-77, पत्र दिनांक 28-9-77 एवं 30-9-77 को निर्देश दिये। लेकिन मौखिक भी कई बार कहने के बावजूद श्री मेहता ने चार्ज नहीं संभलाया और जानबूझ कर करीब एक महीने की अवधि

(समाज कल्याण मंत्री)

व्यतीत कर दी। अतः दिनांक 10-10-77 को बिना चार्ज दिये ही कार्य मुक्त करने के आदेश पारित किये गये।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, गंगापुर में दायर मुकदमा

233. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही कि न्यायालय मुन्सिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी बइजलास श्री प्रवेश कुमार आर. जे. एस. ने मुकदमा नम्बर, फौजदारी नम्बर 646/74 अण्डर सेक्शन 332, 323, 224, 225/34 आई. पी. सी. सरकार बनाम छंगा वगैरह के निर्णय में श्री बुनियाद अली मुन्शी (हैड कांस्टेबल) द्वारा झूठा मुकदमा तैयार करने के कारण राज्य सरकार को उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने की अभिशंषा की है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त कर्मचारी बुनियाद अली मुन्शी पुलिस चौकी बामनवास के विरुद्ध मुकदमा दायर कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं; तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अदालत ने मुलजिमान को आरोप से बरी करते हुए श्री बुनियाद अली को शो काज नोटिस जारी करने के आदेश दिये थे। कि उसके विरुद्ध क्यों न झूठा मुकदमा बनाने व अदालत में झूठी शहादत देने के लिये मुकदमा चलाया जावे।

(2) अदालत ने स्वयं मुन्शी श्री बुनियाद अली को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 193 आई. पी. सी. को दिया था। श्री बुनियाद अली के जवाब प्रस्तुत करने पर अदालत ने जवाब से सन्तुष्ट हो कर नोटिस दफा 193 को ड्राप कर दिया। अतः-राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने-का प्रश्न पैदा नहीं होता।

दांतारामगढ़ के थानेदार का स्थानान्तरण

234. श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ में थानेदार श्री सोहनलाल पारीक को लगाया गया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि 15 रोज बाद श्री पारीक का स्थानान्तरण कर दिया गया था ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानान्तरण वापस निरस्त वहां के विधायक के कहने पर किया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री पारीक ने वहां जाने के बाद ही पुरानी चोरियां, मर्डर केस निकाले ? अगर हां, तो किनके ?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री पारीक के मामले में सीकर पुलिस अधीक्षक ने पत्रों में कहा है कि ऐसा थानेदार सीकर जिले में दूसरा कोई नहीं है ?

Page No 37

(37)

(श्री मदनसिंह दांता)
अगर हां, तो बाद में बार-बार स्थानान्तरण क्यों किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री सोहनलाल पारीक को दिनांक 10-8-77 के आदेश से दांता-रामगढ़ थाने पर माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक के आग्रह पर लगाया गया था।

(2) जी हां। बीकानेर रेन्ज में पुलिस उप-निरीक्षकों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक हो जाने के कारण कुछ उप-निरीक्षकों का स्थानान्तरण बीकानेर रेन्ज से अन्य रेन्जों में करना आवश्यक हो जाने के कारण उपनिरीक्षक सोहनलाल पारीक का स्थानान्तरण जोधपुर रेन्ज में पुलिस महानिरीक्षक के आदेश दि. 2-9-77 से किया गया था।

(3). श्री सोहनलाल का जोधपुर रेन्ज का स्थानान्तरण गृह मन्त्रीजी के आदेश से महानिरीक्षक, राजस्थान द्वारा दिनांक 14-9-77 को निरस्त किया गया था।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

235. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कितने ऐसे आई० ए० एस० अधिकारी हैं जिनके खिलाफ शासन में रहते हुए नाजायज फायदा उठाने व पद के प्रभाव से विभागों व सरकार को नुकसान पहुँचाने की शिकायतें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) ऐसे अधिकारी कौन-कौन हैं जिन्होंने विधायकों या मंत्रियों की बात तक नहीं सुनी जिसकी शिकायत आपके पास हुई ?

उत्तर

(1) ऐसे 9 आई० ए० एस० अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध शासन में रहते हुए नाजायज फायदा उठाने व पद के प्रभाव से विभागों को व सरकार को नुकसान पहुँचाने की शिकायतें हैं। सूची संलग्न है।

(2) इस विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सहकारी समितियों द्वारा सूखी मेवा के आयात में घोटाला

236. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य में सहकारी समितियों द्वारा सूखी मेवा के आयात में किये गये घोटाले के सम्बन्ध में किन्हीं अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई मामला चल रहा है ? यदि हां, तो कब से किन-किन के खिलाफ ?

(2) इस मामले में अब तक कौन-कौन कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाये गये ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(3) इसका चालान कब किया गया ? तथा नहीं किया है, तो कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि नागौर जिले की सहकारी समितियों के नाम से सूखी मेवा विदेशों से व ईराक से मंगवाई गई खजूर के सम्बन्ध में अपराध संख्या 16/74 अन्तर्गत धारा 120 बी, 420, 468 भा० द० सं०, 5 (1) (2) और 5 एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कन्ट्रोल एक्ट श्री शंकरलाल शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जिला नागौर एवम् सर्व श्री राम सहाय, निरीक्षक व इशाक मोहम्मद, उप-निरीक्षक के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया व मामला अभी अनुसंधानाधीन है। उक्त अपराध दिनांक 1-3-74 को पंजीबद्ध किया गया था।

(2) अपराध अभी भी अनुसंधानाधीन है। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि कौन-कौन कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाये गये हैं।

(3) मामला अनुसंधानाधीन है। अतः चालान कर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अनुसंधान पूर्ण होने पर तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जावेगा और अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करने के लिये प्रयत्न जारी है।

पुनर्गठन जल योजना, नागौर

237. श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर पुनर्गठन जल योजना, नागौर की स्वीकृति के समय राज्य सरकार के मुख्य अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, राजस्थान जयपुर को स्पष्ट निर्देश थे कि उक्त योजना के जल स्रोतों को अन्तिम रूप देने से पूर्व किसी प्रकार के सिविल वर्क (निर्माण कार्य) नहीं करवाये जायें ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन निर्देशों के विपरीत अधिशाषी अभियन्ता, नागौर ने सिविल वर्क करवा लिये ? यदि हां, तो अलग-अलग कार्यों का विवरण मय लागत के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जल योजना के जल स्रोतों को अन्तिम रूप मार्च, 77 तक नहीं दिया गया ? यदि जल स्रोत उक्त क्षेत्र में नहीं पाये गये तो जो निर्माण कार्य निर्देशों के विपरीत करवाये गये हैं, उनके लिये दोषी अधिकारी कौन है ?

(4) क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(5) जल योजना पर (पाइप की लागत छोड़कर) विभिन्न मदों में कर्मचारियों को वेतन सिविल वर्क पर आज तक कितना खर्च किया गया ?

(6) क्या नागौर पुनर्गठन योजना पर कर्मचारी (लिपिक वर्ग) रखे गये ? क्या उनकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं की तो अनधिकृत नियुक्तियों के लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ऐसे कोई निर्देश थे ही नहीं अतः उनके विपरीत सिविल कार्य कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराये गये सिविल कार्यों की सूची मय लागत के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। भू-जल विभाग के द्वारा बताये गये स्थानों पर 5.00 लाख गैलन अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने हेतु जल स्रोत का चयन हो चुका है।

(4) इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) मार्च, 77 तक सिविल वर्क्स पर नियुक्त कर्मचारियों पर कुल 18,000 रु० का खर्चा किया गया है।

(6) जी हां। लिपिक को अस्थाई रूप से वर्क चार्ज में रखने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता को है। सम्बन्धित राज्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। ऐसी स्थिति में अनधिकृत नियुक्तियां करने व उसके लिए जिम्मेवार होने का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जयपुर के अस्पतालों में खराब पड़े उपकरण एवं मशीनें

240. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल, जनाना अस्पताल और टी. बी. सेनेटोरियम में कई उपकरण और मशीनें वर्षों से खराब हालत में पड़ी हैं ? इनकी पृथक-पृथक सूची खराब होने की अवधि तथा लागत और ठीक करने के लिये होने वाले व्यय का अनुमान दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या इन उपकरणों और मशीनों को ठीक कराकर काम में लेने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) (अ) टी. बी. सेनेटोरियम में इस प्रकार की कोई भी मशीन एवं उपकरण खराब हालत में नहीं हैं।

(ब) सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं जनाना चिकित्सालय, जयपुर में जो उपकरण एवं मशीनें खराब हालत में पड़ी हैं उनकी सूचना संलग्न है।

(2) केवल एक उपकरण ठीक कराने की अवस्था में है जिसके लिए निविदा प्राप्त हो गए हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

खाद्य अपमिश्रण के मामले

241. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वर्ष 1976 एवं 1977 (जनवरी से दिसम्बर) में कुल कितने-कितने खाद्य अपमिश्रण के नमूने लिये गये तथा कितने नमूनों में अपमिश्रण पाया गया? कितने मुकदमे कोर्ट में दायर किये गये? वर्षवार पृथक-पृथक बताने का कष्ट करें।

(श्री करतारसिंह)

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1976 की तुलना में वर्ष 1977 में खाद्य अपमिश्रण के नमूने नहीं के बराबर हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में भी खाद्य सामग्रियों में अपमिश्रण हो रहा है, यदि हां, तो राज्य सरकार खाद्य सामग्रियों में अपमिश्रण रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

(4) राज्य सरकार द्वारा खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सामग्रियों के नमूने लेने में आज तक रोक लगाये रखने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 54 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में वर्ष 1976 एवं 1977 में लिए गये नमूनों का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुल लिए गये नमूनों की सं०	कुल मिलावटी पाये नमूनों की सं०	कोर्ट में दायर केसेज
1976	6243	2184	2497
1977	1791	431	985*

*वर्ष 1977 में केसेज के चालान की सूचना भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, चित्तोड़गढ़ जिलों से अभी अप्राप्य है।

(2) वर्ष 1976 की तुलना में वर्ष 1977 में खाद्य पदार्थों के नमूने कम संख्या में होने से निम्न कारण हैं :-

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 25(1) एम. ई. 275/ग्रुप-1 दि० 20-4-77 के द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षकों के खाद्य निरीक्षक के अधिकार वापस ले लिये।

2. राज्य सरकार के पत्रांक एफ 25 (1) एम. ई./75 दि० 27-4-77 के द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये कि साबुन, मसाले, गेहूं, दालें आदि प्राइमरी फूड के नमूने नहीं लिये जावें और निर्माताओं व थोक विक्रेताओं से ही नमूने लेने को प्राथमिकता दी जावे।

(3) खाद्य सामग्रियों में मिलावट की शंका होने के सम्बन्ध में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। मिलावट रोकने के लिए अभी हाल ही में राज्य सरकार ने अधिसूचना क्र. एफ. 8(40) चि. स्वा./68/ग्रुप-1 दिनांक 2-11-77 के द्वारा समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) को उनके जिले में आने वाले स्थानीय क्षेत्रों के लिये खाद्य शक्तियां प्रदान की हैं तथा राज्य सरकार की सहमति से निदेशालय के पत्रांक 153 दिनांक 12-1-78 के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। अतः इस प्रकार खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट में कमी आवेगी। राज्य में मिलावट को रोकने के सम्बन्ध में सभी जिलों में प्रचार के द्वारा जनता को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। जिससे कि अधिक से अधिक मिलावट को रोकने में सहयोग प्रदान कर सकें।

अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के 6 जिलों क्रमशः अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में मिलावट विरोधी सघन अभियान चलाने की सहमति भी राज्य सरकार ने दे दी है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(4) रोक लगाने के आदेश 12–1–78 को वापस ले लिए गए हैं।

राज्य में नसबन्दी का लक्ष्य

242. श्री राम सिंह विश्नोई (लूनी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राज्य में वर्ष 76-77 में नसबन्दी के क्या लक्ष्य रखे गये थे व कितनी उपलब्धियां हुई ?

(2) वर्ष 77-78 में राजस्थान में नसबंदी का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है व 31 दिसम्बर 1977 तक कितनी उपलब्धि हुई है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1976-77 के लिए भारत सरकार द्वारा नसबन्दी का लक्ष्य 1,75,000 रखा गया था जिसको राज्य सरकार ने 3,30,000 कर दिया। कुल 3,64,760 नसबन्दी आपरेशन किये गये।

(2) वर्ष 1977-78 के लिये राजस्थान में नसबन्दी का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है व 31 दिसम्बर, 1977 तक 8512 नसबन्दी आपरेशन हुए हैं।

जिला जालोर के लघु सिंचाई बांध

243. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर जिला जालोर में नेपड़ लूनी क्षेत्र में बने लघु सिंचाई बांध अत्यधिक वर्षा के कारण टूट गये हैं ? अगर हां, तो कुल कितने बन्ध थे, जिनमें से कितने टूट-फूट गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि टूटे-फूटे बंधों का अभी तक पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उनका पुनर्निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि चितलवाना बांध के निर्माण के कारण अब चितलवाना एवं केरिया के बीच होकर लूनी नदी ने अपना रास्ता पलट लिया है ? अगर हां, तो कब से ? अब वापस लूनी नदी का नया बहाव रोक कर पुराने बहाव में पानी वापस ले जाने के लिये सिंचाई विभाग ने अब क्या-क्या कार्यवाही की है ? इस नई योजना की मंजूरी कब तक करवाई जाकर वापस पुराने कोर्स में लूनी नदी का पानी कब तक डाल दिया जावेगा।

(4) क्या यह भी सही है कि लूनी नदी का सांचोर में बहाव बदलने के कारण इस बार काश्तकारों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है एवं उनकी काश्त जमीन खारी हो गई है एवं नाकाबिल काश्त हो गई है ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों को क्या-क्या राहत दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं दी गई ? भविष्य में क्या राहत दी जावेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि लूनी नदी का कोर्स चेंज होने से इस बार गेहूं की रबी सेवज फसल बहुत कम हुई है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार वर्षा से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
पहले नई स्कीम क्रियान्वित करके क्या काश्तकारों को होने वाले नुकसान को रोकने में समर्थ होगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जालौर की सांचौर तहसील में लूनी नदी पर लघु सिंचाई के 12 बांध थे जिनमें से गत वर्ष 5 बांध अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे।

विवरण निम्न प्रकार है: —

सांचोर तहसील जिला जालौर के लघु सिंचाई कार्य

क्रमांक	नाम	विवरण
1.	डूठवा फर्स्ट क्रास बांध	अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गया।
2.	सुराचन्द क्रास बांध	"
3.	खेजडियाली क्रास बांध	"
4.	सुजा की खाली क्रास बांध	" "
5.	दाम्पी क्रास बांध	"
6.	सुथरी क्रास बांध	क्षतिग्रस्त नहीं हुआ।
7.	हाकरा क्रास बांध	"
8.	होटी गांव क्रास बांध	"
9.	मालासर क्रास बांध	"
10.	चितलवाना क्रास बांध	"
11.	रतनपुरा क्रास बांध	"
12.	गलीफा क्रास बांध	"

(2) जी नहीं। क्षतिग्रस्त 5 बांधों में से 4 बांधों की मरम्मत का कार्य आगामी वर्षा काल से पूर्व पूर्ण करा दिया जायेगा। डूठवा बांध की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करवाया गया था, परन्तु उस क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा बाधा डालने के कारण कार्य नहीं करवाया जा सका है। इस कार्य को भी शीघ्र हाथ में लेकर पूर्ण करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। चितलवाना बांध के निर्माण के कारण नदी ने रास्ता नहीं बदला है गत वर्ष अतिवृष्टि होने पर नदी में ज्यादा पानी आने के फलस्वरूप नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था। नदी में ऊपर की ओर स्थित मांधव पुल के डाउन स्ट्रीम में जहां से लूनी नदी दो भागों में विभाजित होती है वहां पर डाइवर्शन कार्य की स्वीकृति हो चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के सम्पन्न होने पर लूनी नदी पुनः अपने मूल प्रवाह में बहने लगेगी।

(4) जी नहीं। लूनी नदी का सांचोर में बहाव बदलने के कारण अधिकतर क्षेत्र में लाभ ही हुआ है व इस वर्ष इस क्षेत्र में फसलें अच्छी हालत में हैं, किसी प्रकार की हानि की सूचना सिंचाई विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। राहत देने का सम्बन्ध सहायता विभाग से है।

(5) जी नहीं। लूनी नदी के दोनों प्रवाह मार्गों में पानी चला है और दोनों तरफ पानी फैलने से लाभ हुआ है लेकिन गत वर्ष आखरी वर्षा में पानी बदले हुए प्रवाह मार्ग में अधिक चला है और पुराने मार्ग में कम। इस प्रकार फसल दोनों मार्गों में बोई गई है व सिंचाई विभाग की जानकारी के अनुसार फसलों की स्थिति बहुत अच्छी है।

तहसील धरियावद का गागरी का बांध

244. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गागरी बांध, तहसील धरियावद जिला उदयपुर, जो कि योजना के आधार पर है, के अन्तर्गत कितनी जमीन, कुए, मकान आदि आये हैं ?

(2) जो भी जमीन व कुए, मकान डूब क्षेत्र में आये हैं उनका मुआवजा किसान को किस आधार पर देने का राज्य सरकार ने सोचा है ?

(3) अब तक कितने किसानों को मुआवजे की रकम अदा की गई है ? अगर नहीं तो किस वजह से व कब तक इसकी अदायगी की जायगी ?

उत्तर

(1) गागरी बांध, तहसील धरियावद जिला उदयपुर के अन्तर्गत जो जमीन, कुए व मकान आये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) जमीन, कुए एवं मकानों का मुआवजा सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा सम्पत्ति के वर्तमान मूल्यों के आधार पर निश्चित किया जाता है। कुछ अवसरों पर विभाग द्वारा सम्बन्धित काश्तकारों से आपसी विचार विमर्श व समझौता कर भी मुआवजा निश्चित कर लिया जाता है, जिसे राजस्व अधिकारियों के प्रमाणीकरण पश्चात् भुगतान किया जाता है।

(3) बांध के अन्तर्गत कुल 48 व्यक्तियों की जमीन डूब में आई है जिनमें से 36 व्यक्तियों को सूची के अनुसार रु० 49,170/- का चुकारा कर दिया गया है। सूची संख्या 1 में जिन कृषकों ने अपने खातेदारी अधिकार रखे हैं व सूची नं. 2 में दर्शायी गई है अब जमीन का कोई मुआवजा देना शेष नहीं है।

कुए:- कुल 9 व्यक्तियों के कुए डूब में आये हैं जिनके अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्राप्त हो चुके हैं। जिनकी कुल लागत रु० 12,880/- की है यह चुकारा इस माह के अन्त तक कृषकों को कर दिया जावेगा।

सूची संख्या 3 संलग्न है।

मकान:- कुल 34 व्यक्तियों के मकान डूब में आये हैं जिसकी कुल लागत रु० 34,326/-है। इनमें से सूची अनुसार 27 व्यक्तियों को 26,000/- का चुकारा हो चुका है अब शेष 7 व्यक्तियों को मकान के चुकारे के रु० 8,326/- बाकी रहते हैं जो कि इस माह के अन्त तक चुका दिये जावेंगे।

सूची संख्या 4 संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

तहसील भीलवाड़ा के विद्युतीकृत ग्राम

245. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) भीलवाड़ा तहसील के कितने गांव अभी तक ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत हो चुके हैं ?

(श्री कौशल किशोर जैन)

(2) उक्त क्षेत्र में कितने ग्राम ऐसे हैं जो ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत हैं और जहां कार्य चल रहा है ?

(3) वर्ष 1977-78 के अन्तर्गत क्या भीलवाड़ा तहसील के सभी गांव ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे ? अगर नहीं, तो भीलवाड़ा तहसील के सम्पूर्ण गांवों का विद्युतीकरण कब तक होगा ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा तहसील में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या इस समय 105 है ।

(2) भीलवाड़ा तहसील में चल रही 59 ग्रामों की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (जिसमें 2 ग्राम तहसील शाहपुरा तथा 57 ग्राम भीलवाड़ा तहसील के हैं) के सारे ग्राम विद्युतीकृत हो गये हैं ।

(3) जी नहीं । तहसील के सम्पूर्ण ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक संभव हो सकेगा, अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष

246. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगन्ज): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्ष 1977-78 के बजट में राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय, बालकों के माध्यमिक विद्यालयों एवं बी. एस. टी. सी. विद्यालयों में क्रमश: 63-37=101 पद पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान संख्या 11 में स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त पद किन-किन माध्यमिक शालाओं के लिए आवंटित किये गये हैं ? कृपया उनकी सूची संलग्न करें ।

(3) क्या उक्त पदों पर प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष कार्य कर रहे हैं ? नहीं तो क्यों नहीं ? कितने पद कब से रिक्त हैं तथा रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां की जावेंगी ?

उत्तर

(1) पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान 11 में निम्न प्रकार से मदवार पद स्वीकृत हैं:-

(ख) माध्यमिक बालकों/बालिकाओं के विद्यालय हेतु	30
(च) सामान्य	
बेसिक एस. टी. सी. विद्यालय (पुरुष)	4
बेसिक एस० टी० सी० विद्यालय (महिला)	3
कुल स्वीकृत पद	37

मद 277 शिक्षा (ख) माध्यमिक (ग) राजकीय माध्यमिक विद्यालय (II) बालिका विद्यालय के लिए 11 नम्बर स्केल में प्रिन्टेड बजट में 63 पद स्वीकृत दिखाये गये हैं जो गलत हैं । ये पद मूलत: स्केल नं० 9 में वरिष्ठ लिपिक कम पुस्तकालयाध्यक्ष के सृजित हैं, जिसके संशोधन हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव बजट के साथ दिये जाते रहे हैं परन्तु अभी तक संशोधन नहीं हो पाया है । पुस्तकालयाध्यक्षों के पद 11 नम्बर के स्केल में केवल मल्टीपर्पज हायर सैकण्डरी

(शिक्षा मन्त्री)

विद्यालयों के लिए ही सृजित हुए थे। अन्य विद्यालयों के लिये ये पद स्केल नं० 9 में ही स्वीकृत हैं।

(2) इन 37 पदों में से 36 पद जिन शालाओं को आवंटित कर रखे हैं उनकी सूची संलग्न है। शेष 1 पद रिजर्व में है। यह पद राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, जसवन्तपुरा (जालौर) के लिए है।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है।

शिक्षा विभाग में कार्यरत चपरासी व चौकीदारों का वेतन

247. श्री रामकरणसिंह(कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के शिक्षा विभाग में कितने चपरासी व चौकीदार हैं जिन्हें केवल 75/- रुपये माहवार ही वेतन मिलता है।

(2) इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पूरे समय सेवा करने पर भी इतने दिन तक इन्हें पूरा वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं?

(3) अब सरकार इनको कब तक वेतन दिलायेगी और इन्हें स्थायी कब करेगी?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2877 हैं जिन्हें 75/- रुपया माहवार मिल रहा है।

(2) अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पूरे समय काम नहीं लिया जाता अतः पूरे समय का वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इन अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 900 अंशकालीन कर्मचारियों को वरिष्ठतानुसार पूर्वकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्त करने के आदेश दिनांक 16-1-78 को जारी किये जा चुके हैं। अंशकालीन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का मामला विचाराधीन है।

सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर

248. मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में विधि कक्षाएं किस वर्ष प्रारम्भ की गई हैं और किन-किन पार्ट टाइम लेक्चरार की नियुक्ति की गई?

(2) प्रारम्भ से अब तक जिन-जिन विधि लेक्चरार की नियुक्ति हुई उनके प्रतिवर्ष के परीक्षा परिणाम क्या रहे?

(3) पार्ट टाइम लेक्चरार की नियुक्ति के क्या आधार बनाये गये हैं?

(4) क्या चांद मोहम्मद एडवोकेट ब्यावर ने भी सन् 1974, 1975, 1976 व 1977 के प्रारम्भ में ही अंशकालीन विधि व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिये थे?

(5) क्या भविष्य में, पैनल कमेटी द्वारा अंशकालीन विधि व्याख्याताओं के चयन की व्यवस्था को समाप्त कर राज-

Page No 46

(४६)

(मेजर श्री फतह सिंह)
स्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी चयन व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अपनाया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय; ब्यावर में विधि कक्षाएं 1971 से चालू की गई थीं। उक्त समय निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अंशकालीन विधि व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया था :

1. श्री जी. एन. माथुर
2. श्री चांद मोहम्मद
3. श्री पी. पी. गांधी

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सत्र 1973-74 से अंशकालीन विधि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी बना रखी है जिसके आधार पर अंशकालीन व्याख्याताओं को नियुक्ति दी जाती है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर

1250. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान महाविद्यालय में सहायक प्रो. श्रीमती माया चौधरी ने पी एच. डी. के रजिस्ट्रेशन के लिये अगस्त, 1977 में आवेदन किया था ?

(2) क्या यह सही है कि फूड एण्ड न्यूट्रीशन विषय पर शोध करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने वर्ष 1976-77 के लिए श्रीमती चौधरी को छात्रवृत्ति स्वीकृत की है ? क्या यह सही है कि यदि श्रीमती चौधरी का आवेदन पी. एच. डी. रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रेल 78 तक स्वीकार नहीं किया गया तो छात्रवृत्ति समाप्त हो जायगी ?

(3) क्या यह सही है कि गृह विज्ञान विभाग की श्रीमती एस. मैथ्यू को पी. एच. डी. करने की अनुमति दे दी गई है किन्तु श्रीमत माया चौधरी को सात माह के बाद भी अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार उदयपुर विश्वविद्यालय से इस मामले में शीघ्र कार्यवाही कर श्रीमती माया चौधरी को पी एच. डी. करने की अनुमति देने का अनुरोध करेगी ताकि एक मेधावी महिला राजस्थान और देश के गौरव को आगे बढ़ा सके ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विश्वविद्यालय को ऐसी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। यद्यपि श्रीमती चौधरी ने ऐसी जानकारी दी है कि अप्रेल 1978 तक पी एच. डी. रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया गया तो उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो जायगी।

(3) श्रीमती एस. मेथ्यू का पी एच. डी. करने के पूर्व में विज्ञान संकाय में जीव

(शिक्षा मन्त्री)

रसायन में रजिस्ट्रेशन हुआ था; शैक्षणिक परिषद के निर्णय दिनांक 22-1-77 के अनुसार गृह विज्ञान संकाय में रजिस्ट्रेशन परिवर्तित कर दिया गया। श्रीमती माया चौधरी का प्रार्थना पत्र अगस्त, 1977 के अंत में पी. एच. डी. रजिस्ट्रेशन हेतु बिना पाठ्यक्रम के गृह विज्ञान संकाय में प्राप्त हुआ किन्तु अधिष्ठाता, गृह विज्ञान महाविद्यालय की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। दिनांक 19–20 दिसम्बर, 1977 में जब शैक्षणिक परिषद की बैठक में पी. एच. डी. नियमों को संशोधन करने का निर्णय लिया उसके आधार पर श्रीमती माया चौधरी को फरवरी माह में अस्थाई स्वीकृति गृह विज्ञान संकाय में पी. एच. डी. रजिस्ट्रेशन प्रदान कर दी गई है।

(4) प्रश्न के भाग (3) के उत्तर को देखते हुए आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जोधपुर क्षेत्र के शिक्षकों को ग्रेड देने में पक्षपात

251. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर क्षेत्र के विद्यालय निरीक्षक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड देने पर पक्षपात किया जिसकी जानकारी निदेशक शिक्षा विभाग को व राज्य सरकार को है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रश्न के भाग (1) में बताये गये पक्षपात से जिनको आर्थिक नुकसान हुआ व हो रहा है व जिनको नाजायज आर्थिक लाभ हुआ व हो रहा है वह गैर कानूनी है जिसे न्यायोचित करना सरकार का दायित्व है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गलत पदोन्नति करने से जिस वरिष्ठ अध्यापक को तनख्वाह व पेन्शन का आर्थिक नुकसान हुआ है वह सरकार ठीक करेगी ?

(4) जोधपुर विद्यालय निरीक्षक शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची तृतीय वेतन श्रृंखला में प्रशिक्षित मैट्रिक ग्रेड की बनाई उक्त सूची में क्रम संख्या 384 पर दर्ज शिक्षक को व क्रम संख्या 408 पर दर्ज शिक्षक को कब से उक्त ग्रेड दिया गया व क्यों ?

(5) सरकार उक्त सूची में क्रम संख्या 384 पर दर्ज शिव सिंह के साथ ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड 1-4-59 से क्रम संख्या 408 पर दर्ज मदन लाल को ट्रेन्ड मैट्रिक दिनांक 1-10-56 से दिया गया, को ठीक करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यदि ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त होगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) वरिष्ठता सूची 1965–66 में प्रकाशित की गई उसमें प्रश्नानुसार क्रम संख्या 384 व 408 पर दर्ज शिक्षकों का विवरण साथ में संलग्न हैं। क्रम संख्या 384 पर वर्णित अध्यापक 1952 में प्रशि-

(शिक्षा मन्त्री)

क्षित हो चुके हैं अतः उनको प्रशिक्षित मैट्रिक ग्रेड 1-11-54 से दिया गया है।

इस प्रकार क्रम संख्या 408 पर दर्ज शिक्षकों ने प्रशिक्षण 1956 में प्राप्त किया है। अतः इनको प्रशिक्षित वेतन श्रृंखला 1-10-56 से दिया गया है।

तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 408 के शिक्षक 1956 से पूर्व प्रशिक्षित नहीं थे और क्रम संख्या 308 वाले उनसे 4 वर्ष पहले प्रशिक्षित हो चुके थे। अतः जो ग्रेड देने की तिथि है वह सही है और किसी प्रकार की इस मामले में अनियमितता नहीं है।

(5) उत्तर संख्या (4) से स्थिति स्पष्ट है अतः आदेशों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राज्य के कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या

252. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर के अलावा अन्य स्थानों के कालेजेज की हर कक्षा में कितने-कितने विद्यार्थी हैं और कितने होने चाहिये ?

(2) क्या यह सही है कि जिस अनुपात में कालेज में खर्चा होता है उस अनुपात में विद्यार्थियों को संख्या बहुत कम है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से कालेज है और कितने समय से चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर के अतिरिक्त जिन स्थानों पर राजकीय सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, उनमें कक्षा अनुसार छात्र संख्या की सूची संलग्न है।

प्रत्येक स्नातक स्तर कक्षा में न्यूनतम 60 छात्र संख्या होनी चाहिये एवं जहां एक संकाय के तीनों कक्षायें (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष) चल रही है, वहां की छात्र संख्या न्यूनतम 150 होनी चाहिये। स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिये।

(2) जी हां, कुछ राजकीय महाविद्यालय में खर्चे के अनुपात में छात्र संख्या कम है। इनके नाम मय खोलने की वर्ष, गत पांच वर्ष की छात्र संख्या एवं उनमें रही संकाएं निम्न है :—

(1) भीनमाल : कला एवं वाणिज्य योग (1966)

	कला	वाणिज्य	योग
1973–74	28	21	49
1974–75	54	56	110
1975–76	36	67	103
1976–77	46	63	109
1977–78	52	64	116

(2) जैसलमेर : कला एवं वाणिज्य योग (1970)

	कला	वाणिज्य	योग
1973–74	28	42	70
1974–75	41	66	107
1975–76	39	69	108
1976–77	51	62	113
1977–78	71	97	168

(शिक्षा मन्त्री)

(3) राजकीय महाविद्यालय लाडनूं विज्ञान (1968)

	विज्ञान	योग
1973–74	92	92
1974–75	79	79
1975–76	76	76
1976–77	72	72
1977–78	99	99

(4) राजकीय महा विद्यालय, जालौर (1966)

	कला	विज्ञान	वाणिज्य	योग
1973–74	54	32	49	135
1974–75	49	54	65	168
1975–76	45	52	83	180
1976–77	67	44	92	203
1977–78	101	65	129	295

(5) राजकीय महा विद्यालय प्रतापगढ़ (1966)

	कला	विज्ञान	वाणिज्य	योग
1973–74	100	54	116	270
1974–75	102	41	140	283
1975–76	90	36	128	254
1976–77	73	24	126	223
1977–78	88	37	147	272

(6) राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ (1968)

	कला	विज्ञान	वाणिज्य	योग
1973–74	67	63	197	327
1974–75	98	70	210	378
1975–76	71	36	179	286
1976–77	72	14	134	220
1977–78	64	8	155	227

राज्य में महिला शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति

253. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में महिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे कम प्रगति हुई है? अगर हां, तो क्यों?

(2) राज्य में राज्य सरकार महिला शिक्षा प्रसार के लिए भविष्य में कब तक क्या-क्या कदम उठाना उचित समझेगी?

(3) राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान में मरुस्थल बालिका विद्यापीठ, राणी एवं इन्दिरा गांधी बालिका विद्यापीठ; भरडावता ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इन संस्थाओं को सैंट पर्सेन्ट अनुदान देना उचित समझेगी? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि बालकों की शिक्षा की तुलना में बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति कम हुई है। इसका कारण यह है कि माता-पिता सामाजिक और घरेलू कारणों से बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजते।

(2) राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो बालिकाएं अपने घर के

(शिक्षा मन्त्री)

काम में हाथ बटाती है या अन्य आर्थिक कारणों से विद्यालय में नहीं जा सकती उनके लिए सुबह-शाम या दोपहर में कुछ समय के लिए अंशकालीन कक्षाएं लगाई जायं। आगामी शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जा रहा है। जन-जाति क्षेत्र में विशेषत: अनुसूचित जाति की छात्राओं को विद्यालय में लाने के लिए स्कूल की ड्रेस, पुस्तकें आदि वितरित करने का कार्यक्रम है। इस प्रोत्साहन की राशि को आगामी वर्षों में बढ़ाने की प्रयत्न किया जायेगा।

(3) राज्य में अध्यापिकाओं की अधिकाधिक भर्ती हो इसके लिए सभी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में 28 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि गांवों में विशेषकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय ताकि वे वहां पर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दे सकें। जन-जाति क्षेत्र में बालिकाओं के लिए अलग से होस्टल बनाने का भी निर्णय लिया गया है और एक माध्यम विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए स्थापित किया जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से भी बालिकाओं को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बालिकाओं को अधिक संख्या में विद्यालय में लाने के लिए प्राथमिक शालाओं के लिये शिशु क्रीड़ा केन्द्र की स्थापना की गई है।

(4) राजस्थान में मरुधर बालिका विद्यापीठ राणी एवं इन्दिरा गांधी बालिका विद्यापीठ अरड़ावता ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सेन्ट-पर्सेन्ट अनुदान देने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य में खोले गये नये स्कूल व कालेज

254. **श्री कुंजी लाल** (बामनवास), **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा), **श्री राम किशोर मीणा** (सिकराय) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू शिक्षा सत्र में राज्य सरकार ने कुल कितने नये स्कूल, कालेज तथा अधिस्नातक कालेज खोले ? कृपया प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों व कालेजों की अलग-अलग संख्या दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या नये स्कूल व कालेज खोलने के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या निर्धारित मापदण्ड का पालन किया गया था ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि नये कालेज खोलने में निर्धारित मापदण्ड की पालना नहीं की गई और अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग मर्जी माफिक मापदण्ड काम में लाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी व हिण्डौन स्थानों पर नये कालेज खोलने में अलग-अलग शर्त काम में ली गई ? यदि हां, तो क्यों ? वे शर्त क्या थीं ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) चालू सत्र में 586 प्राथमिक विद्यालय, 420 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 350 माध्यमिक विद्यालय, 11 स्नातक महाविद्यालय तथा 15 स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोले गये हैं।

(2) जी हां। मापदण्ड की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) मापदण्ड का पालन किया गया था। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया था।

(4) जी नहीं। सामान्यतया मापदण्ड व अन्य शर्तों के आधार पर ही नये कालेज खोले गये हैं, परन्तु निम्नलिखित महाविद्यालयों में न्यूनतम छात्रों की संख्या; जो 60 निर्धारित की गई है, उपलब्ध न हो सकी :—

1. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा छात्र संख्या–51

2. राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी छात्र संख्या 38

3. राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ छात्र संख्या 26

(5) यह सही नहीं है कि गंगापुर सिटी व हिण्डौन में अलग अलग शर्तें काम में ली गई हैं। सभी स्थानों पर समान शर्तें ही काम में ली गई हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

तूत की बगीची, जयपुर के बाहर में अनधिकृत कब्जा

255. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौकड़ी पुरानी बस्ती जयपुर में तूत की बगीची के बाहर श्री चौगान पुत्र श्री परताब नायक ने रास्ते की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है और नगर परिषद, जयपुर ने उस अनधिकृत कब्जे को दिनांक 16-2-77 को हटा दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि श्री चौगान, द्वारा उस भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया गया था तथा नगर परिषद, जयपुर ने उसे हटाने हेतु दिनांक 27-4-77 को कोई नोटिस दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति ने न्यायालय से स्टे प्राप्त कर लिया? यदि हां, तो नगर परिषद, जयपुर ने इस संबन्ध में न्यायालय में तथ्यों की जानकारी प्रस्तुत कर दी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि चौगान को नगर परिषद. जयपुर द्वारा पुरानी बस्ती में भू-खण्ड संख्या 159 आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस भू-खण्ड का कब्जा श्री चौगान को क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि तूत की बगीची वालों से यह सड़क की भूमि; जिस पर चौगान ने कब्जा कर रखा है, ली गई थी ?

(6) क्या तूत की बगीची के मालिक द्वारा इस अनधिकृत निर्माण को हटाने हेतु नगर परिषद, जयपुर को प्रार्थना-पत्र दिये है ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या राज्य सरकार उक्त अनधिकृत निर्माण को हटाने हेतु नगर परिषद

Page No 52

(52)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

को कोई आदेश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह अनधिकृत निर्माण कार्य हटवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। न्यायालय ने स्थगन आदेश एकतरफा कार्यवाही के आधार पर दिया था। न्यायालय से उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने के बारे में नगर-परिषद, जयपुर के सम्बन्धित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। श्री चौगान ने कब्जा लेने से इन्कार किया।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(7) न्यायालय के आदेश होने के कारण निर्माण को हटाये जाने की कार्यवाही संभव नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 21 मार्च को दयानन्द कॉलेज, अजमेर में कुछ असामाजिक तत्वों एवं विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज के निदेशक श्री वाबले पर किये गये घातक हमले के सम्बन्ध में,

(2) सर्वश्री रामनारायण चौधरी व जयकृष्ण शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से 1976 में ग्राम दूदू के हरिजन एवं जन जाति के लोगों के परिवारों को आवंटित कृषि भूमि से वहां के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा उनको बेदखल किये जाने के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) श्री रामकरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय मार्ग नं० 8 पावटा के पास से बूचारा गांव तक जाने वाली सड़क को पक्का करने की आवश्यकता के विषय में,

(4) श्री रामकृष्णदास, सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर में गत 24 दिसम्बर, 1975 को लोक संघर्ष समिति के आह्वान पर किये गये एक सत्याग्रह के मामले को वापस न लिये जाने के विषय में।

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) सर्वश्री श्योपतसिंह मकासर व अब्दुल अजीज, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर के कब्रिस्तान एवं रिसाला टोंक अजमेर; मकराना आदि स्थानों में वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जे किये जा रहे हैं, इस विषय में।

इस प्रस्ताव में घटना की तिथि व अन्य विवरण नहीं दिया गया है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, है इसमें तारीख।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था भू-जल मण्डल के कर्मचारियों के सम्बन्ध में और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब में आश्वासन दिया था कि कोई नौकरी से निकाला नहीं जायेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि जिनको नौकरी से निकाला गया है उनके केसेज वापस कन्सिडर कर लेंगे। साथ ही आज भी बहुत बड़ी तादाद के अन्दर भू-जल मण्डल के कर्मचारी यहां पर डेपूटेशन लेकर आए हुए हैं। कुछ भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। आपके राज्य मंत्रीजी भी उनसे मिल चुके हैं लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है इसलिए होली के दिनों में भी उनकी हड़ताल जारी रही। आज जोधपुर से बहुत बड़ी तादाद में कर्मचारी यहां पर आये हुए हैं। मैं चाहूंगा कि कृपा पूर्वक आप इस समस्या का समाधान कर दें। जो आपने हाउस में एश्योरेंस दिया था उसकी पालना कराने के सम्बन्ध में बतायें।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी उनसे बात करूंगा। उनका डेपूटेशन आया हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सभी को इस गंभीर प्रश्न पर जरूर चिन्ता होगी। आज राजस्थान में विद्यार्थी जगत में इस प्रकार का असंतोष फैल रहा है सारे शिक्षक आतंकित हैं। इस बाबत मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया है कि 21 मार्च के दिन सुबह 8 बज कर 20 मिनट पर जब दयानन्द महाविद्यालय में लॉ क्लासेज चल रही थीं उस समय कुछ विद्यार्थियों, जिसमें एक श्री वीरेन्द्रसिंह था तथा दूसरा सत्तारसिंह राव था; जिनका चालान पहले भी 302 आई० पी० सी० में हो चुका है और केस में, ने श्री दत्तात्रेय बावले पर घातक प्रहार किया। उन्होंने यह कोशिश की कि दत्तात्रेय बावले को उठा कर पहली मंजिल से नीचे गिरा दें। उस समय बहुत बड़े-बड़े टीचर्स, जो वहां थे, ने आकर इन्टरवीन किया। उन्हें भी चोटें आई। यह घटनायें महर्षि दयानन्द कॉलेज में बराबर कई महीनों से हो रही हैं। कई शिक्षकगण, श्री आर० एस० डी० गुप्ता; सी० के० शास्त्री, सी० एल० सोनी और भी कई शिक्षक हैं जिनके नाम गिनाना मैं ठीक नहीं समझूंगा, उन सब को समय-समय पर गुरु दक्षिणा मिली है। विद्यार्थी, भगवान जाने, क्या कर बैठे हैं; और भी छोटी मोटी कई घटनायें हो रही हैं। हिन्दुस्तान की सरकार के आंकड़ों के अनुसार करीब 24 अरब रुपया विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण पर खर्च कर रहे हैं लेकिन शिक्षणालयों में जो शिक्षक क्लासेज में पढ़ाते हैं उनके साथ इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। उन्होंने मजबूर होकर 21 मार्च को प्रस्ताव पारित कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं They have been injured. The teaches have been assaulted by some students उन्होंने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम पढ़ायेंगे नहीं। सारे के सारे

(श्री मूलचन्द डागा)

शिक्षक भय से आतंकित हैं। वहां परिक्षायें नहीं होंगी। 21 मार्च के बाद वे लोग, श्रीमान, शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास गए हैं और गृह मंत्री के पास भी गए हैं। उन्होंने सारी शिकायतें वहां के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को की है। मुझे कहना पड़ता है कि जो इस प्रकार के एलीमेंट हैं, उन्होंने इस प्रकार का आतंकपूर्ण वातावरण जान बूझ कर पैदा कर दिया है। क्या सरकार यह नहीं जानती ? दिल्ली की घटना, अलीगढ़ की घटनायें मैं दोहराना नहीं चाहता। सारा विद्यार्थी जगत इस प्रकार की घटना से सम्बन्धित नहीं है .लेकिन जो घटनायें हो रही हैं उनको रोकने के लिए कदम नहीं उठाया गया है। कुछ स्टूडेंट्स, जो हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं; जिनके नाम लिए हैं, पदाधिकारी हैं, पोस्ट होल्डर्स हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का वातावरण न बने। आपका एक अरब का बजट बनता है। कालेज एजूकेशन पर आप इतनी धनराशि खर्च करते हैं। इसका क्या परिणाम निकलेगा ? जिन गुरु के चरणों में विद्यार्थी को बैठना चाहिये उनको इस प्रकार की गुरु दक्षिणा देते हैं। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। आशा है, इस पर शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य देंगे और समय पर कदम उठाएंगे ताकि समय पर परीक्षायें शुरू हो जाएं और दयानन्द महाविद्यालय में जो पढ़ाई बन्द पड़ी है, वहां पर शिक्षक पढ़ाना शुरू कर दें। विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं और शिक्षक लोग भी आतंकित हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन वहां के लेक्चरार और प्रोफेसर ने आकर जानकारी दे दी थी। करीब रात के 11 बजे वे यहां पर पहुंचे थे। प्रोफेसर दत्तात्रेय बावले पर जो हमला जिन विद्यार्थियों द्वारा किया गया था, उन विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा बना लिया गया है। यह मुकदमा आगे चल रहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में और ज्यादा नहीं कह सकता हूं।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उस दिन भी सदन को गलत जानकारी दी थी और आज भी गलत जानकारी दी है ..

श्री अध्यक्ष : इस बारे में चर्चा नहीं होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मुख्य मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उसके सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं

मान्यवर; विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच जो यह मारपीट हुई है उसके बाद पुलिस द्वारा लड़कों को हरेस किया गया है। उनको गिरफ्तार किया गया और जो बेलेबल आफेन्स है, उसको नोन बेलेबल बनाया गया है। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि सरकार की इस कार्यवाही से, होम मिनिस्टर की इस कार्यवाही से, पुलिस की इस कार्यवाही से लड़कों, विद्यार्थियों में और अनरेस्ट बढ़ेगा। मैं चाहूंगा, मान्यवर, मुख्य मन्त्री इस सदन के पुराने सदस्य हैं और सौभाग्य से वे इस सदन के नेता भी हैं, उनको कम से कम इस समस्या पर व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए। एक

(श्री रामनारायण चौधरी)

नया मंत्री ऐसा कदम उठावे यह तो समझा जा सकता है, किन्तु नेता महोदय तो काफी अनुभवी और पुराने सदस्य हैं। उनको इस पर व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए वरना इससे विद्यार्थियों में अनरेस्ट होगा। मेरा निवेदन है कि विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण हो तो पुलिस को आप बीच में न लावें। पुलिस उनके सम्बन्धों को और बिगाड़ने की कोशिश करेगी और इससे प्रदेश का वातावरण भी बिगड़ेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि टीचर्स मुझसे भी मिले थे। इन दोनों में कहा सुनी हो गई थी।' ऊपर से तीन मंजिल से गिराने का जो मुकदमा बनाया गया है, यह तो आप स्वयं भी जानते हैं कि यह गलत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें किसी तरह से पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यापक और विद्यार्थियों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने; कृपया इसमें आप भी सहयोग दें।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा पूरा सहयोग है।

श्री एच० एन० शर्मा : आपका भाषण तो ऐसा नहीं लगता।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। दूसरी बार भी आपने यह व्यवस्था दी है कि आपने स्थगन प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा है। पहले भी आपने स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे हैं और सरकार की ओर से कोई उत्तर आपके पास नहीं आता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बारे में सरकार को कहें कि वह शीघ्र उत्तर भेजें ताकि आप इस पर व्यवस्था दे सकें।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले में दूदू तहसील, दूदू गांव में 26 परिवारों को बेदखल किया गया है। इनमें 15 परिवार शिड्यूल्ड कास्ट रेगर जाति के हैं और 11 परिवार ट्राइब कास्ट बावरिया जाति के हैं। इन लोगों को पिछले वर्ष 1976 के अन्दर राज्य सरकार की तरफ से भूमि आवंटित हुई थी। यह भूमि दूदू के भूतपूर्व जागीरदार की थी, जो सीलिंग के अन्दर ली गई थी। मान्यवर, जब सत्ता में परिवर्तन आया और जनता पार्टी शासन में आयी तो प्रत्येक भूतपूर्व जागीरदार यह समझने लगे कि उनका शासन आ गया है। तीस साल पहले जो पुरानी व्यवस्था थी, उसकी पुनरावृत्ति हो गई है। यही मान कर इन लोगों ने इन लोगों को बेदखल कर दिया। मान्यवर, ये 26 परिवार मुझसे मिले हैं और विधान सभा के सामने बैठे हुए हैं। ये लोग गृह मंत्री के पास गये, राजस्व मंत्री के पास गये, मुख्य मंत्री के पास गये लेकिन उनसे मिल नहीं सके। शायद मंत्रीगण दूसरे कामों में व्यस्त हैं। उनकी आपसे मुलाकात न हो सकी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा रामचन्द्र मेरे पास आए। इन 26 परिवारों की सूची मेरे पास है, मान्यवर, आप अनुमति दें तो मैं इसको पढ़ कर सुना सकता हूं। मुख्य मंत्री महोदय यहां पर मौजूद हैं इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भूतपूर्व जागीरदार दूदू वहां के सरपंच भी हैं, और इसी कारण से उनको पोलिटिकल संरक्षण राज्य सरकार की तरफ से मिला हुआ है। मैं चाहूंगा कि

Page No 56

(56)

(श्री रामनारायण चौधरी)

इन भूमिहीन काश्तकारों को, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं, 1976 के फरवरी के महीने में यह भूमि मिली थी, इस भूमि पर इनका कब्जा हो गया था और राज्य सरकार ने इनको ऋण ही नहीं दिया बल्कि जमीन काश्त करने के लिए अनुदान दिया था. 62/– रुपये प्रति बीघा का अनुदान इनको दिया था। 1976 में इन्होंने काश्त की थी परन्तु 1977 में, पिछले दिनों में इन 26 परिवारों को भूमि से बेदखल कर दिया गया है। भूतपूर्व जागीरदार और तीन चार अन्य व्यक्तियों की जो भूमि राज्य सरकार ने अवाप्त की थी; उन सब ने मिल कर इन लोगों को भूमि से बेदखल कर दिया है और अपने स्वयं के आदमियों को वहां पर काबिज करा दिया है। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट की गई है। पुलिस ने 107/117 में केस बनाए हैं परन्तु इन मुकदमों से इन लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया है। भूतपूर्व जागीरदार व वहां के सरपंच होने के कारण पुलिस पर इनका प्रभाव है। उस प्रभाव के कारण इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री वापस इनको पजेशन दिलाने की व्यवस्था करें। ये 26 परिवार एक तरफ से उजड़ गये हैं। इनके बाल-बच्चे विधान सभा भवन के सामने बैठे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब हरिजन परिवारों को, जिनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है, पजेशन वापस दिलाया जाए और इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने की मुख्य मंत्री घोषणा करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है। आपके सामने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, ओसियां तहसील के जागीरदार ने भी इसी तरह की कार्यवाही की थी। यह मामला सदन में रखा गया था। पिछली सरकार ने हरिजनों को जमीनें दी थीं परन्तु नई सरकार, जनता सरकार ने आते ही हरिजनों को यह तोहफा दिया है और उनके साथ की जा रही ज्यादतियों का नतीजा हमारे सामने है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में कहा था कि अन्त्योदय योजना सारे राजस्थान के लिए है, इससे गरीबों को लाभ होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप राजस्थान के गरीबों का भला चाहते हैं तो जिन गरीबों को किसी भी योजना के तहत कुछ भी फायदा हुआ है, आप उनके फायदे को बरकरार रखें। पिछली सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को भूमि का आवंटन किया था, उन को भूमि मिली। मैंने पिछली विधान सभा में भी कहा था, अलवर जिले के अन्दर हरिजनों को मिली जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर काश्त कर ली है। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई है। कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं होता है। आपने शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को गृह मंत्री बना दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो आपने अच्छा काम किया, एक हरिजन को गृह मंत्री बना दिया किन्तु दिनों दिन हरिजनों को उनको आवंटित भूमि से बेदखल किया जा रहा है। राजस्थान के हरिजनों को यह तोहफा आपने दिया है। मेरा निवेदन है कि अन्त्योदय योजना, जिसको आप लागू करना चाहते हैं, से अगर गरीबों को फायदा देने की बात पूरी नहीं

Page No 57

(57)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

होती है तो आपकी अन्त्योदय योजना कामयाब नहीं हो पायेगी। क्योंकि पहले माफिक अब भी हुक्म पालन करेंगे। चाहे किसी का राज हो सत्ता के साथ लोग होते रहे हैं और होते रहेंगे। यह गरीबों की बात है, इसलिए मैं मुख्य मन्त्रीजी, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसे दल का सदस्य होते हुए, जिसका कि सम्बन्ध पहले समय में किसी प्रोग्रेसिव धारा से नहीं था, आपने विधान सभा में ऐसे प्रश्न उठाये थे। आज सत्ता में आने के बाद आप गीदड़ की तरह बैठे हुए हैं। मुख्य मन्त्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह दूसरी बात है कि सत्ता का नशा चढ़ गया हो। कुछ भी बोलते रहे हैं, राजस्थान में 33 लाख बीघा भूमि हरिजनों को अलाट हुई है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पूरे राजस्थान की समस्या है। यह दूदू के लोग आये हैं, जिन लोगों की जमीन अलाट की गई थी उनको जमीन से बेदखल कर दिया गया है। इस प्रकार से व्यवस्था होती है तो मैं चाहूंगा कि आप कड़ाई से ऐसी कार्यवाही करें कि वह याद रखें। हरिजनों को बेदखल करने वाला कुर्सी पर नहीं रहेगा। अभी भूतपूर्व जागीरदार मौज मारते डोलते हैं। हम दुहाई देकर पीछा छुड़ा लेते हैं। आप पिछले 30 साल की बात कह कर पीछा छुड़ा लेते है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि राजस्थान के गरीब तबके के जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा हैं, उनको वापस पजेशन दिलाने के लिए कठोर और सार्थक कदम उठायेंगे।

श्री माणकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मुख्य मन्त्री महोदय कोई जवाब दें, मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन में वर्तमान सरकार वह सूची भी पेश करें जो 20 सूत्री योजना में अलाटमेंट किये गये हैं। वह सूची भी प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई प्रस्ताव नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री माणकचन्द सुराना : 80 प्रतिशत जमीन बाड़मेर और जैसलमेर में अलाट की गई है।

श्री मूलचन्द डागा : हां, हां, की है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक लाख बीघा जमीन का अलाटमेंट अलवर जिले में किया गया है।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं दावे से कह सकता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा ; श्रीमन, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : स्थगन प्रस्ताव पर जहां तक आपकी यह व्यवस्था रहती है कि राज्य सरकार से जानकारी ली जा रही है; मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए आसन सक्षम है। इसके लिए आसन को समय निर्धारित करना चाहिये। सरकार को दो या तीन दिन के भीतर वह जानकारी अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर देनी चाहिये। यह पूर्व में परम्परा रही है। अगर सरकार की गलती है तो अध्यक्ष सक्षम हैं कि सरकार को निर्देश दें, सरकार को वक्तव्य

(श्री परसराम मदेरणा)
देना चाहिए। जब कोई मामला आये, अगर राजस्व मन्त्री वक्तव्य देने की स्थिति में हों तो वह वक्तव्य दें या अध्यक्ष महोदय जानकारी चाहते हैं तो वह जानकारी देनी चाहिए। परसों पुलिस के मामले में गृह मन्त्री महोदय के पास वक्तव्य था तो सरकार की ओर से सूचित करना चाहिए था। वक्तव्य के बारे में सूचित नहीं करते हैं। जब माननीय सदस्य समस्या उठाते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। अगर इस मामले में कोई फेक्ट्स हैं, तो सदन में वक्तव्य देना चाहिये। इसमें पाइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। माननीय सदस्य किसी महत्वपूर्ण मामले में कहते रहें और सरकार कोई वक्तव्य नहीं दे, यह उचित नहीं है। आप सरकार को आदेश दीजिए।

यह ऐसा मामला है जिसमें इन्फार्मेशन कलेक्ट करने में समय लग सकता है। राजस्व के मामले में जिन लोगों को भूमि आवन्टित की गई है उन लोगों को बेदखल किया गया है। भारत सरकार की योजना थी कि जिन आवण्टियों को सीलिंग भूमि आवण्टित की जाती थी, उनको अनुदान भी दिया जाता था। अब वह बेदखल कर दिये गये हैं। बेदखल करने की सूचना जिला प्रशासक को मिली या नहीं? जिला प्रशासक द्वारा सूचना के बाद क्या कार्यवाही की गई है? या आप के भूमि आवण्टन करने के बाद उन लोगों को पजेशन नहीं दिया? आवण्टन करने के बाद पजेशन नहीं दिया और कह दिया कि सरकार बीच में कहां आती है। सीलिंग भूमि से हरिजनों को बेदखल करने के मामले में सरकारी नीति का सीधा सम्बन्ध रहा है। मेरा निवेदन है हरिजनों को बेदखल करने के मामले में सरकार कठोर कार्यवाही करे और उनको वापस पजेशन दिलाये। मैं समझता हूं कि अगर आपके पास पूरी सूचना होती तो जो मुद्दा उठाया गया है उस पर सरकार कठघरे में नहीं खड़ी हो जाती। आप सूचना लें और स्टेटमेण्ट दे दें। ठीक है, मुख्य मन्त्री महोदय को यह बात मालूम थी तो अश्वथामा हतो; नरो वा कुजरों वा' कह दें। यह बात अलग है। सवाल यह उठता है कि वास्तव में वह बेदखल हुए या नहीं? शासन की तरफ से क्या कदम उठाये गये हैं? इसके बारे में वक्तव्य दे दें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक आदमी की हालत खराब है।

(व्यवधान)

दूसरा स्थगन प्रस्ताव था, सारे मुलजिमान पर 392, 395, 398 और 307 के मुकदमे हो गये हैं। आपने कहा है कि गृह मन्त्री से जानकारी प्राप्त की है। 6 दिन हो गये हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी

श्री रामनारायण चौधरी : प्वान ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 204 के उपनियम (2) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था के सम्बन्ध में है किसी भी माननीय सदस्य को रूल्स तथा प्रक्रिया कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन

(श्री रामनारायण चौधरी)
प्रस्ताव की सूचना देने का अधिकार है। नियम 51 में व्यवस्था यह है कि जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपको दी जाएगी उसकी एक कापी मिनिस्टर कन्सर्न को और दूसरी कापी आपके सचिवालय में सेक्रेटरी को दी जाएगी। स्थगन प्रस्ताव आपको सम्बोधित होगा। राज्य सरकार का उत्तर दायित्व होगा कि वह आपके सचिवालय को सूचना दे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसका तात्पर्य यह है कि जो लोक महत्व का प्रश्न हो उसके सम्बन्ध में आपके सचिव मन्त्री महोदय, सरकार से जानकारी करके पूरी जानकारी आपको दें। क्या आप इस पर व्यवस्था दे सकेंगे ? हर एक स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जाती है कि सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। 50 से लेकर 57 तक जो रूल्स दिये गये हैं, उनमें यह कहीं नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना राज्य सरकार को देना और जानकारी प्राप्त आपका अधिकार है। आप हाथों हाथ जानकारी लें और जैसी भी जानकारी हो आप वह दें। यह नियमों में कहीं व्यवस्था नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

"No debate shall be allowed on a point of order but the Speaker may if he thinks fit hear members before giving his decision."

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली है, मैं आशा करता हूं कि सरकार एक या दो दिन में आपकी समस्या का उत्तर देगी।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो सवाल उठाया है कि आज से पांच रोज ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जो बात कही कि किसी भी समस्या का तत्काल उत्तर नहीं दिया जाय, यह बात सही है इसमें भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है लेकिन माननीय सदस्य, जिन्होंने दूदू में हरिजन परिवारों की जमीन छीनने का प्रश्न उठाया यदि व्यवस्था के अनुसार चले तब तो हम भी तैयार हैं। व्यवस्था यह है कि उसी एडजोर्नमेंट मोशन पर चर्चा होगी जिसकी ग्राह्यता अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर ली हो। लेकिन यदि ग्राह्य नहीं होता है तो उस पर चर्चा नहीं होगी। इसके अलावा यह व्यवस्था होती है कि जो भी जानकारी उपलब्ध हो वह सदन में प्रस्तुत कर दें, तो उस आधार पर मजबूरी में बोलना पड़ता है। अगर यह प्रश्न; जो कि माननीय सदस्य ने उठाया हमको पहले मिल जाता तो निश्चित रूप से इसका उत्तर देते इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। लेकिन जो तत्काल प्रश्न उठता है उसके सम्बन्ध में जो जानकारी होती है उसी आधार पर उसका उत्तर भी दिया जाता है। माननीय सदस्य, जो राजगढ़ से आये हैं, यह प्रश्न उठाया कि पिछले दिनों जब मे जनता पाट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की सरकार आई है सारे भूतपूर्व जागीरदार ऐसा समझ कर चलते हैं कि यह सरकार उन्हीं की है। वह क्या समझते हैं यह मैं नहीं कह सकता। आप भूतपूर्व जागीरदारों से नाराज होंगे, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन उनके नाम को लेकर मुझको हिट करना चाहें तो मैं समझता हूं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं जाति से राजपूत जरूर हूं दस-बीस बीघा जमीन मेरी भी थी जिसका कम्पेन्सेशन मुझे मिल चुका है। यह मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला आदमी मैं था जिसने कहा कि जागीरदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए, जागीरदारी उन्मूलन के समय मैंने कहा था कि जागीरदारी पनप नहीं सकती। मेरे रहते यह हो नहीं सकता।

हरिजन परिवारों को जमीन से बेदखल करने के बारे में जो बात कही गई है उसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं उनसे बात करूंगा और कह सकता हूं कि जागीरदार हो, राजा-महाराजा हो, या जनता पार्टी का कोई सदस्य हो, हरिजनों के साथ अगर कोई अन्याय करेंगे तो यह सरकार किसी भी प्रकार से बख्शने वाली नहीं है। इस आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं अगर जानकारी में आयें तो आप बतायें। जो कुछ भी सरकार कर सकती है, करेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : घोषणा के इम्प्लीमेन्टेशन पर जोर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह नहीं कहता कि घोषणा के इम्प्लीमेन्टेशन में कमी नहीं रही। इतनी बड़ी प्रशासनिक मशीनरी है, इसमें कहीं ढिलाई तो हो सकती है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने सी.एम. पर पर्सनल रिफ्लेक्शन नहीं किया है, मैंने कहा कि जागीरदार यह महसूस करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो सोना भूतपूर्व सरकार ने जब्त किया था यह सरकार उनको वापस दे रही है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मन्त्री) : नहीं नहीं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उनको जमीनें वापस दे रही हैं। यह जनता पार्टी का शासन आया, जिस दिन से हो रहा है। मैं तो, मुख्य मन्त्रीजी, आपकी घोषणा याद दिलाना चाहता हूं। आपने जो जवाब दिया उससे हमको प्रसन्नता हुई है। आपने कहा था कि एक भी हरिजन को बेदखल नहीं किया जायगा, तो, मान्यवर यह मैंने 26 परिवारों की सूची दी है। मुझे खुशी है कि आपने बहुत सुन्दर जवाब दिया है। आप जिलाधीश और एस.पी. के खिलाफ एक्शन लेंगे तो मानूंगा। उनको कटघरे में खड़ा करेंगे तब मानूंगा। मेरा निवेदन है कि श्री भैरोंसिंह शेखावत के मुख्य मन्त्री बनने के बाद ऐसा हुआ है। आपको तो मैं दस वर्ष से जानता हूं; आप पर मेरा कोई पर्सनल रिफ्लेक्शन नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि जब से जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यह स्थिति

(श्री रामनारायण चौधरी)
है। मान्यवर, मैंने पूरी सूची दी है इतनी उनकी जमीन थी और इतना-इतना उनको अनुदान दिया गया था। कोई वेग टर्म्स में स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया है। मेरी पर्सनल इन्फार्मेशन के आधार पर दिया है। मैंने सबसे लिखवा कर लिया है। कल-परसों आपने ओवरसियर के मामले में यों ही जवाब दे दिया, आप एस.पी. और कलेक्टर को बुला कर उनके बयान लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं चाहूंगा कि आप ऐसे मामलों के लिए एक सेल बनायें और खुद इसको देखें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गृह मन्त्रीजी के भरोसे नहीं रहें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी मशीनरी ठीक काम करेगी तब ही काम होगा

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 1975 की बात है अस्वीकार कर दिया मैंने। जो स्थगन प्रस्ताव आसन द्वारा अस्वीकार होता है उस पर चर्चा नहीं होती। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे दो मिनट का समय....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो गया; मैं व्यवस्था दे चुका हूं। अब चर्चा नहीं होगी।

श्री अब्दुलअजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान की जमीनों के बारे में दिया था। यह काफी उलझा हुआ मसला है पूरे राजस्थान का। दो बार मैंने प्रश्न के जरिये भी इसको उठाया लेकिन स्थगित करवा दिया गया और दुबारा स्थगन प्रस्ताव के जरिये उठाया तो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला जो है वक्फ और कब्रिस्तान की जमीनों का....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, महत्वपूर्ण है लेकिन प्रस्ताव अस्पष्ट है। एक-दो-तीन जगहों के नाम बताकर; अतिक्रमण कब हुआ; किस प्रकार से हुआ, किसके द्वारा हुआ, इस सम्बन्ध में आप जानकारी देंगे तो मालूम करूंगा। जिन शब्दों में यह प्रस्ताव पेश हुआ है, वह अस्पष्ट है।

श्री अब्दुल अजीज : इसमें लिखा हुआ है, आप मुलाहिजा फर्माइये।

श्री अध्यक्ष : मैंने खूब देखा है, एक-दो तीन जगह के नाम बताकर देने से तो····

श्री अब्दुल अजीज : इसमें नाम लिखे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य आप मेरे से मिले थे। मैंने जानकारी दी थी। पुनः प्रस्ताव आप देंगे तो मैं विचार करूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : किस प्रकार घटनाओं के बारे में लिखा जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, आपने हुक्म दिया था कि स्टेटमेन्ट दिलाया जावेगा।

(62)

श्री अध्यक्ष : किस बारे में ?

श्री मूलचन्द डागा : महुआ पंचायत समिति के चुनावों के बारे में। घरों के किवाड़ खोले गये। लोगों को मारा गया। पीटा गया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी। गृह मंत्रीजी द्वारा राजनैतिक शरण दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब तक मैं एडमिट नहीं करूंगा तब तक आप कैसे कह सकते हैं इस पर।

श्री रामनारायण चौधरी : श्रीमन्, उन लोगों ने वहां पर अनशन कर रखा है, उनकी हालत खराब है। इस सम्बन्ध में आप सरकार की ओर से वक्तव्य दिलायें। वे गांव के रहने वाले काश्तकार लोग हैं। उनको हड़ताल करने का कोई अभ्यास नहीं है। कहीं ऐसी स्थिति न हो जाय कि वे लोग मर जाए। माननीय गृह मंत्रीजी को कहा। उन्होंने सुना नहीं। चुनावों के अन्दर लोगों को पीटा गया। एक का हाथ तोड़ दिया सिर फोड़ दिया, आंख फोड़ दी फिर भी मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में सरकार को फटकार दें।

श्री अध्यक्ष: शीघ्र उत्तर देगी सरकार।

श्री मूलचन्द डागा : जवाब मांगे....

श्री शिवचरणसिंह : स्वत: ही इस प्रजातन्त्रीय सरकार को दखल देना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल के लिए जनता भूख हड़ताल करे, यह बड़े शर्म की बात है। मेरी जानकारी जहां तक है और मुझे जहां तक मालूम हुआ है यह सब डाइरेक्ट, मुख्य मंत्रीजी के व्यक्तिगत तरीके से लोग करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुख्य मंत्रीजी से हम मिलने की कोशिश में हैं। वह लोग उनको मिलने नहीं देते हैं। रामकिशनजी ने मुख्य मंत्रीजी को टेलीफोन कर दिया और भरतपुर के बड़े-बड़े नेता चिल्लाते रहे। मैं कुछ लोगों को मुख्य मंत्रीजी के निवास स्थान पर लेकर गया। मुख्य मंत्रीजी दिल्ली पधार गये थे। मैंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी दिल्ली पधार गये हैं, उनके आने पर उनसे बात करेंगे। कुछ तकदीर की ही बात है होम मिनिस्टर साहब से कहा, बात उन्होंने सुनी नहीं। मुख्य मंत्रीजी मिले नहीं।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता जैसा कह रहे थे कि कोई मेटर आता है तो कुछ न कुछ विवशतावश बात कहनी पड़ती है। एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों की जो स्थिति है वह यह है कि यदि कोई विशेष लोकमहत्व का प्रश्न है तो एडजोर्नमेंट मोशन को स्वीकार करेंगे अथवा अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सरकार को आदेश देंगे कि यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का ऐसा मेटर है कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे। पांच रोज पहले ...

श्री मूलचन्द डागा : 7 दिन हो गये।

श्री परसराम मदेरणा : सात दिन पूर्व आपने इस प्रश्न पर जानकारी मांगी थी। आज तक सरकार की ओर से जानकारी नहीं मिली। सरकार यदि जानकारी नहीं देती है तो पूर्व में भी सदन की यह परम्परा रही है कि सरकार को अध्यक्ष महोदय आदेश देने में सक्षम हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

पहले भी इस प्रकार के सदन में आसन की ओर से आदेश हुए हैं। यदि किसी एडजोर्नमेन्ट मोशन को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वक्तव्य देने के लिये आसन की ओर से आदेश दिये जाते हैं और सरकार की ओर से दिये जाने वाले वक्तव्यों का उल्लेख अजेण्डा में भी किया जाता है। इसलिये यदि इस प्रश्न पर सरकार जानकारी नहीं देती है तो आप सरकार से वक्तव्य दिलायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो कुछ काम होते हैं वे सब मेरे व्यक्तिगत तरीके से होते हैं। जिस तरीके से उन्होंने यह बात कही है वे भी समझ गये हैं और मुझे इसमें अब सफाई देने की आवश्यकता नहीं रही है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे आज तक कोई टेलीफोन नहीं किया गया। यह बात सही है कि उनमें से कुछ व्यक्ति कल सुबह मेरे पास मेरे घर आये थे, मैं उनसे बात कर रहा था कि कल होली का दिन होने के कारण लोग गुलाल लेकर आ गये और उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया। तब मैंने उनसे कहा कि इस पर कल बात कर लेंगे, अभी इनसे बात कर रहा हूं। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पक्षपात किसी के साथ नहीं होगा चाहे भला आदमी हो या बदमाश हो, जिसने भी कानून की अवहेलना की है उसको बख्शा नहीं जावेगा।

श्री शिवचरणसिंह : अब तक क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने लोग गरफ्तार हुए, कितने लोग जमानत पर छूट गये। यदि कहीं पर भी कोई कमी रही है तो मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा।

विरोधी दल के नेता ने यह प्रश्न उठाया कि सरकार को वक्तव्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जिस प्रस्ताव को आसन ने स्वीकार नहीं किया है उस पर सरकार को वक्तव्य देने को नहीं कहा जा सकता। यदि सरकार की इच्छा हो और कोई ऐसा प्रश्न हो जिसकी ग्राह्यता आसन उचित समझता है तो सरकार उस पर वक्तव्य दे सकती है। सरकार को उन प्रश्नों पर वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है जिनको आसन ने स्वीकार नहीं किया हैं। आज कल सदन के अन्दर इस प्रकार की परम्परा पड़ गयी है कि न तो कोई गम्भीर प्रश्न पर चर्चा हो पाती है और न ही सरकार उन प्रश्नों पर उत्तर दे पाती है। एक-एक दिन में बीस-बीस एडजोर्नमेन्ट मोशन प्रस्तुत किये जाते हैं जब कि नियमानुसार एक एडजोर्नमेन्ट मोशन आ सकता है। इसके साथ-साथ एक एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बीस-बीस माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं और हरएक उस पर दो-दो मिनट बोलने का समय मांगते हैं। इसलिए हमारे सोचने के लिये ही यह प्रश्न हो ऐसी बात नहीं, यह आपके लिये भी एक प्रश्न है और सरकार की न कभी किसी गम्भीर प्रश्न को टालने की इच्छा रही है और न रहेगी। गम्भीर प्रश्न पर जरूर चर्चा होनी चाहिये और उस पर विचार किया जाना चाहिये। यदि आप के पास कोई जानकारी आ गयी और वह जानकारी हमारे पास नहीं आयी है तो उसको सरकार के सामने लाया जाना चाहिये, उसको रखना चाहिये। सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपकी जानकारी से लाभ ही उठाना चाहती है और किसी भी प्रकार के बदले की भावना से काम नहीं करना चाहती। इसलिये मैं विरोधी दल के नेता से भी निवेदन करूंगा कि सदन के अन्दर जो पिछले दिनों से परम्परा चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है उसको देखते हुए इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र के लिये कोई न कोई उपयुक्त व्यवस्था कर लें। किस-किस प्रकार के एडजोर्नमेन्ट मोशन पर सरकार की ओर से वक्तव्य होने चाहिये, किस-किस प्रकार के एडजोर्नमेन्ट मोशन्स पर वक्तव्यों की आवश्यकता नहीं है, किन-किन पर वक्तव्य देना है और किन-किन पर चर्चा नहीं करनी है और वक्तव्य नहीं देना है इस प्रकार की व्यवस्था होने से सरकार और प्रशासन की बातों को सदन में लाने में सही प्रकार से सहायता करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार को बाध्य तो किसी चीज के कमिटमेन्ट के लिए भी नहीं किया जा सकता है। हम सलाह दे दें, यह सरकार के डिस्क्रिशन की बात है कि माने या न माने लेकिन सदन की यह परम्परा रही है कि आसन किसी प्रश्न पर सरकार को कहे कि वह जानकारी दे और आसन उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाये जिससे जो फेक्चुअल जानकारी आनी चाहिये वह आ सके। इसलिये सरकार को बाध्य करने का प्रश्न नहीं है। आसन की ऐसी व्यवस्था होती रही है और वह शिरोधार्य रही है। इस प्रकार की सदन की परम्परा रही है और समय-समय पर आसन की ओर से व्यवस्था दी गई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आचार्यजी के समय में आपने स्वयं ने ऐसा प्रश्न उठाया था और सरकार को बाध्य किया गया था स्टेटमेन्ट देने के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी : सन् 1970 से यह व्यवस्था रही है कि कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है तो आसन ने स्वयं ही सरकार को वक्तव्य देने के लिये व्यवस्था दी है। यह अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि एडजोर्नमेंट स्वीकार तो नहीं करें लेकिन सरकार को कहें कि उस पर वह अपना वक्तव्य दें। आपने एक के लिए भी सरकार से वक्तव्य देने के लिये नहीं कहा। सदन के माननीय नेता ने जो बात कही उसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन जब सन् 70 में माननीय नेता महोदय विरोधी दल में थे तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि कोई ऐसा स्थगन प्रस्ताव न आया हो जिस पर सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं दिया गया हो। अब आज कहते हैं कि बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह नैतिक जिम्मेदारी है। पार्लियामेन्ट्री कन्वेन्शन हैं। यदि आसन कोई व्यवस्था देगा तो आपको निश्चित रूप से वक्तव्य देना पड़ेगा जबरदस्ती तो कोई गला पकड़ कर नहीं दिला सकेगा। यह परम्परा है, संसदीय परम्परा है कि यदि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो इनको वक्तव्य देना होगा। अगर नहीं करते हैं तो दुनिया में.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन की अवहेलना करने का मेरा दृष्टिकोण नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप जवाब दे दिया करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि आसन आदेश देगा तो निश्चित रूप से वक्तव्य देने की व्यवस्था होगी। यहाँ पर यह उल्लेख

(श्री भैरों सिंह शेखावत)
किया है माननीय सदस्य ने कि जब मैं 67 से 72 तक विरोधी दल में बैठता था तो कई एडजोर्नमेंट मोशन देता था। ग्राप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें कि....

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रापका दल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य स्वयं प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें कि सबसे कम कोई एडजोर्नमेंट मोशन रखता था तो मैं ही रखता था।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रापसे तात्पर्य ग्रापके दल से है।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री जयकृष्ण शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

ऐसा है, ग्रध्यक्ष महोदय, हमारी हर बात में परम्परा बदलती रही है। हम लोग, जो विपक्ष में बैठने वाले हैं, को ग्रपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है। जब भैरोंसिंहजी विपक्ष में थे तो एक-एक घंटा बोला करते थे ग्रौर हमको एक-एक माननीय सदस्य को 5-5 मिनट कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका देते हैं जिसमें हम ग्रपनी कुछ बात नहीं कह सकते हैं। जब ये 18 सदस्य थे तो एक-एक घंटा लेते थे। भैरोंसिंहजी एक घंटा लेते थे, रामकिशनजी एक घन्टा लेते थे, एक घन्टा केदारजी ले लेते थे। यह तीन-चार नेता 3-4 घन्टे ले लेते थे, ग्रौर हमको, चाहे नेता हो चाहे दूसरे माननीय सदस्य हों, पांच-पांच मिनट हमारी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है। ग्राप क्यों नहीं ट्रेजरी बेन्चेज वालों को कहते हैं कि वे समय कम लें। ग्राप हमको समय नहीं देना चाहते हैं। स्थगन प्रस्तावों में भी ग्राप हमको बांधना चाहते हैं। स्थगन प्रस्ताव ग्रापकी पार्टी के सदस्य लाये थे कामा के नोगांवा में जो झगड़ा हुग्रा था उसके बारे में। वहां पर सरपंच का चुनाव हुग्रा उसमें 6-7 मेव जो खड़े हुए थे वे हार गये ग्रौर दूसरी कौम का व्यक्ति 4 वोट से जीत गया। तो मुकदमा चलाया गया। उसके बाद में यहां ग्रापके गृह मन्त्रीजी ने बिना जानकारी किये ही एस० एच० ग्रो० को सस्पेंड कर दिया। इससे प्रशासन में शिथिलता ग्रायेगी, प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा ग्रौर प्रशासन सही बात की जानकारी नहीं कर पायेगा। मैं ग्रापको बताता हूं कि कामां में नोगांवा के ग्रन्दर झगड़ा हुग्रा ग्रौर ग्रापके एम० एल० ए० ने हाउस में वह मसला रखा। ग्राप विपक्ष के लिए कहते हैं कि वक्तव्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ग्राप विपक्ष के लोगों को कहना चाहते है ग्रौर ग्रपने लोगों को मना नहीं करते हैं तो यह बात चलने वाली नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी इधर रहें या उधर रहें यह परम्परा जैसी चल रही है वह परम्परा हमेशा रहेगी। यह ग्रापने कहा था कुछ दिनों पहले। ग्रापने हमको 10 दिन पहले ग्रागाह किया था ग्रापको हम ग्राज ग्रागाह करना चाहते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चर्चा नहीं कर रहा हूं मगर इस तरह ...

श्री ग्रध्यक्ष : मैं समझता हूं कि जो भी व्यवस्था वर्तमान में स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में है वह ज्यों की त्यों है....

श्री मूलचन्द डागा : वही की वही आगे भी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : रहेगा या नहीं, शासन पक्ष और विपक्ष के बीच में जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, अन्यथा जो व्यवस्था है वही की वही रहेगी। मैं आशा करता हूं कि इसके उपरान्त एक दो दिन में इस सम्बन्ध में सरकार उचित रूप से चर्चा करने की व्यवस्था करेगी। मैं सरकार को इसमें कोई बाध्य नहीं करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : बाध्य करें, मान्यवर, आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले के अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में आम तौर पर विपक्ष के सभी नेता बैठा करते थे। खूब चाय और काफी उड़ा करती थी आचार्यजी के जमाने में। माननीय श्री भैरोंसिंहजी वहीं बैठे रहा करते थे। आप हमको कभी बुलाते नहीं हैं और कभी कान्फीडेन्स में नहीं लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन में चर्चा उठाने का यह विषय है क्या ? आपको मालूम है, मुझको मालूम है और कितने ही माननीय सदस्य, जो यहां पर विराजमान हैं, को मालूम है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम कहना चाहते हैं कि हमारी बात को यह कर टाल दिया जाता है कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। आप कहते हैं कि मैं बाध्य नहीं कर सकता। आपने फर्मा दिया कि मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता तो इनकी तो मौज बन गई।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में जब विचार विमर्श हो तो कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी के बीच में ही न हो। हम लोग भी हैं। हम लोगों की भी बात सुनी जाय। कांग्रेस और जनता पार्टी अपनी-अपनी पार्टियों की रीति-नीतियों से बन्धी हुई है। कांग्रेस को सरकार की हर नीति में दोष नजर आते हैं और जनता पार्टी अपनी हर नीति को अच्छा समझती है। कुछ हम लोग हैं जो नीति के केवल गुण-दोष पर ही बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये अन्यथा मैं विवश होऊंगा चर्चा अंकित नहीं होने के आदेश देने के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, मान्यवर, यह बड़ी कठोरता हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, जो कोलायत से आये हैं, की आत्मा हमारे साथ में है और शरीर से अलग बैठे हैं। मैं समझता हूं कि उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। माननीय खेतसिहजी को चाट खाने की आदत पड़ गई है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि चाहे सरकारी खर्च से हो लेकिन चाट इनको जरूर खिला दी जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस प्रश्न की गम्भीरता को चाय और काफी को लाकर समाप्त करने का जो प्रयत्न किया है वह सर्वथा अनुचित है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मुख्य मन्त्रीजी चाट खिलाना चाहते हैं तो चाट तो आपके हाथ में खेतसिंहजी के लिए है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चाट तो आप आई वालों को खिला दें। अब मुझे चाट पसन्द भी नहीं है। कांग्रेस आई वालों को आप चाट खिलायें।

श्री अध्यक्ष। आज सदन में होली का सा वातावरण है। यह शुभ लक्षण है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री रामकरणसिंह!

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर जिले में सीमेंट की भारी कमी

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, यह होली के से वातावरण में मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होली जैसा न हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर जिले में सीमेंट की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य एवं नागरिक रसद मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।...

श्री जयनारायण पुनिया (खाद्य एवं नागरिक रसद मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय; श्री रामकरणसिंह, सदस्य राजस्थान विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जयपुर जिले में उप-खण्ड कोटपूतली में सीमेंट की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के विषय में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:—

सीमेंट का आवंटन राज्य को भारत सरकार से त्रैमासिक आधार पर होता है। गत वर्ष से कुल आवंटन 50 प्रतिशत भाग फ्री सेल के लिये उपलब्ध होता है। वर्तमान तिमाही जनवरी से मार्च तक के लिये 1 लाख 50 हजार टन सीमेंट राज्य को आवंटित हुई है जिसमें 75000 टन फ्री सेल के लिये उपलब्ध है। इसमें से 12,500 टन का आवंटन जयपुर जिले को किया गया है।

12,500 टन में लगभग 9434 टन सीमेंट जिले को प्राप्त हो चुकी है। जयपुर जिले में सीमेंट का वितरण कुल 169 डीलर्स की मार्फत कराया जाता है जो कि विभिन्न उत्पादकों के ही एजेन्ट होते हैं और उन्हीं के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। 72 डीलर जयपुर नगर में कार्यरत हैं और शेष विभिन्न तहसीलों और देहाती इलाकों में सीमेंट का वितरण करते हैं।

कोटपूतली उप-खण्ड में 15 डीलर हैं; जिनकी मार्फत पिछले 3 महीनों में 150 टन सीमेंट का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त कई उपभोक्ताओं को जिला रसद अधिकारी; जयपुर ने जयपुर स्थित डीलर्स की मार्फत भी सीमेंट उपलब्ध कराया है, क्योंकि वहां कोटपूतली उपनगर एवं आसपास काफी मात्रा में मकान बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की जानकारी के अनुसार पासपास के डीलर्स से भी इन इलाकों में सीमेंट उपलब्ध कराई जाती है।

जहां तक विभिन्न विभागों की आवश्यकता का सवाल है या गत वर्ष या बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हुए पुल, मार्गों, बांधों आदि की मरम्मत का प्रश्न है ऐसे कार्यों के लिये आवश्यक मांग सम्बन्धित विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा एकत्रित करके

Page No 68

(68)

(श्री जयनारायण पुनिया)

प्रस्तुत की जाती है और भारत सरकार से आवंटित सीमेंट का जो भाग राजकीय विभागों अथवा कार्यों के लिये उपलब्ध होता है उसे मांग और आवश्यकता दोनों को दृष्टि में रखकर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों अथवा अधिकरणों को आवंटित किया जाता है। कोटपूतली उप-खण्ड अथवा जयपुर जिले में अलग-अलग प्रकार के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के लिये कितना सीमेंट चाहिये था और कितना उपलब्ध हुआ यह जानकारी इस समय विभाग में उपलब्ध नहीं है। इसके लिये सम्बन्धित विभागाधिकारियों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

यह बात सर्वविदित है कि इन दिनों राजस्थान में ही नहीं, समूचे देश में सीमेंट की कमी महसूस की जा रही है। भारत सरकार काफी मात्रा में सीमेंट आयात भी कर रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि आवश्यकता को देखते हुए अधिक से अधिक मात्रा में सीमेंट का आवंटन हो और सरकारी कार्यों और निजि कार्यों के लिए उसे उपलब्ध कराया जा सके

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है राज्य सरकार अधिक से अधिक सीमेंट प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है, इसके संबंध में मुझे सदस्यों से निवेदन करना है कि 1977 की दूसरी तिमाही में 1,02,000 टन, तीसरी तिमाही में 1,05,000 टन एवं चतुर्थ तिमाही में 1,10,000 टन सीमेंट प्राप्त हुई थी जब कि इस वर्ष 20 मार्च, 1978 तक यानि 1 जनवरी, 78 से 24 मार्च, 78 तक 1,30,000 टन सीमेंट उठा लिया गया है एवं पूर्ण आशा है कि 31 मार्च, 78 तक पूरा सीमेंट 1,50,000 टन उठाया जाना संभव हो सकेगा। अप्रेल से जून, 1978 के लिए राजस्थान की मांग 3।। लाख टन भारत सरकार को प्रेषित की गई है। सीमेंट की अधिक से अधिक फैक्ट्रीज से लदान कराने के लिए सीमेंट फैक्ट्रीज स्थित जिलों में वहां के जिलाधीश एवं जिला रसद अधिकारियों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे लदान की व्यवस्था को व्यक्तिगत रूप से देखें। इसके अतिरिक्त एक-एक प्रवर्तन निरीक्षक हरएक सीमेंट फैक्ट्री में नियुक्त कर दिया गया है जिसका यही कार्य है कि वे फैक्ट्री से विभिन्न विभागों एवं जन साधारण के वितरण के लिए सीमेंट के लदान की समुचित व्यवस्था करायें एवं नित्य प्रति खाद्य विभाग के मुख्यालय को सूचित करता रहे। इसके परिणामस्वरूप ही यह संभव हो सका है कि गत वर्ष से इस तिमाही में सबसे अधिक सीमेंट का लदान कराया जा सका है। राज्य सरकार इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।

श्री राम करण सिंह : मंत्रीजी ने यह जानकारी दी कि वह कोशिश कर रहे हैं। वह वास्तव में कोशिश तो कर रहे होंगे और कोशिश करनी भी चाहिए। मगर कई विभागों में इसके कारण काम रुका हुआ है। पिछली बार जो वर्षा हुई, उसके बाद अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण कुए, सड़कें, मकान व पुलिया नष्ट हो गई उनके लिए अलग-अलग विभागों ने सीमेंट मांगा है, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पी० डबल्यू० डी० हो। नहरें,

(श्री रामकरणसिंह)
पुलिया; मकान ढह चुके हैं ऐसी हालत में उनके विभागीय कार्य रुके हुए हैं. किसानों के कुओं के कार्य रुके हुए हैं। इसलिए इस संकट को फेस करने के लिए अतिरिक्त कोटा मंगवाने पर विचार करें। गत वर्ष अधिक वर्षा हुई उसके बाद में ही अधिक लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस हुई। आगामी कुछ महीनों में फिर वर्षा आ जायगी फिर न कुए बन सकेंगे, न सड़क, न पुलिया बन सकेगी और जो आप खर्चा कर रहे है वह बरबाद हो जायगा। मंत्रीजी इसके लिए प्रयत्न करके विभागों की जितनी जरूरत है सीमेंट की उतनी उनको दिलाने की तजवीज करें ताकि समय पर काम पूरा हो सके। किसानों को सीमेंट आप दिलायें ताकि अपने कुए पूरे करा सकें। इसके लिए आपने समय जून तक बढ़ा दिया है फिर भी आप अभी तक पूरी सीमेंट नहीं ले सके हैं। आपको पूरी सीमेंट मिल सके और सीमेंट दिया जा सके, इसका आप ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगें।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। जो सरकार ने सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स पेश की हैं उसमें पेज 18 पर है मांग संख्या 30। उसमें लिखा हैं खाद्य पर पूंजी की लागत- चालू वर्ष के मध्य में खाद्यान्न के वितरण परिवहन आदि पर अधिक व्यय हेतु 29.52 लाख रुपये की राशि अपेक्षित है। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं उनके साथ रूल 151 के अनुसार उनको क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। आपने जो परिवहन आदि पर अधिक व्यय हेतु मांग रखी है, उसके लिए कुछ नहीं बताया है।

In case of a supplementary demand for grant, the Minister concerned is required to give general information to the House of the necessity of the demand.

न तो यह बताया है कि किस कारण खर्चा होगा, क्या खर्चा होगा, किस तरह से खर्चा बढ़ गया। कुछ भी नहीं बताया है। कोई भी सदस्य नहीं जान सकता किस बात के लिए हमको कहा है और वे क्या हम से चाहते हैं। इसी प्रकार पेज 33 पर आपने बताया है आवास हेतु ऋण....

श्री अध्यक्ष : यह तो डिटेल की बात है, । पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : जब अनुपूरक मांग रख देते हैं तो यह बात होनी चाहिए, जैसा मैंने रूल पढ़ कर बताया।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें। यह बात बाद में सदन के समक्ष रख सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हमें मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : इसमें जो खर्चे का मद है, वह दिया हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : पेज 18 पर आपने मांग की है खाद्य पर पूंजी की लागत के लिए 29.52 लाख। क्या कारण है ? क्यों बढ़ गया ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। There is no point of order,

श्री भैरों सिंह शेखावत : मेरा निवेदन है कि इस समय मांगों का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यदि माननीय सदस्य स्वीकार करें ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि मांगें पास की जाए और वित मन्त्री एप्रोप्रियेशन बिल सदन में प्रस्तुत कर दें उस पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहें बोलें। अब तक तो यही परम्परा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : सप्ली मेंट्री मांगों के लिए रूल 151 लागू होगा।

श्री भैरों सिंह शेखावत : इस तरह की व्यवस्था पहले भी रही है कि सप्लीमेंट्री मांगें जब प्रस्तुत की जाती है तो सभी डिमांड्स को पास कर दिया जाता है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल जब पेश होता है तो जिस प्रश्न पर भी माननीय सदस्य बोलना चाहें बोल सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अरेंजमेंट आफ बिजनेस की बात है। ठीक है।

अनुपूरक अनुदान की मांगे संख्या 30–खाद्य एवं मांग संख्या 47–नगर आयोजन की प्रस्तुति

श्री जयनारायण पूनिया (खाद्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 30– खाद्य के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,52,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाए।

श्री भंवर लाल शर्मा (नगर आयोजन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 47–नगर आयोजन के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 32,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाए।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 व 47 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक-खाद्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय–

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा):

1. बढ़ती आबादी के अनुपात में खाद्य समस्या की विकट स्थिति से निपटने में परिवहन में हुई अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

2. खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

3. सप्लाई विभाग में खाद्यान्न परिवहन में कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर):

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री गुलाम मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर):

सुश्री पुष्पा (आमेर) :

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा),

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

4. खाद्य वितरण के परिवहन में हुई अनियमितता के कारण जनता को अच्छा खाद्यान्न उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़):

5. खाद्यान्न वितरण हेतु नवलगढ़ क्षेत्र के ग्रामों की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा (आमेर) :

6. खाद्य परिवहन में हुई अनियमितता के कारण खाद्यानों के समय पर ग्रामों में उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री नूरा (मसूदा) :

7. राशन के खाद्यान्नों की दोषपूर्ण वितरण प्रणाली पर चर्चा के लिए।

श्री कारू भाई मीणा (प्रतापगढ़) :

8. प्रतापगढ़ क्षेत्र में अनाज, शक्कर आदि का वितरण समय पर नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

9. बांसवाड़ा जिला में खाद्य वितरण व्यवस्था संतोषजनक नहीं है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

10. राशन के खाद्यान्नों के वितरण की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

11. खाद्य वितरण परिवहन पर हुए अपव्यय पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचंन्द डागा (पाली) :

12. खाद्यान्न के वितरण की मंहगी प्रणाली के कारण उपभोक्ता को अधिक मूल्य देने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

13. खुदरा विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

14. सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनाज विक्रेताओं को नजदीक के डिपो से दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

15. सहकारी समितियों एवं व्यापारियों द्वारा जो नियंत्रित शक्कर वितरित की जाती है उन्हें परिवहन का उचित व्यय दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. बाड़मेर जिला सहकारी समितियों एवं व्यापारियों द्वारा नियंत्रित शक्कर के वितरण में घोटाला करने, कम मात्रा में देने आदि विषय पर चर्चा के लिये।

17. खाद्य विभाग द्वारा सड़ा-गला गेहूं ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता हैं, जिसके कारण ग्रामीण जनता में तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

18. खाद्यान्न वितरण में ट्रकों आदि का खर्च, उसके किराये के भुगतान में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

19. ग्रामीणों को घटिया किस्म का गेहूं उपलब्ध करवाने एवं शहरों के समान अन्य खाद्यान सामग्री उपलब्ध न करवाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

20. जहां राहत कार्य चल रहे हैं वहां पर खाद्यान्नों के वितरण की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

21. खाद्यान्न वितरण की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):

22. खाद्यान्न को बीकानेर जिले के गांवों में ले जाने पर होने वाले व्यय पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

23. खाद्यान्न की वितरण प्रणाली दोषपूर्ण होने पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

24. खाद्य के रख-रखाव को व वितरण की दुर्व्यवस्था और व्यर्थ के अपव्यय पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

25. सरकार द्वारा नियुक्त विक्रेताओं के पुराने किराये के बिलों का अभी तक भुगतान नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 47

मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक नगर आयोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय —

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) :

1. अल्प व मध्यम आय वर्ग की आवासीय समस्या के सुधार हेतु युद्ध स्तर पर प्रबन्ध देश में बढ़ती आबादी के अनुरूप करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

2. अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग आवासीय योजनाओं में सरकारी विद्यालय व डिस्पेन्सरी भवनों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

3. अल्प व मध्यम आय वर्ग की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित भवनों में लगे निम्न स्तर के मेटिरियल के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

4. अल्प व मध्यम आय वर्ग की आवासीय निर्माणाधीन योजना के अपूर्ण भवनों के बाबत चर्चा के लिये ।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरों में लघु एवं मध्यम वर्ग आवासीय योजना के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार):

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री गुलमोहम्मद (जोहरी बाजार),

सुश्री पुष्पा (आमेर),

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

Page No 73

(73)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

6. जयपुर में अल्प आय व मध्यम आय वर्ग के लोगों की आवासीय समस्या के सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा अभी तक स्थाई हल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

7. झुन्झुनू जिले की स्थानीय निधि समितियों को देय ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा (आमेर) :

8. अल्प व मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत अपेक्षित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

9. बांसवाड़ा जिला में अल्प एवं मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

10. पिडावा क्षेत्र में आबादी भूमि के सही उपयोग न होने की चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

11. अल्प व मध्यम आय वर्ग आवास योजना हेतु दी जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

12. जिला तथा अन्य स्थानीय निधि समितियों को दिये जाने वाले ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं) :

13. अल्प एवं मध्यम आय वर्ग की आवासीय योजनाओं की उचित क्रियान्विति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

14. बाड़मेर जिले में सन् 1977-78 में अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत अपर्याप्त प्रावधान करने के कारण जनता में तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

15. अल्प व मध्यम वर्ग की आवासीय योजना का व्यय जिलों के अनुसार आवंटित कराने हेतु चर्चा के लिये।

16. अल्प आय हेतु ऋण तहसीलों में भी दिया जाय, इसके साथ-साथ भवन निर्माण में आबादी भूमि में परिवर्तन शीघ्र हो सके उसकी प्रक्रिया सरल करने को चर्चा हेतु।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

17. अजमेर की अल्प व मध्यम वर्ग आवासीय योजना अदूरदर्शितापूर्ण होने पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टौंक) :

18. गरीबों के आवास हेतु अल्प आय वर्ग योजना का लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

19. अल्प व मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना की असफलता पर चर्चा के लिये।

Page No 74

(74)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) :

20. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निधि समितियों को देय ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

21. बीकानेर में अल्प व मध्यम आय वर्ग आवास योजना का उचित लाभ देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

22. बीकानेर में गरीब लोगों को मकान बनाने के लिये अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत कर्जा अभी तक नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

23. अल्प वर्ग एवं मध्यम आय वाले वर्ग की आवास योजना के उचित क्रियान्वयन के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर):

24. श्रमिक व गरीब लोगों को प्रधानता देने हेतु अल्प आय वर्ग में आवास योजना में सम्मिलित करने हेतु पद्धति में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये।

25. नगरों को आवश्यकता के आधार पर ऋण वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 30 व 48 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री हरचन्दसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य सामग्री के वितरण को लेकर इस सदन में कई बार यह चर्चा हुई कि आखिर इसमें अनियमिततायें क्यों होती है। इसके बारे में अपनी सामान्य बुद्धि से जो कुछ समझ सका हूँ उससे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला मुख्य कारण है वह यह है कि राजस्थान सरकार राशन की दुकान करने वाले व्यापारी को सिर्फ एक बोरी फ्री देती है चीनी की जिसमें वह चीनी आती है। एक दुकानदार 15-20 बोरी से अधिक नहीं बेच सकता है। उसमें उसको 100 रुपया महीने से ज्यादा कमाई नहीं होती है। इसके अलावा उसको अपनी दुकान पर खर्च करना पड़ता है वह अलग है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि राशन की दुकान करने वाला व्यक्ति कुछ हेराफेरी जरूर करेगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आज उदयपुर में राशन की दुकानों पर खाद्य सामग्री के वितरण में भयंकर रूप से अनियमिततायें की जा रही हैं। लोगों को राशन की सामग्री पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है जिससे वहां की जनता परेशान है। इसी के साथ-साथ उदयपुर के आन्तरिक क्षेत्र, ग्रामीण एरिया में तो स्थिति और भी बहुत ही दयनीय है। गांवों में तो स्थिति ऐसी है, अध्यक्ष महोदय, राशन की चीनी कई गांवों में पहुँच ही नहीं पाती है। वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां पर अक्सर ऐसा होता है कि राशन का दुकानदार महीने की अन्तिम तारीखों में ही चीनी उठा कर ले जाता है और दो-चार दिन में सारी चीनी वितरण कर देता है। कई बार तो दुकानदार 24 घन्टे में ही सारी चीनी वितरित की हुई बता देता है। उसका नतीजा यह होता है कि लोगों को चीनी मिलती ही

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं है। वह चीनी राशन का दुकानदार झूठे राशन कार्डों पर फर्जी तौर पर वितरित कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि कई बार तो गांवों में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके राशन के दुकानदार के पास चीनी आई भी है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में एक राशन की दुकान के द्वारा कई गांवों को चीनी वितरित की जाती है। जब राशन का दुकानदार महीने की अन्तिम तारीख में ही चीनी ले जाता है तब या तो लोगों के पास पैसे नहीं होते या 70-80 फीसदी लोगों को पता ही नहीं लगता है कि राशन की चीनी आई भी है या नहीं। इस कारण राशन का दुकानदार चीनी के वितरण का मेन्युपुलेशन कर लेता है। इससे उदयपुर के आसपास के गांवों की जनता को चीनी बिलकुल ही नहीं मिल रही है। इसके लिये मैंने कई बार निवेदन भी किया पिछले दो महीने से उदयपुर शहर में काफी अनियमिततायें हो रही हैं शक्कर के वितरण में, उसके लिये हमने जिला प्रशासन को शिकायत भी की लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। हालांकि, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिला के अधिकारियों से मिल कर हमने यह व्यवस्था तो कर ली है कि शहरी क्षेत्र की जनता को और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बराबर चीनी मिले यह व्यवस्था कर दी गयी है इसके लिये हमारे उदयपुर जिला के जिलाधीश महोदय और उनके नीचे के अधिकारी धन्यवाद के पात्र है। अगर शहर के क्षेत्र में राज्य सरकार ने 500 ग्राम चीनी देना शुरू कर दिया है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी 500 ग्राम चीनी दी जायेगी। पर गांवों में चीनी समय पर नहीं पहुंच पाती है, उसके लिये राज्य सरकार को व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है इसलिये राज्य सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह श्रीमन् उदयपुर में आवासीय मकानों के बारे में है। श्रीमन, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने उदयपुर में आवासीय मकान बनाये हैं। श्रीमन् जब हमारे उदयपुर के कमजोर वर्ग वाले और मध्यम आय वर्ग के लोगों ने यह सुना कि हाउसिंग बोर्ड मकान बना कर दे रहा है तो कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों ने अपनी आय के उस हिस्से को, जो कि उनके बाल बच्चों का भरण पोषण करने के बाद बच जाता है, अपना पेट काट कर मकानों के लिये जमा कराये। उन लोगो की आकांक्षा थी कि हम लोग भी अपना मकान खरीद कर उसमें रह सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो मकान हाउसिंग बोर्ड ने बना कर दिये हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। उन मकानों की स्थिति ऐसी है कि एक कील कोई लगाता है तो कील ठोकने पर कील तो नहीं लगती बल्कि आसपास से चूना और मिट्टी सारी आकर गिर जाती है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इस प्रकार कई मकानों की दीवार ही गिर गयी हैं। कई बार मकानों की पट्टियां ही गिर गयी हैं। सारा मलबा व्यक्ति के ऊपर आकर गिर पड़ता है। श्रीमन, जब वह अपने ऐसे मकान की हालत देखता है तो उसकी आत्मा झुंझलाती है। वह अपने माथे पर हाथ रख कर रोता है। ऐसे कच्चे मकान के लिये उस व्यक्ति को 40 हजार रुपये देने होंगे। इस प्रकार का मकान तो दस साल भी नहीं चल पायेगा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का खराब मैटीरियल यूज किया गया है कि वह मकान दस तो क्या पांच साल भी नहीं चल पायेंगे और सभी मकान ढह जायेंगे। श्रीमन् जो मैटीरियल लगाने की घोषणा की गयी थी वह मैटीरियल नहीं लगाया गया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। आखिर जनता ने अपना पेट काट कर पैसे जमा कराये हैं। अध्यक्ष महोदय, जो नमूना बताया गया था कि 1:8 का रेश्यो होना चाहिये, वह रेश्यो चूने-बजरी का रखना चाहिये था वह 1:4 का रेश्यो कर दिया है। अगर वह सीमेन्ट का होता तो कोई बात नहीं थी पर वह चूने का कर दिया है। श्रीमन्, जो मकान हाउसिंग बोर्ड के बने हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं उसका भुक्त भोगी हूं इसलिये निवेदन कर रहा हूं वहां पर ऐसी व्यवस्था कर दी है कि चूने की जगह रेत ही डाल दी है; इससे खराब हालत उन मकानों की है।

इसके अलावा एक बात और मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा; वह यह है कि हाउसिंग बोर्ड ने मकानों के लिये अलग–अलग लोगों के लिये अलग–अलग किश्तें रखी है। अध्यक्ष महोदय, जब मकान एक ही साइज के हैं, एक ही मैटीरियल उसमें यूज हुआ है तो फिर यह असमानता क्यों है। किन्हीं लोगों से 100 रुपये मासिक किश्त ले रहे हैं तो उसी मकान की दूसरे लोगों से 175 रुपये प्रति माह किश्त ले रहे हैं। एक स्थान पर, अध्यक्ष महोदय, उनकी किश्त 15 साल के लिये है तो दूसरी जगह किश्त 20 साल के लिये लागू की है। आखिर यह सारा अन्याय क्यों हो रहा है? इसकी जांच की जानी चाहिये। श्रीमन्, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिये। साथ ही हाउसिंग बोर्ड जो मकान बना कर दे रहा है, उन मकानों के अन्दर अच्छा मैटीरियल लगाया जाना चाहिये ताकि पक्के मकान बन सकें। पुराने मकानों में जो खराबी है मेटिरियल में उसके लिये दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान उदयपुर के यू.आई.टी. की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमन्, उदयपुर यू.आई.टी. की तो हालत ही खराब है। मैं उदयपुर-यू.आई.टी. पर यह आरोप लगाना चाहूंगा कि उदयपुर के यू. आई. टी. ने उदयपुर को बरबाद करके रख दिया है। उदयपुर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। उदयपुर के यू.आई.टी. का काम एक ही है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिये यू.आई.टी, उदयपुर में प्लाट्स अन्धाधुन्ध तरीके से बेच रहा है। उसको हर माह पचास हजार रुपये तनख्वाह के चुकाने पड़ते हैं इसलिए इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। इसकी ओर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार उदयपुर में कई प्राइवेट संस्थायें हैं, हाउसिंग सोसायटीज हैं जिन्होंने कृषि भूमि ले ली हाउसिंग सोसायटी बना ली, आदर्श गृह निर्माण समिति बना ली

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

और सदस्यों से जमीन के कनवर्शन के पैसे भी चार्ज कर लिये गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बहुत भारी फोर्जरी कर ली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लूंगा।

श्रीमन्, उसने 40 हजार रुपये विकास करने के लिये ले लिये। चालीस हजार रुपये यू.आई.टी. में जमा भी कराये पर बाद में विकास नहीं कराया गया। जब इसके बारे में गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने यू.आई.टी से पूछताछ की तो बताया श्री गेलडा ने 40 हजार रुपये वापस निकाल लिये। इस प्रकार यू.आई.टी. के आफिसर ने और उस गेलडा ने मिल कर फोर्जरी की और सदस्यों से पैसा लेकर गेलडा ने झूठी कार्यवाही की। इसलिये मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि जो आफिसर, यू.आई.टी. में था जिसने झूठा सर्टिफिकेट दिया और जिस व्यक्ति ने पैसा निकलवाया उसके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यू.आई.टी के भूतपूर्व चेयरमेन श्री गिरधारीलाल शर्मा ने दो हजार प्लाट्स लोगों को अन्धाधुन्ध अलॉट कर दिये लेकिन आज तक उन लोगों को प्लाट्स के कब्जे नहीं मिले हैं उनके द्वारा किये गये कारनामों का आज तक फैसला सरकार नहीं कर पायी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने प्लाट्स के पैसे जमा करा दिये थे, जिनको अलाटमेंट प्लाट्स का हो गया था उन लोगों को प्लाट मिलना चाहिये। उनका यह कानूनी हक है। आज स्थिति यह है कि सात साल हो गये हैं उन लोगों को कब्जा नहीं मिल रहा है। वह बेचारे लोग अपनी जूतियां यू.आई.टी. के दफ्तर में जाकर घिस रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन लोगों को तुरन्त कब्जा मिलना चाहिये। बस इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पहले सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड को पारित कर दिया जाय। उसके बाद में जब एप्रोप्रियेशन बिल हाउस में पेश हो तब माननीय सदस्य कोई अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहे तो बोल लें। ऐसा पहले भी होता आया है। अगर वही पुरानी व्यवस्था की जाय तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अभी चर्चा चल रही है उसके बाद में मुख बन्द का प्रयोग किया जायेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से नगर विकास न्यास की ओर दिलाना चाहूंगा। आज नगर विकास न्यास की हालत भयंकर रूप से खराब है आज नगर विकास न्यास और नगरपरिषद में जयपुर के विकास के नाम पर कोई तालमेल नहीं है। इसके अलावा आज न्यास के अन्दर अफसरशाही छायी हुई है। अब तक किसी दल विशेष के व्यक्ति पर उपकार करने के लिये उसको न्यास का चेयरमेन बनाते रहे। नगर विकास न्यास का कार्य सिर्फ एक ही रह गया कि जयपुर नगर के प्लाट्स को बेचना और अपने कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाना। यही कारण है कि जयपुर में विकास का काम नहीं हुआ बल्कि यहां पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अवैध कब्जों की बहुतायत हो गयी और कोई पूछने वाला ही नहीं रहा। मैंने सदन में इसके लिये कई बार निवेदन किया और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया पर कांग्रेस सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने यह बार-बार कहा कि जयपुर में जयपुर नगर निगम बनाया जाय और जयपुर नगर परिषद और जयपुर नगर विकास न्यास में तालमेल बैठाया जाय। यहां पर नगर निगम बना दिया जाय, फिर जयपुर के मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने के लिये एक अलग से जयपुर नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाय। हम कई दिनों से चर्चा सुनते आ रहे थे कि जयपुर के मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने के लिये जयपुर नगर निगम के अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाय जो कि जयपुर के मास्टर प्लान को क्रियान्वित करे इसके साथ ही साथ मेरी यह मांग है कि जयपुर विकास न्यास के गत वर्षों का जो भी कार्य रहा है गबन घोटालों की चर्चा रही है, लोगों को मकान नहीं मिले, लाखों रुपयों का गबन हुआ है, इसलिए तीस वर्षों के कार्य का मूल्यांकन हो, इसके लिए इस सदन के विधायकों की एक कमेटी बनाई जाना बहुत आवश्यक है।

अब मैं हाउसिंग बोर्ड का जिक्र करना चाहूंगा। 1973 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाउड स्पीकरों से प्रचार किया गया था कि लोगों को डेढ़ से तीन वर्ष में मकान दे दिये जायेंगे। 16 हजार व्यक्तियों ने अपने नाम रजिस्टर कराये। तीन चार हजार लोगों ने जब आवासन बोर्ड मकान बनाकर उनको नहीं दे सका तो अपनी जमा कराई हुई राशि वापस ले ली। आवासन बोर्ड केवल एक हजार लोगों को आज तक मकान दे सका है और 12 हजार लोगों के आज भी मकानों के लिए आवासन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में नाम हैं। 1976 में श्री रामनारायण जी चौधरी आवासन बोर्ड के मंत्री थे। फिर आवासन बोर्ड के मंत्री श्री गुलाबसिंह शक्तावत बने। 1977 में श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने यहां पर यह बात स्वीकार की और 1978 में जवाब दिया गया कि 2 साल के अन्दर-अन्दर पंजीकृत उम्मीदवारों को मकान दे दिये जायेंगे। क्या 12 हजार मकान इन दो वर्षों में बन जायेंगे? यह मेरा सवाल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आवासन मंत्री ने इसको एक गम्भीर समस्या माना है। जो वर्तमान आवासन मंत्री हैं वह जयपुर शहर के निवासी हैं और सौभाग्य से वह वकील भी हैं। उनको मालूम है कि मकान मालिक और किरायेदारों के हजारों केसेस आज अदालतों में चल रहे हैं। शहर में अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं और अवैध कब्जे इसलिए बढ़ रहे हैं कि आवासन बोर्ड रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात् भी और घोषणा हो जाने के बाद भी लोगों को मकान नहीं दिला सका। लोगों को मकान नहीं मिले। जब अखबारों में एक घोषणा की गई उसको हमने पढ़ा कि क्लार्क्स आमेर होटल के सामने मालविया नगर के लिए 74 लाख की लागत के मकान बनाने के लिए टेन्डर्स आमंत्रित किये गये हैं। वह टेन्डर्स वास्तव में आमन्त्रित किये गये और क्या सरकार वास्तव में आवासीय समस्या को हल करना चाहती है? इसकी घोषणा होनी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहिए क्योंकि जयपुर नगर में मकानों की बहुत बड़ी दिक्कत हैं। दिल्ली की सरकार ने प्रति वर्ष 50 हजार मकान बनाने की घोषणा की है तो क्या कारण है कि हमारे राज्य का आवासन बोर्ड मकान नहीं बना सकता इसके लिए जमीन के मिलने में देरी होती है तो यह जमीन मिलने में देरी क्यों हुई ? निवेदन यह है कि हमारे यहां पर आवासन बोर्ड और नगर विकास न्यास में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए मेरी यह मांग है कि जयपुर विकास अधिकरण की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है।

इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन एक यह भी है कि कृषि भूमि पर जो मकान बन गये हैं उनको रेगुलेराइज करना चाहिये। उस भूमि को आबादी में कन्वर्ट करना चाहिये और लोगों के नक्शे पास होने आदि का काम होना चाहिए। साथ ही सीमेन्ट भी मिलनी चाहिये। मैंने बार-बार पहले सदन में भी जोर शोर से कहा है और इस सदन में भी कहा है कि कन्वर्शन के मामले अभी तक पड़े हुए हैं। हजारों लोगों ने अपने मकान कृषि भूमि पर बना लिये वह इसलिए बना लिये कि नगर विकास न्यास मकान के लिये जमीन देने में असफल रहा है। कन्वर्शन नहीं होने के कारण आज हजारों लोगों के मकान अधूरे पड़े हैं उनको पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मेरी राज्य सरकार से मांग है कि कन्वर्शन शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। पहली तो मांग यह है कि कन्वर्शन चार्जेज एक तरह से बिलकुल माफ होने चाहिए। अगर सरकार यह नहीं कर सकती तो जो असमानता है एक सड़क पर 30 रुपये और दूसरी सड़क पर 10 रुपये, इस असमानता को आप दूर करें। इसी सत्र के बीच में कन्वर्शन की क्या रेट्स होंगी इसकी घोषणा हो, यह मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति बनाई है। ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा है कि जयपुर में एक लाख मकान बनाये जायेंगे, चीफ टाउन प्लानर से कहा गया है कि वह एक योजना बनाये। तो वह योजना होगी या नहीं होगी ?

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। आवासन बोर्ड में लोगों ने अपने मकान के लिए रकम जमा कराई है उस पर बोर्ड 6 पर्सेन्ट का ब्याज देता है। इस रकम को दिये आज करीब 5 साल हो गये। यदि इसी रकम को वह बैंकों में 5 साल के लिए जमा कराते तो 10 पर्सेन्ट ब्याज मिलता। तो यह ब्याज भी कम है।

हमने यह भी घोषणा की कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत परिवारों के लिए आवास गृह बनाये जायेंगे, अलग-अलग क्षेत्र में जहां-जहां भी मैटीरियल उपलब्ध है उसके आधार पर मकान बनाये जायेंगे। तो यह मकान बनाये जायें और बहुमंजिले मकान भी बनाये जायें अन्य नगरों में भी बनाये जायें। इसके अलावा सांगानेर, झोटवाड़ा, सोडाला, चौमू और दुर्गापुरा को उप-नगर बनाया जाना चाहिए। कच्ची बस्तियों में मकान बने, उसमें हाउसिंग बोर्ड द्वारा मदद दी जानी चाहिए। जवाहरनगर और नाहरी का नाका की जो हाउसिंग बोर्ड ने योजना बनाई थी उसमें पार्क और हास्पिटल अधूरे पड़े हैं उनको भी पूरा किया जाये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं खाद्य के ऊपर अपने विचार रखना चाहूंगा। जनता पार्टी की सरकार में खाद्य के मूल्यों मे स्थिरता आई है। मेरी यह मांग है कि अकालग्रस्त स्थानों पर खाद्य वितरण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार अनाज का कोटा हमको देती है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार इस अनाज के पूरे कोटे को भी नहीं उठा पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि गांवों और शहरों में वितरण में बहुत फर्क होता है। इसलिए खाद्य वितरण में गांवों और शहरों में समानता होनी चाहिये, हमारे यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिथिलता आई हुई है, राशन की दुकानें समय पर नहीं खुलतीं और दुकानों से सामान भी गायब हो जाता है। इससे हमारी जनता पार्टी की साख गिरती है। यह हमारे लिए बहुत कसौटी की बात है। दुकानों पर से जो सामान गायब हो जाता है उसका चैकिंग किया जाना भी बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लोगों को सीमेन्ट नहीं मिलता है। सोफ्ट कोक लोगों को नहीं मिलता है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार से भी राजस्थान को जो नियंत्रित कपड़ा, रेयसॉन याइल का कोटा मिलता है वह भी सरकार नहीं उठा पाती है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने मण्डी टैक्स लगाया था। एक मण्डी में एक टैक्स लगेगा और दूसरी में दूसरा टैक्स लगेगा। इस टैक्स को माफ किया जाना चाहिए। एक बार ही टैक्स लेना चाहिए। जनता पार्टी की सरकार द्वारा टैक्स माफ होना चाहिए।

दूध और मावे पर कभी रोक लगा दी जाती है और कभी हटा ली जाती है। इससे हमारी बदनामी होती है। इसके लिए एक नीति होनी चाहिए।

राजस्थान दाल व्यापारी अनुज्ञापना आदेश, 1977 से राजस्थान के व्यापारियों में काफी असन्तोष है और विभिन्न प्रकार की चर्चायें हैं। हमारी मांग यह है कि लाइसेन्स पद्धति में सरलीकरण होना चाहिए। आज एक दुकान पर चले जायें तो 21 प्रकार के लाइसेन्स टंके हुए हैं। भगवान के चित्रों के बजाय लाइसेन्स दिखते हैं। इससे हमारी जनता पार्टी को अच्छी साख नहीं जमती है इसलिए लाइसेन्स पद्धति का सरलीकरण किया जाना चाहिए एक लाइसेन्स लेना पर्याप्त हो। उसमें सारी बातों का समावेश हो जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान में जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर माल जप्त किया गया उस सामान का बाजार में वितरण होना जरूरी है वरना क्या है कि माल सारा पड़ा पड़ा सड़ जाता है, खराब हो जाता है।

इसी तरह से रेजगारी की बोरियां जप्त की हुई पड़ी रहीं। वह रेजगारी बाजार में नहीं आई इससे लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वर्तमान सरकार को चाहिए कि जो सामान पकड़ा जाये उसे बाजार में बेचा जाये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अन्तिम बात यह है कि राजस्थान में मिलावट के कानून में जो शिथिलता आई है उसको दूर किया जाना चाहिए। यदि यह सब किया जायगा तो जनता पार्टी का आचरण जनता के सामने साफ रहेगा, नक्शा साफ रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या नक्शा है? नक्शा बना ही नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बना हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : वह बिगड़ा है।

श्री अध्यक्ष : आज की कार्य सूची में 4 बजे मुख–बन्द का प्रयोग करने की व्यवस्था है किन्तु क्योंकि सदन की यह इच्छा है कि एक-एक मांग सदन के सामने रखी जाये और उसे पास करवाया जाये, अतः मैं मांगों को एक-एक करके सदन के समक्ष रखता हूं।

मांग संख्या 30 ....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत समय है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, फिर समय होगा तो मैं और विचार करूंगा। जब सदन की इच्छा है तो मांगों को पारित करा देना चाहिये। एक एक करके रखता हूं। एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर आप बोल सकती हैं। मैं माननीय सदस्या को मौका दूंगा। 10 मिनट ठहर जायं।

मांग संख्या 30 व 47 का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 30–खाद्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,52000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 47–नगर आयोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,32,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मुखबन्द

शेष अनुपूरक अनुदानों का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 4–सचिवालय के सम्बन्ध के 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 4,26,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 5–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री अध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,73,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,697,000रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 8– राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 53,62,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 9– फारेस्ट के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को1,01,16,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 10 – स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,26,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 12– आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,87,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78की मांग संख्या 13– बिक्री-कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 14 – खजाना पेंशन आदि के सम्बन्ध में 31 मार्च,1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,15,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 16 – पुलिस के

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय का 16,73,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 17–जेल के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,37,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 19–सार्वजनिक निर्माण के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 91,000 तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की की मांग संख्या 20–आवास के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 54,18,-000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 21–सड़क एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,60,03,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 22–कार्यालय भवन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 68,-34,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,40,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 24–शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च; 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

Page No 84

(84)

(श्री अध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,36,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 25–कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 43,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 26–चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 27–लोक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,58,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 28–परिवार कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 31–पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,79,85,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 32–समाज कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,41,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 35–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री अध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,69.18, 000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 36–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,75, 44 000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 37–लघु सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 22,01,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 38–पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,85,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 39–डेयरी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,95,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 40–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,00 91,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 41 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 77,51,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 42 ग्राम और लघु उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 86,26,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 43–माइन्स के सम्बन्ध में 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 5,55,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 44–उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,00,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 45-सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,18,81 000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 46–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,54,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान 1977-78 की मांग संख्या 48–परिगणित के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 81,02,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य
विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1978, माननीय वित्त मंत्रीजी।

राजस्थान विनियोग (संख्या I) विधेयक,

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय वित्त मन्त्रीजी मैं खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक विचारार्थ बाद में लिया जायगा, पहले हमको अपने विचार प्रगट करने का अवसर मिलेगा, उसके बाद विचारार्थ लेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय; यह जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप मुझे बोलने का अवसर देंगे....

श्री मथुरादास माथुर : इस विधेयक, एप्रोप्रियेशन बिल, के द्वारा करीब 52 करोड़ रुपया राज्य सरकार लेना चाहती है। इस विधेयक के द्वारा खर्चे के लिये सदन की मन्जूरी चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1977-78 में पहला बजट पेश हुआ, मार्च के महीने में फिर दूसरा बजट, परिवर्तित बजट पेश किया गया वित्तमन्त्री द्वारा वह पेश किया गया 6 सितम्बर 1977 को जो कुछ भी अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में खर्चा हुआ; जनता सरकार के वित्त मन्त्री महोदय को मौका मिला था, अवसर मिला था कि जब वह परिवर्तित बजट पेश करें तो उस वक्त पांच छः महीनों का लेखा जोखा देख कर फिर बजट पेश किया जावे। अब यह तीसरा एप्रोप्रियेशन बिल आ रहा है। पहला एप्रोप्रियेशन बिल मार्च के एण्ड में पेश हुआ 1977-78 के लिए, फिर सितम्बर के अन्दर दूसरा एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ और अब यह तीसरा एप्रोप्रियेशन बिल हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पहला अवसर है जब कि वित्त मन्त्री को तीन दफे एक ही वित्तीय वर्ष में एप्रोप्रियेशन बिल पेश करने का मौका मिल रहा है। हमने सोचा था कि वित्त मन्त्री जब दूसरा एप्रोप्रियेशन बिल पेश कर रहे हैं तो पांच-छः महीनों के अन्दर जो खर्च हुए, ज्यादा खर्चा होने की सम्भावना थी, उन सब को आंक लिया होगा। जो हमारे सामने दूसरा एप्रोप्रियेशन बिल पेश किया गया था, सितम्बर में परिवर्तित बजट पेश किया गया था अपने आप में वह सप्लीमेंट्री बजट था। इसलिए जब छः महीनों के बाद फिर सप्लीमेंट्री बजट पेश करने का मौका मिला तो उस मौके पर आंकड़े देख कर बजट बनाया होगा। मगर खेद के साथ कहना पड़ता है कि सितम्बर के बाद अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी ये होते-होते छः महीनों में फिर आप 52 करोड़ की मांग लेकर इस सदन के सामने उपस्थित हुए हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राज्य सरकार ने कम से कम बजट बनाते वक्त और खास तौर से परिवर्तित बजट बनाते समय, सदन के सामने उपस्थित होते समय यह क्यों नहीं कहा कि आप जो परिवर्तित बजट पेश कर रहे हैं उसमें सरकारी नौकरों का महंगाई भत्ता, जो ड्यू हो चुका है, जो गजेन्द्र गड़कर कमीशन के आधार पर कमिटेड हैं, भारत सरकार ने दे दिया है और आपको भी देना पड़ेगा, उसको आपने बजट प्राव-

(श्री मथुरादास माथुर)

धानों में क्यों नहीं दिखाया जब कि ग्राप परिवर्तित बजट पेश कर रहे थे ? नतीजा यह है कि ग्राप दो एप्रोप्रियेशन बिल पेश करने के बाद भी ग्रब फिर 52 करोड़ रुपयों का खर्चा लेकर यहां पर ग्राए हैं। ग्रब फिर ग्रापने यह बजट पेश किया हैं, इसके बारे में तो ग्रागे जाकर चर्चा करूंगा, यह तो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड की बात कह रहा हूं। जब ग्रापने परिवर्तित बजट पेश किया था उस समय भी हमने कहा था कि गवर्नमेंट एम्पलाइज का महंगाई भत्ता ग्रापको देना पड़ेगा, मगर ग्रापने बजट में नहीं दिखाया था। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि राज्य सरकार जानबूझ कर बजट में कम खर्चा दिखाना चाहती है। ग्रनफोरसीन एक्सपेंडीचर के के बारे में सोच सकता हूं कि यह पता नहीं चल सकता, खर्चा होगा या नहीं होगा किसी पर्टीक्यूलर सरकम्सटांसेज में किस ग्राइटम पर खर्चा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, यह तो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड में ग्रा जायगा। मगर जो खर्चा सामने दिख रहा है खर्चा होने वाला है उसको सप्लीमेंट्री डिमाण्ड में रखते हैं तो यह रोंग बजटिंग है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, नम्बर वन, यह सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेने की कोशिश की है यह ग्रापने सिर्फ ग्रपने परिवर्तित बजट में घाटा कम दिखाने के लिए की हैं। वरना यह सब बातें तो दिख रही थीं। छोटी मोटी बातों को नहीं कह रहा हूं। पंचायत इलेक्शन पर 25-30 लाख की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड है। ग्रापने गवर्नर के भाषण में ही यह एलान कर दिया था कि पंचायत चुनाव करायेंगे। जब ग्रापने गवर्नर के ग्रभिभाषण में एलान कर दिया था कि हम पंचायतों के चुनाव करायेंगे तो फिर इसके लिए खर्चा रखना चाहिए था। ग्रब वही सप्लीमेंट्री डिमाण्ड सदन के सामने ग्रा रही है कि हमको यह रकम सैंक्शन की जावे।

श्री ग्रोंकारलाल चौहान : ऐसी मांगें ही तो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड में हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह फाइनेन्स का मामला है, माननीय सदस्य।

वे खर्चे, जो कि ग्राप जानते हैं, जो कमिटेड हैं, ये खर्चे जिनके लिये राज्यपाल के ग्रभिभाषण के जरिये से सदन को बता चुके हैं, बजट में रखने पड़ते हैं। ग्रगर ग्राप नहीं रखते हैं बजट में ग्रौर फिर सप्लीमेंट्री डिमाण्ड में लाते हैं तो यह रोंग बजटिंग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जानबूझ कर बजट बनाते समय जो चुनाव के ग्रन्दर खर्चा होने वाला था उसका प्रोविजन नहीं रखा, गवर्नमेंट एम्पलाइज को मंहगाई भत्ता देने वाला ग्राइटम था, ग्राप जानते थे कि ग्रापको महंगाई भत्ता देना पड़ेगा लेकिन बजट में प्रोविजन नहीं रखा। मैं यह तो मान सकता हूं कि भारत सरकार से कोई ग्रान्ट नहीं ग्राई हो ग्रौर उससे पहले ही खर्चा कर दिया तो बाद में ग्रान्ट ग्राने पर एडजस्ट कर लेंगे, इसके लिये सप्लीमेंट्री डिमाण्ड रखी हो तो मान सकता हूं, यह बात तो समझ में ग्रा सकती है लेकिन यह 52 करोड़ के करीब-करीब ग्रापने एक्सेज खर्चा किया ग्रौर ग्रब सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर ग्राये हैं जब वित्त मन्त्री महोदय, ग्रापके विभागों ने कई री-एप्रोप्रियेशन किये है। यह री-एप्रोप्रियेशन को हम ग्रागे एग्जामिन करेंगे, री-एप्रोप्रियेशन को ग्रलग से लेंगे क्योंकि सदन में ग्राने से पहले ही दूसरे हेड्स में

(श्री मथुरा दास माथुर)

खर्चा कर दिया, और री-एप्रोप्रियेशन करने के बावजूद भी 52 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स लेकर आप सदन में आये हैं। आपने सदन में यह वायदा किया था कि परिवर्तित बजट में जो घाटा रहा है, वह घाटा इकानामी करके और अन्य तरीकों से भारत सरकार से ग्रान्ट लेकर आप पूरा कर देंगे। यह इस सदन में आपने कहा था, परन्तु आपने उस घाटे को पूरा नहीं किया है। एक प्रश्न के उत्तर में भी आपने यह कहा था कि इकानामी की है, वह इकानामी आपने पांच लाख रुपये की की है। उसकी लिस्ट आपसे मांगी गई। वह लिस्ट आप सदन में पेश नहीं कर सके। आज तक मालूम नहीं, यह इकानामी आपने कहां की है? आप सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स लेकर वापस सदन में आए हैं जिससे हमें मालूम हुआ है कि आपने कुछ सरकारी ऑफिसरों के और बाबुओं के ओहदे नए क्रिएट किये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि न तो आपने कोई इकानामी की, जो भारत सरकार से ग्रान्ट लेनी थी, वह लेकर भी आपने इस घाटे को पूरा नहीं किया, इस सम्बन्ध में मैं एप्रोप्रिएशन बिल के वक्त चर्चा करूंगा। मेरा यह चार्ज है कि इकानामी के बदले आपने एक्सेस एक्सपेन्डीचर किया है और 52 करोड़ की सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड यहां सदन में प्रस्तुत की है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सुझाव रखा था। वित्त मन्त्री महोदय तो यहां पर हैं, परन्तु मुख्य मन्त्री महोदय यहां पर नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिअरनेस अलाउन्स आप कब तक देते रहेंगे और कब तक आप यह नान प्लान एक्सपेन्डीचर बढ़ाते रहेंगे? एक तरफ आप यह महंगाई भत्ता देते हैं और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के कारण भाव बढ़ते हैं। जो डिअरनेस अलाउन्स राज्य कर्मचारियों को आप देते हैं, उससे आम अवाम को बड़ी परेशानी होती है। मैंने कई दफा सदन में निवेदन किया था, मुझे याद है, गत बजट पर हुई बहस के दौरान भी मैंने यह सुझाव दिया था कि आप गवर्नमेन्ट एम्पलाइज के लिए कोआपरेटिव बनावे ..

(2, 03 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और गवर्नमेंट एम्पलाइज को 1960-61 की प्राइसेज के ऊपर, जो जरूरत की चीजें हैं, 20-25 असेन्शियल कामोडिटीज हैं, जो एवरेज मिडल क्लास के आदमी को जरूरत है, इन डिपार्टमेन्टल कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये राशन कार्ड पर उपलब्ध करावें और उनकी तनख्वाह में से इन चीजों का पैसा काट लें। उससे क्या होगा? नतीजा यह होगा कि आपका इन्फ्लेशन रुक जायगा और हर 8 पाइन्ट पर गजेन्द्र गडकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो डिअरनेस अलाउन्स देना पड़ता है, साल में दो तीन बार इन्क्रीज करना पड़ता है, वह रुक जायगा। इसलिये मैंने यह सुझाव दिया था कि 60-61 के प्राइस लेवल पर असेन्शियल कामोडिटीज कर्मचारियों को डिपार्टमेंटल कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये दीजिये। ये चीजें आप एक साथ और थोक मूल्य पर खरीदेंगे तो सस्ती और अच्छी मिलेंगी। बीच का जो गेप है, वह सब्सिडाइज कर दें। इस-

(श्री मथुरा दास माथुर)

लिये मेरा यह सुझाव है कि 60-61 की प्राइसेज पर आप ये चीजें देना शुरू करें और इनको डीअरनेस अलाउन्स देना बन्द कर दें। आपने उस समय इस पर विचार करने के लिये कहा था। परन्तु आपने इस पर विचार किया नहीं और आप दूसरे कामों में लग गये। इसलिये मेरा पुन: निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। विचार नहीं करेंगे तो एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से महंगाई बढ़ा कर वापस लेते हैं। उससे जो आम आदमी गवर्नमेंट एम्पलाइज नहीं हैं, जो मिडिल क्लास के लोग है, उनको परेशानी होती है। मेरा सुझाव है कि आप इस पर चिन्तन करें और उसके बाद कर्मचारियों का डीअरनेस अलाउन्स बन्द कर के 60-61 की प्राइसेज के आधार पर कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये असेन्शियल कोमोडिटीज के वितरण की व्यवस्था करें।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आपने पंचायतों के चुनाव करा दिये। पंचायतों के इलेक्शन में जो खर्चा हुआ है उसको आपने सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स के जरिये मांगा है। मेरा यह निवेदन है कि आपने इन पंचायतों के इलेक्शन में 25 लाख रु० खर्च किया है तो इसका नतीजा क्या निकला? आपके सदस्य बहुत जोरों से कहते हैं, हमने पंचायतों के इलेक्शन करा दिये हैं जो 11 साल तक नहीं हुए थे। कभी नदी और नाले एक साथ हुए हैं? वे तो जोर से छलांग लगाकर ही बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, पंचायतों के चुनाव करा दिये परन्तु इनके चुनावों के बाद आगे क्या हुआ? पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव आपने नहीं कराये हैं। इनके चुनाव नहीं होने से पंचायतें काम नहीं कर सकेंगी और जो डवलपमेंट का वर्क है, वह भी रुक जायेगा। सिर्फ 25 लाख रुपया खर्च कर देने से और पंचायतों के चुनाव करा देने से ही यह काम पूरा नहीं हो जाता है। यह काम, विकास का काम आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराते हैं। पुराना एक्ट आपका बना हुआ है। आपके एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर बैठे हुए हैं और तनख्वाह उठा रहे हैं। यह आपका 30 लाख रुपया वेस्ट जायेगा यदि आप पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराते हैं। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट की आप बात करते है। अभी तो रिपोर्ट कहां है? इस कमेटी ने एक क्वेश्चनर बना कर हम को भेजा है। उसका जवाब देना है। सभी माननीय सदस्यों को उसका जवाब देना है। यह हिन्दुस्तान भर की समस्या है। मुझे शक है कि आपकी जनता पार्टी की हुकूमत रहते अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पेश हो जायगी। ऐसी कमेटियों की रिपोर्ट का हमें काफी तजुर्बा है। जो क्वेश्चनर है, उसका जवाब आएगा, उनका एग्जामिनेशन होगा, विटनेसेज होंगी। बाद में कमेटी दौरा करेगी। सभी स्टेट्स में जाएगी और उसके बाद में रिपोर्ट बनाएगी। वह रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की जाएगी। भारत सरकार कुछ मन्जूर करेगी और कुछ नामन्जूर करेगी। पंचायत राज एक स्टेट सब्जेक्ट है, इस पर फिर हम को यह फैसला लेना होगा कि जो श्री

(श्री मथुरा दास माथुर)

टायर सिस्टम है, उसको टू टायर सिस्टम रखना है या वन टायर सिस्टम रखना है। इसलिए इसका अभी कुछ पता नहीं है। इसके लि आपको सदन में एक बिल अलग से पेश करना होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने यह 30 लाख रुपया खर्च किया है, जो सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स के जरिए इस सदन में पेश किया है यह हयूज वेस्टेज नहीं करना चाहिए था। यदि सरकार ने चुनाव का फैसला कर लिया तो उसके साथ-साथ दूसरे चुनाव भी करा देने चाहिए। किसी की सगाई हो जाए और ब्याह न हो, और ब्याह हो जाए तो गौना न करे, ऐसी बात तो नहीं हुई है। पंचायत राज के फ्रूट्स यदि आपको जनता तक पहुँचाने हैं, तो जो हमारा पहले का थ्री टायर सिस्टम है, जो हमारा बेसिक आर्गेनाइजेशन है, उसको ही अभी चलने दिया जाए और बाकी संस्थाओं के चुनाव करा दिए जांए तो डवलपमेंट का काम हो सकेगा। 30 लाख रुपये की यह जो डिमान्ड है, जो 52 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स की एक कम्पोनेन्ट है, आप मेहरबानी करके उसका पूरा लाभ देने के लिए इन संस्थाओं के चुनाव करा दें। अशोक मेहता कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तब राज्य सरकार जो तब्दीली इसमें करना चाहे, कर ले। आपको इसके लिए बिल तो लाना होगा। वरना अभी जो गाड़ी चल रही है, वह रुक जाएगी एक स्टेज पर गाड़ी चला कर आपने रोक दी है तो यह 30 लाख रुपया वेस्ट चला जाएगा। इसका सही उपयोग करना है तो दूसरी संस्थाओं के भी आप साथ ही साथ चुनाव करा दें।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स के ऊपर एक बात, और कहना चाहता हूँ। इस वक्त, वित्त मन्त्री महोदय, सातवां फाइनेन्स कमीशन बैठा हुआ है। वह कमीशन राजस्थान में आ चुका है। सरकार ने उसको मेमोरेन्डम भी पेश कर दिया है और कई व्यक्तियों ने अपने-अपने विचार उसके सामने रखे हैं। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हिन्दुस्तान में एक चीज और चल रही है एक बहुत बड़ा डायलाग चल रहा है। अच्छा होता मुख्य मन्त्रीजी यहां पर होते। एक बड़ा डायलाग चल रहा है सेन्ट्रल-स्टेट रिलेशन के बारे में। 5-7-8 मुख्य मन्त्रियों ने मिल कर चण्डीगढ़ में एक मीटिंग बुलाई है और 5-7-8 मुख्य मन्त्री अपने-अपने विचार रखेंगे। वेस्ट बंगाल के मुख्य मन्त्री ने मेमोरेन्डम पेश करके बंगाल की असेम्बली में एक प्रस्ताव पास करा लिया है। वैसे तो लोग अपने-अपने विचार रखें, हमें क्या? यह सात-आठ चीफ मिनिस्टर मिल कर चण्डीगढ़ में कोई डिसीजन लेंगे पोलिटिकल, फिस्कल, दूसरे जो सेण्ट्रल-स्टेट रिलेशन्स हैं, उनके बारे में सोचेंगे। राजस्थान को जो स्थिति रही है, वह बेकवर्ड रही है। हमारे ऊपर कर्जा है। हम पिछड़े हुए हैं। हमें यह सोचना है बराबर किस प्रकार से वित्तीय हिस्सा बना रहे. संविधान में चेंजेज करना आवश्यक है या नहीं, सेण्ट्रल और स्टेट रिलेशन्स में कोई अमेण्डमेण्ट हो या नहीं? आज के जो मौजूदा हालात हैं, उनमें सेण्ट्रल लिस्ट से क्या फायदा होने वाला है या उसको तब्दील करना चाहिए? तीन प्रकार की स्टेट्स हैं। एक तो वह हैं जो अच्छी डवलप्ड हैं। दूसरी वह हैं, मीडियम हैं। तीसरी वह हैं जो बैकवर्ड है, राज-

(श्री मथुरा दास माथुर)

स्थान जैसी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ? सेन्ट्रल-स्टेट रिलेशन्स के बारे में आपकी क्या नीति है ? आपने बताई नहीं है। सेवन्थ फाइनेंस कमीशन बैठा हुआ है। अखबारों में इसकी चर्चा है। हमारे राजस्थान की सेन्ट्रल-स्टेट फिस्कल रिलेशन्स में क्या सहमति है ?

एक माननीय सदस्य : क्या कोई मेमोरेण्डम है ?

श्री मथुरादास माथुर : या आप इस बात पर इस वक्त बोलना नहीं चाहते हैं, बाद में बोलेंगे ? मुख्य मन्त्री ने नेशनल डवलपमेन्ट कौन्सिल में चर्चा की थी। जैसा कि अखबारों में छपा है, उन्होंने कहा, हम केन्द्र को मजबूत चाहते हैं। मगर साथ-साथ स्टेट्स भी मजबूत रहें, हम यह भी चाहते है।'' यह उन्होंने पॉलिटिकल मामले में कहा है या फिस्कल मामले मे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दोनों में कहा है, in both ?

श्री मथुरादास माथुर : In both ?

मैं अपनी राय जाहिर करूं इससे पहले राज्य सरकार की राय लेना चाहता हूं। कहीं राज्य सरकार का हित, अवाम का हित खिलाफ राय आने से खतरे में नहीं पड़ जाये। अगर आपकी हमारी राय मिलती है तो ठीक है। नहीं मिलती है तो हम अपनी राय रख सकेंगे। राज्य सरकार ने कहीं पर इसका जिक्र नहीं किया है। यह एक बर्निंग इश्यू है। राजस्थान सरकार बिल्कुल चुप है। क्या हम काश्मीर का जो आर्टीकल है, वह बेकवर्ड स्टेट पर लगाना चाहते है ? हम मौजूदा स्टेटस चाहते हैं, या चेंज चाहते हैं ? काश्मीर का आर्टीकल क्या हम अपने ऊपर लगाना चाहते हैं ? हम चेंज चाहते हैं तो कौन-कौन से आर्टीकल में चाहते हैं ? क्या सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन में जो आज की स्थिति है, इतनी ही चाहते हैं या राज्य सरकार की क्या वित्तीय नीति है उस पर प्रभाव पडेगा। तो मैं एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए मांग करता हूं कि राज्य सरकार वित्तीय स्थिति की घोषणा करे। राज्य सरकार जल्दी घोषणा कर देगी तो हम 1979 का जो मेन एप्रोप्रियेशन बिल है, उस समय इस पर बहस करेंगे। बाद में इस पर विचार करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाद में हमें अवाम के सामने मजबूर होकर जाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल ने असेम्बली में प्रस्ताव पास करा लिया है तो मोरार जी देसाई के कहने से यह नहीं होगा कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम इस सवाल को रोक नहीं सकेंगे। इस पर अपने विचार भी आने चाहिए। मैं यह उम्मीद लेकर चलता हूं कि राज्य सरकार इन विचारों को रखेगी।

एक माननीय सदस्य : आपका विचार क्या है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं माननीय मथुरादास जी माथुर से निवेदन करूंगा कि उनका जो तजुर्बा है और जो उनकी पार्टी का दृष्टिकोण है वह प्रस्तुत करें तो लाभकारी रहेगा।

श्री मथुरादास माथुर : अभी तो इतना समय नहीं है। मैं मोरार जी भाई की इस बात से सहमत हूं कि भारत सरकार इस

(श्री मथुरा दास माथुर) पर विचार करने को तैयार नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जो भावना है उसको डिटेल में कहने का समय नहीं है। फिस्कल मैटर्स में जो कुछ बातें बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कही हैं, उनमें से कुछ बातें कहूंगा। सेन्टर के परव्यू में जो एडीशनल एक्साइज, स्टेट ड्यूटी, इन्कम टैक्स और कुछ टैक्स आते हैं, चार पांच टैक्स हैं, वह सेन्टर के परव्यू में आते हैं। अभी तक भारत सरकार का यही कहना है कि इन पर विचार करना अनुचित मानती है। इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि सेवन्थ फाइनेंस कमीशन है, यह अक्टूबर में खतम हो जाएगा। इसको 5 साल तक के लिए बैठने दें ताकि हर खानापूरी कर के गैप को पूरा कर सकें। मेरी तीसरी मांग यह है कि भारत सरकार एक ही फार्मूले से सभी स्टेट्स की समस्या को हल नहीं कर सकेगी। इसीलिए तीन प्रकार के जो स्टेट्स बताये हैं, एक स्टेट रिच हैं जिन का रेवेन्यू बजट सरप्लस है। एक वह हैं जिनका बजट डेफिसिट है। तीसरे कुछ मीडियम हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। आपने कहा है, इसलिए बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी स्टेट्स की समस्या हल करने का फार्मूला अलग-अलग होना चाहिये। हमारे राजस्थान के लिए जो फार्मूला इवाल्व हो, उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत इम्पार्टेन्ट फैक्टर है। जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है, यह देश में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका 600 मील का इन्टर-नेशनल बोर्डर है। इसलिये, हमारे यहां की समस्या को हल करने के लिये अलग फार्मूला इवाल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिये कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था। नॉन प्लान गैप चलता है और भी कई फैक्टर हैं। इस सब पर स्टेट को गौर करना पड़ेगा। ये चन्द बातें आपके सामने रखी हैं। कभी सदन के माननीय सदस्य की सेमीनार बुलायें तो हम अपने विचार सेमीनार में पेश करें। जनता सरकार केन्द्र में है और प्रधान मन्त्री जनता सरकार के इस मामले में नाराज हैं। वह कहते हैं, इस मामले पर बोलना नहीं चाहिए। चण्डीगढ़ में जो मुख्य मंत्रियों की मीटिंग हो रही है उसमें जनता पार्टी के मुख्य मंत्री जी भी शामिल हो रहे हैं। उसमें जहां तक स्टेट का सवाल आयेगा, आपको अपनी स्टेट के प्रोटेक्शन में आगे आना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि आप सेन्टर के सर्वेन्ट होकर काम नहीं करें। आप इस पर चिन्तन करें जिससे कुछ विचार डिटेल्स में हमारे सामने आवें। ग्रान्ट्स के हकदार कौन हैं? जो सरप्लस होकर चलते हैं उनको ग्रान्ट्स नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि नान-प्लान गैप को पूरा करने के बाद डेफिसिट निल होता है। ऐसी सूरत के अन्दर आर्टीकल 275 के तहत भारत सरकार की ग्रान्ट्स उन को बन्द होनी चाहिए। और भी कई विचार हो सकते हैं। ये कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। यह मसला बड़ा होट हो रहा है, हिन्दुस्तान में इसकी चर्चा चल रही है इसलिए आप इस पर चिन्तन करके इसको सदन के सामने रखियेगा, जिससे इस पर चर्चा हो सके और सही रास्ता मिल सके।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया गया 52 करोड़ से ऊपर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे आश्वासन मिला था कि मांगें रखने के बाद मैं बोल सकूंगी। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि मुझे बोलने का अवसर दिया जायगा या नहीं ? इसका समुचित उत्तर चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती प्रस्ताव जिन मांगों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये थे वे मांगें तो स्वीकार कर ली गई हैं, इसलिए कटौती प्रस्ताव पर बोलने का प्रश्न नहीं उठता। एप्रोप्रिएशन बिल पर विचार चल रहा है, नियमों के अन्तर्गत प्रावधान है तो आप अपने विचार रख सकेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे आश्वासन दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, उन पर तो नहीं बोल सकेंगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (संसदीय मामलात मंत्री): बोलने दिया जाय, अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं सोच रहा था कि वित्त मंत्री जैसे सर्वोदयी नेता के जिम्मे वित्त का महकमा सौंप दिया। दरअसल मैं दरख्वास्त करूंगा कि वित्त मन्त्रीजी को खादी जैसा महकमा लेना चाहिये ताकि उसका काम चलता रहे। वित्त का महकमा आपके बस की बात नहीं है। इसके अन्दर कई प्रकार की बातें होती है, कई प्रकार की चालें होती हैं। हिसाब किताब कुछ होते हैं, आपके अधिकारी कुछ बताते हैं, आप कुछ कर देते हैं। आपका जो बजट भाषण था, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। आपके अधिकारी क्या करते हैं ? क्यों सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लाने का मौका मिला तीसरी दफा ? इतनी बड़ी धनराशि 52 करोड़ की जिम्मेदारी आपके अधिकारियों ने आपके ऊपर डाल दो कि आप ही इसको पास कराओ। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। बजट भाषण में पेज 33 पेरा 74 में आपने कहा है "बिक्री कर अधिनियम को इस हेतु संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन से राज्य सरकार किसी भी कृषि उपकरण को कर मुक्त करने के लिए सक्षम हो जायगी"। यानि मैं समझता हूं आपकी मंशा 6 तारीख को बजट भाषण पढ़ते वक्त किसानों को यह आश्वासन देने की थी कि कृषि के उपयोग में आने वाले जो कृषि-यंत्र बनते हैं उनसे कोई भी टेक्स सरकार वसूल नहीं करेगी। मगर उसी 6 तारीख को आपके राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित हुई:...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एप्रोप्रिएशन बिल जो पेश हुआ है, उस पर बहस का जो स्कोप है उस स्कोप में आप बोल सकेंगे। वह नियमों में दिया है। इसके अलावा जो चीज पब्लिश हो चुकी है उस पर जब वह इन्ट्रोड्यूज होवे उस समय चर्चा हो सकती है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह तो उसी रेफरेन्स में बोल रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं मिसाल दे रहा था कि किस प्रकार से ऐसा हो रहा

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
हूं। सहानुभूति है मेरी वित्त मन्त्रीजी के साथ। 6 तारीख को राजपत्र में आपके अधिकारियों ने अधिसूचना प्रकाशित कराई है :

"Tractors and spare parts with or without ceiling attachment or operated by tractors....."

एक तरफ आप नये-नये ईजाद हुए जो कृषि यन्त्र हैं, जो पंजाब और दूसरी स्टेट्स में ईजाद हो चुके हैं उन पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रैक्टर पर टैक्स कम करने की बात सोच रहे हैं। एक तरफ विधान सभा में बार-बार कहते हैं ट्रैक्टर पर टैक्स नहीं लगना चाहिये दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर में काम आने वाले इम्प्लीमेन्ट्स हैं, जो बहुत ही आवश्यक हैं कृषि के लिए प्रोडक्शन पाइन्ट आफ व्यू से और किसानों की हमदार्द के लिहाज से, उन पर भी टैक्स कम हो यह जरूरी हैं। एक तरफ आप आश्वासन दे रहे हैं और दूसरी तरफ यह अधिसूचना निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर के अन्दर जितने भी इम्प्लीमेन्ट्स हैं, कल्टीवेटर, डिस्क, हैरो जितने भी यन्त्र हैं, आपने उन पर टैक्स तीन से चार पर्सेन्ट बढ़ा दिया। आप उन पर ज्यादा टैक्स लगा रहे है, क्या करने जा रहे हैं ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तो खादी का काम ले लेते, ये अधिकारी कुछ अधिसूचना निकाल रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं।

इसके साथ-साथ वित्त मन्त्री महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल.........

श्रीमती सुमित्रा सिंह : खादी में भी पोलिस्टर आ रहा है। इसमें क्या रह गया है ?

एक माननीय सदस्य : भेड़ चाल है।

श्री मूलचन्द डागा : भेड़ें उधर ज्यादा हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : फिशरीज के ऊपर भी आपने कुछ मांग की है। राजस्थान सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश है : आप यहां का दूध दिल्ली ले जा रहे हैं, छोड़ा नहीं है खाने पीने के लिए। कम से कम मेहरबानी करके फिशरीज को तो छोड़िये।

श्री ईश्वरचन्द्र : असंगत बोल रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : खास तौर से गंगानगर जिले में फिशरीज का बहुत बड़ा स्कोप है। वहां के लोगों को खाने पीने की चीजें मिलें इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिशरीज को आप डवलप करिये ताकि राजस्थान के लोगों को खुराक मिल सके और आगे बढ़ सकें।

श्री ईश्वरचन्द्र : वेजिटेरियन्स हैं हमारे यहां।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसके साथ-साथ राज्य और सैन्टर के सम्बन्धों के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। अभी-अभी हमारे मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे कि सैन्टर भी मजबूत हो और स्टेट भी मजबूत हो, यानि दोनों बातें बराबर हों। हमने देखा है इन्दिराजी भी कह रही हैं और मोरारजी भाई भी कह रहे हैं कि दोनों ही मजबूत हों। जब राज्य और सैन्टर के सम्बन्धों का सवाल उठता है तो इन्दिराजी और मोरारजी दोनों उसी जगह खड़े हैं। मजबूती कितनी चाहिए, इन्दराजी ने किया उतनी ही चाहिये। हमने देखा है

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कि सैन्टर मजबूत होने के साथ-साथ जब ऊपर का व्यक्ति मजबूत होता है तो किस तरह की बातें होती हैं ? संजय गांधी के हुक्म से सारे देश के चीफ मिनिस्टर बदले जा रहे थे, तो इस बात की गारन्टी क्या है कि कान्ती भाई देसाई के हुक्म से नहीं बदले जायेंगे ? यह दृष्टि आ सकती है। सवाल एक है कि अगर स्टेट्स मजबूत नहीं हुई, उनको अपने डवलपमेंट के लिए आजादी नहीं मिली, उनको अपने फाइनेंस कलेक्ट करने की इजाजत नहीं मिली, उनको जो आज शेयर मिलना चाहिये वह बराबर शेयर उनको नहीं मिला और केन्द्रीय सरकार सारे सोर्सेज टैक्स लगाने के ले जायगी तो हमारे पास क्या रहेगा ? स्टेट डवलपमेंट के लिए सैन्टर के चक्कर लगायें। स्टेट बिना सैन्टर की इजाजत के डवलपमैन्ट नहीं कर सकती है। अपने राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये, उसका डवलपमेंन्ट करने के लिये हमको अपने अधिकारों की आवश्यकता है उस अधिकार में आपस में मुटभेड़ नहीं होगी, उल्टा अच्छा होगा। आप तो अधिकार देंगे तो स्टेट का डवलपमेंट ज्यादा तेजी से होगा।

अभी हमारे सामने सवाल आया स्टेट और सेन्टर के सम्बन्धों का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान प्रदेश को सबसे ज्यादा स्टेट और सैन्टर के सम्बन्धों का परिणाम भुगतना पड़ा है। अभी खेतड़ी में हुई हड़ताल के बारे में, रावतभाटा मे हुई हड़ताल के बारे में हमारी सरकार का एटीट्यूड था कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाय। यदि यह अधिकार हमारे मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री या श्रम मंत्री के पास होता तो यह झगड़ा कभी का तय हो गया होता। आज हम सीमा में बन्धे हुए है। राजस्थान सरकार करोड़ों रुपयों का नुकसान तो रावतभाटा में बरदाश्त कर चुकी है और अब खेतड़ी के अन्दर बरदाश्त कर रही है। यह अधिकार की बात है। हमको कोई अधिकार नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय को इस मामले में अधिकार नहीं है, गृह मन्त्री को इन्टर-वीन करने का अधिकार नहीं है, श्रम मंत्री के पास अधिकार नहीं है। यदि हड़ताल चल रही है और हम यह जानते हैं उनकी डिमाण्ड ठीक है, फिर भी हम राहत नहीं दे पा रहे हैं। केन्द्र के अधिकारी, केन्द्र के मिनिस्टर मगरूर हो गये हैं। इस बात पर विचार करने की वह जरूरत नहीं समझते है। पर उसका असर हम पर पड़ रहा है, हमारे मजदूरों पर पड़ रहा है, राजस्थान की इकानामी पर पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर अलग-अलग पार्टीज के ही मुख्य मन्त्री नहीं जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री जो भी हैं वह इस बात से सहमत हैं कि राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार मिलें ताकि वे ज्यादा डवलपमेंट कर सकें। इस पर भी आपकी सरकार विचार कर रही हैं तो दोनों बातें नहीं हो सकती हैं कि स्टेट भी मजबूत हो जाय और केन्द्र भी मजबूत हो जाय। कुछ अधिकारों के बिना न तो स्टेट मजबूत होगा और न कोई बात होगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से पुनः अनुरोध करूंगा कि यह जो कृषि यंत्रों पर टैक्स लगाया है इस पर पुनः विचार करें, और इस बजट के बारे में आखिर में कहें तो विचार करके अपनी राय दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा !

श्री जयकृष्ण शर्मा (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब यह अनुपूरक मांगों का बिल हमारे सामने पेश हुआ तो उसके साथ ही हमें मालूम हुआ सरकार का काम करने का तरीका। इस सरकार की रीति-नीति किस प्रकार की है, इस सरकार के काम करने के तरीके किस प्रकार के हैं, इस बात की ओर यह बिल इंगित करता है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक साल में तीन बार एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ। इस साल तो तीन बार ही पेश हुआ है अब तो हर साल हर महीने पेश होगा। इसलिए पेश होगा कि जनता पार्टी के सदस्यों की अलग-अलग विचारधारा है और अलग-अलग आपके सोचने का तरीका है। भारत सरकार ने एक बार बजट पेश किया उसमें जितना घाटा दिखाया उस 10 गुना ज्यादा घाटा उस बजट में एक साल में हो गया है, तो यह राजस्थान सरकार अगर 52 करोड़ की अनुपूरक मांगें लेकर हमारे सामने पेश हुई है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह अनुपूरक मांगें जो आपने रखी हैं उनमें अभी भी आपको यह पता नहीं है कि वास्तविक कितना खर्चा होगा, क्योंकि जो आपको यह सत्ता मिली है इसमें आपको कितने ट्रान्सफर्स करने हैं, कितने तबादले आपको करने हैं, जिस तरह से राजस्थान के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है उसके ऊपर कितना खर्च करना है, इसका आभास आज भी आपको नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि तथाकथित आजाद होने के साथ-साथ जिस प्रकार तबादले हो रहे हैं, जिस प्रकार की देश में पूरे प्रान्त में अराजकता है इन सब पर खर्च होने वाला है। इस कारण से माननीय मंत्रीजी को अनुपूरक मांगों से ही सब नहीं होगा, फिर एक्सेस सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स आपको पेश करनी पड़ेंगी, इसका भी कोई आपको पता नहीं है।

इन सब बातों का कोई अफसोस तो आपको इसलिए नहीं है कि आप और आपकी पार्टी दूसरी चीज के अन्दर लगी हुई है। आपके अन्दर एक बात तो सबसे बड़ी यह आ गई है और आप ज्यादातर इसी इसी बात में लगे हुए हैं कि जो आपके विरोध में लोग रहे हैं उनके प्रति बदले की भावना रखनी चाहिए कि किस प्रकार से उनसे बदला निकालें, किस प्रकार से उनको नीचा दिखायें, और किस प्रकार से जो अच्छे काम हुए हैं उनको बुरा बतायें। चाहे देश के लिये कितने ही अच्छे काम हों, हां एक ही बात कहने में सत्ता पक्ष वालों को सन्तोष होता है कि 30 सालों के अन्दर कुछ नहीं हुआ है। आज एक हवा यह चली है कि कहीं भी चोरियां हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं, खेतड़ी में हड़ताल हो रही है, हरिजनों की बेदखली हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है वह कांग्रेस (आई) करा रही है। एक तो कहते हैं कि 30 सालों में कांग्रेस शासन में कुछ नहीं हुआ है, और दूसरे आजकल जो कुछ भी झगड़ा-फसाद हो रहे हैं वह आप कांग्रेस (आई) के ऊपर थोपकर बरी होना चाहते हैं। यह काम करने का कोई तरीका है, समझने का तरीका है ?

केन्द्र तो अब हमारा निश्चिन्त है। हमारी भूतपूर्व सरकार ने तीन बहुत बड़े गुनाह किये, पहला गुनाह तो उसने यह किया कि जब आपकी सरकार आई तो बहुत बड़ा फारेन एक्सचेन्ज का भण्डार

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

आपको दे दिया। यह हमारे पहले की सरकार, कांग्रेस सरकार जो थी, का सबसे बड़ा गुनाह था। दूसरा गुनाह उसने यह किया कि अनाज के भंडारों के अन्दर अनाज का बहुत बड़ा जखीरा आपको दे दिया। यह भी उसने गुनाह किया। और तीसरा छोटा गुनाह उसने किया वह यह है कि इस देश में बड़ी तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या को रोकने का प्रयास किया। अभी आपके मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि कहीं पर क्रियान्विति में गलतियां हो सकती हैं, तो फेमिली प्लानिंग की क्रियान्विति में भी गलतियां हो सकती हैं। फेमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा संकट अब भी देश के अन्दर है। देश के अन्दर जिस प्रकार से जन संख्या बढ़ रही है उसके लिए देश का भला चाहने वाला हरएक व्यक्ति चिन्तित है।

इन तीन बातों के देने के बाद अब आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार चाहे वह फारेन एक्सचेन्ज हो, चाहे अनाज के भंडार हों उनको धीरे-धीरे खतम कर रही है। जो फेमिली प्लानिंग का स्वरूप था उसको क्रियान्वित नहीं करने के कारण सरकार पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। आज भी उसकी उपलब्धि उसकी नजर में है। इन सब बातों की तरफ आप ध्यान दें।

इस बजट की अनुपूरक मांगों को देख कर हमें इस बात के लिए असन्तोष होता है कि आपकी 52 करोड़ को अनुपूरक मांगें हैं यहीं तक आप महदूद नहीं रहेंगे, और भी ज्यादा अतिरेक अनुदान की मांगें आने वाली हैं। देश के सामने कितना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है इसको आप नहीं सोच सकते हैं।

आपने जब कभी कोई बात रखी है, अभी जैसे एक माननीय सदस्य ने बात रखी थी चाहे वह बजट भाषण के संबंध में हो, चाहे धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में हो आपने एक ही बात रखी है कि आपात-काल के बाद हमने प्रजातन्त्र को इस देश के अन्दर वापस जीवित किया है। प्रजातन्त्र आपने जीवित किया है या पुनर्स्थापित किया है, तो यूनिवर्सिटीज में किया है, विधान सभा के सामने पुनर्स्थापित किया है। आपने हरिजनों को बेदखल करने में लोकतन्त्र को पुनर्स्थापित किया है। इन क्षेत्रों में आपने प्रजातन्त्र को पुनर्स्थापित किया है। जब आपने पंचायत राज के चुनाव कराये तो इधर बैठने वालों ने और उधर बैठने वालों ने, सत्ता पक्ष में बैठने वालों ने और विरोधी पक्ष में बैठने वालों ने, सबने आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। मैं भी प्रशंसा करता हूँ कि आपने पंचायत चुनाव कराए। लेकिन क्या पंचायत चुनाव इसलिये कराना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव करके सरपंच को विकास अधिकारी के अधीन कर दें, चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारियों की दया पर छोड़ दें? क्या यही आपके प्रजातन्त्र का स्वरूप है? क्या आप चाहते हैं कि जितनी कोआपरेटिव की व्यवस्था है, वह सरकारी तन्त्र के अधीन हो? देश में जितनी कृषि उपज मण्डियां हैं कांग्रेस के जमाने की विधान के अनुसार आपको उनको दो-दो साल का एक्सटेन्शन ही देना जरूरी था। पर चूंकि कांग्रेसी चुने हुए चेयरमैन थे, आपने उनको एक्सटेन्शन ही नहीं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

दिया। मत दीजिये, पर उनकी व्यवस्था तो करें। हम कब कहते हैं एक्सटेन्शन दें ? कोई भी संस्था हो, चाहे यू० आई० टी० हो, चाहे कृषि उपज मण्डी हो, चाहे कोआपरेटिव हो, चाहे पंचायत राज हो, इसमें कौन चेयरमैन हों, यह तो झगड़ा आपको खा रहा है, वह राजस्थान व देश को लेकर डूबेगा।

खाद्य नीति आपकी एक प्रकार की नहीं है बहुत से लोग चाहते हैं कि खाद्यान वितरण सही तरीके से हो, सही मूल्य किसान को मिले। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि किसान की फसल आ गई है और उसे सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। एक दो महीने के बाद जब किसान का अनाज बाजार में बिक जाएगा उसके बाद भाव और बढ़ते हुए चले जायेंगे। आपने देखा आपके सामने ये सब समस्याएं आ गई हैं जिनके लिये माननीय सदस्य बैठकर कहा करते थे। आज आपको क्या हो गया ? क्यों नहीं सोचते कि किसानों को सही मूल्य मिले ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं।

जैसा मैंने शुरू में कहा, आपके अन्दर बदले की भावना तेजी के साथ बढ़ रही है। दो दिन पहले मुझे लालसोट जाने का मौका मिला था। वहां के प्राइमरी स्कूल अध्यापक हैं, उनको टूर्नामेंट्स का उद्घाटन कराना था। जब कोई विधायक नहीं मिला, तो एक भूतपूर्व कांग्रेसी संसद सदस्य को बुला लिया। दूसरे दिन यहां से सरकारी आदेश पंचायत समिति के पास एक थर्ड क्लास टीचर; जिसकी 30 साल की सर्विस थी,के लिये पहुँचाया गया कि नाथूलाल का तबादला जमुआ रामगढ़ किया जाता है। उसने कहा, मैंने स्कूल में 9 कमरे बनवाए हैं, बड़ी दिलचस्पी के साथ काम किया है, मैं इस गांव के पास का रहने वाला हूं। आखिर उसने रिटायरमेंट ले लिया। आप क्या करेंगे ? एक दो साल की नौकरी रहती थी, आपने एक दो साल पहले ही उसको रिटायर कर दिया। आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा।

यहां एक भाई ने हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य मथुरादास माथुर हैं, उनसे पूछा कि आपकी क्या राय है ? हमारी राय जो होगी वह कहेंगे, किन्तु जहां तक राजस्थान का सवाल है; भाई केदारजी यहां बैठे हैं, भैरोंसिंहजी मौजूद हैं, इस सदन में राजस्थान के हित में पहले सोचिये, बाद में पार्टी के लिये। आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं। इसलिए आपको सोचना है कि आपको केन्द्र के साथ कैसी रिलेशनशिप रखनी है। आपका पहला काम है अपनी बात रखें, किन्तु आप रखना नहीं चाहते हैं। आपके पास दिल्ली से टेलीफोन आते हैं, अलग अलग टेलीफोन आ रहे हैं, कल चुनाव हो रहे है दलीय आधार पर। मुख्य मन्त्री ने कहा, आबादी का आधार नहीं होना चाहिये। कुछ ओरिजिनल थिंकिंग है, परन्तु इस थिंकिंग से काम चलेगा अगर मुख्य मन्त्री सदन में घोषणा करें कि किस प्रकार के सेन्टर-स्टेट रिलेशन्स होनें चाहिये। वित्त मन्त्रीजी सदन में घोषणा

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

तो बहुत करते रहते हैं, अभी जिन्नों के निर्माण की ओर शराबबन्दी की की थी। वह सीधे व सर्वोदय नेता हैं; उनकी घोषणायें थैली में ही रह जाती हैं। उनकी साख पर, इज्जत पर, महानता पर, कलंक लगता है। तो, वित्त मन्त्रीजी, आप इस चक्कर में न पड़ें कि केन्द्र के साथ कैसे सम्बन्ध हों। आप तो कार, कोठी झंडी की रक्षा करें। कहीं इस टसल में ये चली न जायें।

इस तरह की मांगें आती रहेंगी। आप उस बारे में बैठे-बैठे कहते रहें, आपके कहने से काम चलने वाला नहीं।

(व्यवधान)

हमारी आवाज में ज्यादा वजन है बजाय सत्ता पक्ष में बैठने वालों के। यह बात तो सरकारी पक्ष में बैठने वालों के लिये कही जा रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ?

आप जब अनुपूरक मांगें ले रहे हैं तो सभी ओर ध्यान दें। बाकी बातें कहते-कहते किसी दिन हट जाओगे। कुछ काम की बातें बजट में रखें नहीं तो सब यहीं रह जायगा। हम सोच रहे थे कि अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करेंगे तो वित्त मन्त्री कहेंगे कि राजस्थान को इतना और घाटा हो रहा है, मैंने सम्पूर्ण राजस्थान में शराब बन्दी लागू कर दी है। हम समझते कि इसको पास करना हैं। परन्तु कहीं ऐसी बात नजर नहीं आई, वह घोषणा यूं कि यूं रह गई। इसलिये आपने जो अनुपूरक मांगें रखी उनसे हैं अच्छा दृष्टिकोण इंगित नहीं होता है। सरकार का वित्तीय साधनों की तरफ जो दृष्टिकोण है, वह उदासीनता का है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एप्रोप्रिएशन बिल के लिए यह आवश्यक है कि आप एडवान्स इन्टीमेशन दें। फिर भी मेरे पास समय है, सबको अवसर दिया जायगा। अब श्री रघुनन्दन व्यास बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नियमों में कहीं प्रावधान नहीं है कि आसन को एडवान्स इन्टीमेशन दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नियम संख्या 154।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, जो एप्रोप्रिएशन बिल पेश हुआ है, उस पर विपक्ष के माननीय सदस्यों के मैंने विचार सुने। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जब आवश्यक होता है और जो काम आकस्मिक रूप में हो जाते हैं तो अनुपूरक अनुदान की मांग रखने की परिपाटी है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने विचार रखने के साथ-साथ दो तीन मुद्दे उठाये।

केन्द्र और स्टेट के सम्बन्ध में प्रश्न किया, उसके लिये मेरा निवेदन है कि भारतवर्ष एक देश है। केन्द्र और स्टेट के सम्बन्धों की बात कहने की प्रथा आज के राजनैतिक जीवन में पनपाई जा रही है, उससे मालूम होता है कि भारतवर्ष एक नहीं, स्टेट्स के रूप में बिखरा हुआ है, स्टेट्स को मिला कर फेडरेशन बनाया गया है। मैं कहता हूं, भारतवर्ष एक है और व्यवस्था के लिये प्रांत बने हुए हैं, उन प्रांतों को हमने राज्य का नाम दे दिया है। केवल नाम देने से

(श्री रघुनन्दन व्यास)

केन्द्र और राज्य की कोई अलग से मर्यादायें हो गई, शक्तियां हो गई; ऐसा नहीं है। प्रधान मन्त्री ने जो बात कही है, उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो एकता का प्रश्न है। इसलिये केन्द्र और स्टेट की व्यवस्था के नाते जहां जितना आवश्यक हो उस पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक मांगें और एप्रोप्रियेशन बिल सदन में लाया जाता है वह इसलिये लाया जाता है कि पहले कुछ धन खर्च कर दिया जाता है उसमें कमियां रह जाती हैं इसलिए यह अनुपूरक अनुदानों की मांगें सदन में लायी जाती हैं और वह पारित भी करनी पड़ती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। एक छोटा सा शराब का प्रश्न है, आबकारी का प्रश्न है आबकारी की मांग लाने की बात पैदा हुई वह क्यों हुई? इसका कारण यह है कि हमने पहले ड्राई जिले घोषित करने का पूर्ण निर्णय नहीं किया। हमें कितने ड्राई जिले रखने हैं यह तय ही नहीं हो पाया था कि उससे पहले टेण्डर इन्वाइट किये, टेण्डर आ भी गये। टेण्डर आ गये उसकी लास्ट डेट थी 21 फरवरी। उसके बाद में हमने 27 फरवरी को अपनी कुछ नीति बदली उसके बाद में हमने साल में 69 दिन ड्राई दिन घोषित करने का निर्णय किया। यह पूरा हो नहीं हो पाया कि हमारा बजट 6-3-78 को सदन में आ गया। हमारे बजट में कर का प्रावधान नया किया गया जिससे जो भाव साढ़े सात रुपये का था उसके बजाय नौ रुपये हो गया। इस प्रकार जब भाव ज्यादा बढ़ गये तो आपको अधिक खर्च करना पड़ा और इस प्रकार की कार्यवाही जब होती है तो हमें अनुपूरक अनुदानों को मांगों को लाना पड़ता है और पारित करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियां ही पैदा नहीं हों इस पर हमें विचार करने की जरूरत है, इस पर हमें चिन्तन करने की आवश्यकता है। हमको तो पहले ही प्रिचिन्तन कर लेना चाहिये था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जब टेन्डर मांगने थे तो भविष्य में हमारा बजट किस प्रकार का होगा यह पहले ही तय कर लेना चाहिये था। एक तरफ आपने 69 दिन ड्राई घोषित कर दिये, दूसरी ओर आपने टेन्डर मांगे। शराब की दरें बढ़ जाने से आज स्थिति ऐसी हो रही है कि शराब के ठेके की दुकानें नहीं उठ रही है। मेरा निवेदन है कि अपने भावी बजट में क्या प्रावधान रखना है उसके लिये पहले ही योजना बना लेनी चाहिये जिससे कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों को नहीं रखना पड़े और एप्रोप्रियेशन बिल सदन में नहीं लाना पड़े। इसकी ओर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्नों पर जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो सदन के अन्दर विपक्ष के द्वारा हमारी आलोचना होती है उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐसी अनुपूरक अनुदानों की मांगें सदन में आती हैं तो सदन को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे इसके लिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमें चाणक्य नीति से काम करने की आवश्यकता है। जो आज अमेरिका, इंग्लेण्ड व जर्मनी की पद्धति है अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन में लाने की उसको हमें हमेशा के

(श्री रघुनन्दन व्यास)

लिए खतम करना होगा। हमें पुरानी परिपाटी को बदलना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी बहुत ही उच्च कोटि के विचारक हैं, मनीषी हैं, वह उच्च कोटि के चिन्तनशील व्यक्ति हैं। इस साल तो जो हो गया वह हो गया पर अगले साल इस बात की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिये पूरे प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अगले साल जो हमारा बजट आवे वह एक ऐसा बजट आवे जिसमें सभी मद पूरी तरह से आ जायें ताकि हमें भविष्य में टुकड़ों में बिल लाने की आवश्यकता नहीं रहे। वैसे जो बिल हाउस में माननीय वित्त मन्त्रीजी लाये हैं और जो अनुपूरक अनुदानों की मांगें पारित करने के बाद एप्रोप्रियेशन बिल विचारार्थ रखा है उसको तो हमें पास करना है। अन्त में जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राम कृष्णदास गुप्ता!

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल पेश हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल उस वक्त सदन के सामने आता है जब कि पहले ही रुपया तो खर्च कर दिया जाता है उसके बाद में सदन में खर्च की स्वीकृति दिये जाने के लिये बिल आता है। जैसा कि यहां मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इतनी बड़ी अनुपूरक अनुदान की मांगें हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी लेकर आये हैं जो कि मूल बजट की एक चौथाई है। उपाध्यक्ष महोदय, 52 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदानों की मांगें हैं। यह सभी रुपया सरकारी अधिकारियों ने अपने मन मर्जी से खर्च कर दिया। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकारी मशीनरी हमारी जनता पार्टी की सरकार पर पूरी तरह हावी है। या यों कह सकते हैं कि हमारी जनता पार्टी की सरकार सोच-समझ कर सही काम नहीं कर रही है। सरकार का जो कन्ट्रोल हमारी सरकारी मशीनरी पर होना चाहिये वह नहीं है। अगर जनता पार्टी की सरकार अपने सरकारी अधिकारियों के प्रति जागरूक होती तो इतनी बडी मात्रा में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेकर सदन में वित्त मन्त्रीजी को नहीं आना पड़ता। इसका मतलब यह भी है कि आज जो राजस्थान में राज्य चल रहा है वह प्रजातान्त्रिक ढंग से नहीं चल रहा है। प्रशासन के अधिकारी पहले ही स्वेच्छा से पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में उसको इस सदन द्वारा पारित कराया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जनता पार्टी की सरकार का प्रशासन के अधिकारी वर्ग पर पूर्णतया कन्ट्रोल नहीं है जो कि होना चाहिये। इसका नतीजा यह है कि सरकारी अधिकारी मन्त्रिमण्डल की मुहर को सचिवालय में बैठ कर मनमाने ढंग से काम में तो लेते ही हैं पर इस प्रकार की कार्यवाही से सरकारी वर्ग का इनडाइरेक्टली हमारे सदन की मुहर पर भी हस्तक्षेप है। पहले वह अपनी स्वेच्छा से पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में इस सदन के द्वारा अनुपूरक अनुदान की मांग पास कराते हैं, यह बहुत ही अशोभनीय बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि स्टेट

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

और केन्द्र की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिये इसके बारे में कई स्टेट्स में चर्चा चल रही है। मैं भी इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि वित्तीय अनुदान जो केन्द्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंन्ट्स को देती है, आबादी के आधार पर नहीं देकर क्षेत्रफल के आधार पर दे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के क्षेत्रफल को दृष्टि में रखते हुए 60 प्रतिशत स्टेट को दिया जाना चाहिये। इसमें आबादी का अनुपात नहीं रखा जाना चाहिये। मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्रीजी एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार से अनुदान की मांग करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में यह कहा करते हैं, यह घोषणायें करते हैं कि जल प्रदाय योजना खोली जायेंगी पांच हजार की आबादी वाले गांवों में, प्रामइरी स्कूल खोले जायेंगे 400 की आबादी पर और सैकन्डरी स्कूल खोला जावेगा या क्रमोन्नत किया जावेगा तीन हजार को आबादी पर। उपाध्यक्ष महोदय, यह दोहरी नीति हमारे मुख्य मन्त्रीजी क्यों अपना रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर पांच हजार की आबादी को आधार मान कर आप जल प्रदाय योजना खोलने की व्यवस्था करेंगे या 400 की अबादी पर आप प्राइमरी स्कूल खोलेंगे या तीन हजार की आबादी पर सैकन्डरी स्कूल खोलेंगे तो हमारे राजस्थान को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। राजस्थान का पश्चिमी भू-भाग जो है वह एक ऐसा भू-भाग है जो कि आज तक उपेक्षित रहा है, आज तक पिछड़ा रहा है और आपकी गलत नीति से पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जायेगा। इसलिये मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह सुझाव है कि अगर आप राजस्थान का भला करना चाहते हैं, राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो आप अपनी योजनायें क्षेत्रफल के आधार पर बनायें, आबादी के आधार पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को लिफ्ट इरिगेशन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय,हमारे यहां राजस्थान केनाल के अन्दर राज्य सरकार ने लिफ्ट इरिगेशन के बारे में स्कीम बनायी थी वह स्कीम बहुत ही फायदे वाली थी लेकिन हमारी सरकार के अधिकारी वर्ग ने, हमारे इन्जीनियर्स ने हमारी सरकार को यह राय दे दी कि लिफ्ट इरिगेशन की योजनायें बहुत ही मंहगी हैं। इसलिये हमें इन्हें क्रियान्वित नहीं करना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी इलाके में अकाल हर साल पड़ता है जिसके लिए राजस्थान सरकार को राजस्थान बनने के बाद से आज तक 1200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ गये हैं। अगर आप लिफ्ट योजनाओं को शुरु कर देते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन आपको अधिकारियों ने यह कह दिया कि लिफ्ट इरिगेशन करने पर 400 रुपये प्रति एकड़ खर्च आयेगा इसलिए हमें ऐसी मंहगी योजनाओं को हाथ में नहीं लेना चाहिये। पर, उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारी सरकार इन पांच लिफ्ट इरिगेशन की योजनाओं को हाथ में लेती है तो राजस्थान का उत्पादन काफी बढ़ेगा, लाखों लोगों को आप एम्पलायमेंट देंगे, और करोड़ों रुपये जो अकाल के नाम

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

पर हर साल खर्च करते हैं वह भी बचेंगे। इस दृष्टिकोण से सोचते हुए लिफ्ट इरिगेशन को योजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए।

इसके अलावा केन्द्र और स्टेट की रिलेशनशिप के बारे में आज काफी चर्चा चल रही है। आज स्टेट ज्यादा स्वायत्तता की मांग करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सौभाग्य की बात कहें या दुर्भाग्य की, पिछले तीस सालों तक हमारे यहां केन्द्र और प्रान्त में एक ही पार्टी की सरकार रही। केन्द्र ने हमेशा से ही स्टेट्स को सिवाय म्यूनिसिपेलिटी के कुछ नहीं समझा और स्टेट्स के अधिकारों का हनन किया। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी था कि हमारे यहां चौखम्भा बेसिस पर प्रजातन्त्र पद्धति लागू होनी चाहिए। पंचायत जिला परिषद, विधान सभा और लोक सभा। पर उस पद्धति से हमारे यहां काम नहीं हो रहा है। केन्द्रीय सरकार ने अशोक मेहता कमेटी बैठा दी है इस आशय के लिये कि हमारे यहां पंचायत समिति और जिला परिषदों का क्या रोल रहेगा, जब कि, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर राज्य सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराये हैं तो पंचायत समिति और जिला परिषदों के भी चुनाव होने चाहिये। पर अशोक मेहता कमेटी के बैठने से पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो पाये हैं। हमारे यहां कानून बना हुआ है उसके तहत पंचायत समितियों और जिला परिषदों के भी चुनाव होने चाहिये। केन्द्रीय सरकार हमारे कानून की क्रियान्विति में आड़े आ रही है तो मेरा निवेदन है कि इस तरह केन्द्र के द्वारा स्टेट्स के इन्टरनल मामलों में हस्तक्षेप करना अनुचित है इस प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप बन्द होने चाहिये।

इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने एन० डी० सी० में घोषणा की थी, उसके बाद राज्यों के क्या हक होने चाहिये इसके लिये चन्डीगढ़ में मुख्य मन्त्रियों का जो सम्मेलन हो रहा है क्या वहां भी वह जाकर इसी प्रकार अपनी मांग पेश करेंगे कि स्टेटस का दर्जा म्यूनिसिपल बोर्ड का दर्जा नहीं होकर करीब-करीब सोवरिन स्टेट का हो। आज भारतीय संविधान के अन्दर कई ऐसे विषय है कि राज्य सुप्रीम है, This shows the sovereignty of the State.

हम राज्य की प्रभुता का शेयर करते हैं। ऐसी स्थिति में आटोनोमी की मांग देश के हित में नहीं है, यह धारणा गलत है। सवाल यह है कि हमको केन्द्र को इतना पावरफुल नहीं कर देना है कि राज्य की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों को भुला कर दिल्ली के बड़े-बड़े भवनों में बैठ कर अधिकारी ऐसी अव्यावहारिक नीति बना दें कि 1200 करोड़ रुपया अकाल की विभीषिका को दूर करने में लगा सकते है लेकिन जन समस्या को दूर करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। राजस्थान केनाल को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये की मदद आपको मांगनी पड़ रही है। हमारी सरकार के पास इतनी बड़ी धनराशि है किन्तु वह नहीं दे सकती इस लिये ईरान से यह कहकर मदद मांगनी पड़ी कि यहां का अनाज उसे दिया जायेगा। यह कह कर एक भूखण्ड को 200 करोड़ रुपये में हम गिरवी रख

(श्री रामकृष्णदास गुप्त)

रहे है। इतना बड़ा सौदा हम घाटे का कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो आज की परिस्थितियों के अन्दर मैं इस सदन से और सरकार से मांग करूंगा कि राजनैतिक विकेन्द्रीकरण की जो बात की है और लोगों से वोट मांगे हैं इस संबंध में हम विचार प्रकट करें। मैं मांग करता हूं कि राज्य के हित में है कि राज्य अपनी योजनाओं को अपने स्रोतों के आधार पर बनाये जिससे योजनाएं अधिक प्रेक्टिकल हों।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यही मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, 52 करोड़ रुपये के खर्च के तखमीने सरकार ने यहां पेश किये हैं और इसकी मन्जूरी के लिए सदन के सामने सरकार आई है। श्रीमन्, जैसा कि इनके नेता कहते हैं कि हमारी जनता पार्टी की जो सरकार है वह नयी नवेली दुल्हन के माफिक है तो मैं यह कह कर चलूं कि नयी दुल्हन के लिए 52 करोड़ रुपये खर्च के लिए देने में हमको कोई हिचक नहीं है लेकिन साथ ही साथ हम यह देखें कि यह दुल्हन लाई क्या है राजस्थान की जनता के लिए ? यह जनता पार्टी मंहगाई लाई, बेरोजगारी लाई, इसके आते ही प्राइसेस बढ़ीं, देश में इन्फलेशन बढ़ा, देश में भ्रष्टाचार बढ़ा और यह स्ट्राइक और घेराव लाई है। मैं आपसे कहूं कि इन सब बातों के कारण पालिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई है। आप कहते हैं कि देश के अन्दर लोकतंत्र स्थापित कर दिया। आपने क्या कर दिया ? यह पब्लिक ने कर दिया। इसमें कोई आपकी वाहवाही नहीं है। आप डींग बहुत लम्बी चौड़ी हांक रहे हैं और खर्च पर खर्च कर रहे हैं। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आज देश की हालत तो बिगड़ ही रही है राजस्थान की भी हालत कोई अच्छी नहीं है, श्रीमन्।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मुद्देवार आपके सामने आना चाहता हूं। मैंने सबसे पहले स्ट्राइक की बात कही। आये दिन आप स्ट्राइक्स देखते है चाहे कालेजेज हों, चाहे यूनिवर्सिटी हो। जोधपुर यूनिवर्सिटी में 3 वाइस चान्सलर इस्तीफा दे चुके हैं और चौथे पता नहीं कितने दिन और चलेंगे। फैक्ट्रीज में हड़तालें चल रही हैं, मारपीट हो रही है, ट्रेड यूनियनों में दुनिया भर के झगड़े खड़े हो रहे हैं। आखिर यह सरकार को हो तो देन है देश को। अगर सरकार सचेत नहीं रही और वक्त रहते इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो 1975 से पहले की जो स्थिति थी जिसके कारण देश में इमर्जेन्सी लागू करनी पड़ी वही हालत आज देश में फिर पैदा होने जा रही है बदकिस्मती से। इसलिए सरकार को वक्त रहते समझना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि आज पढ़े-लिखे तबके के लोग इस बात को सोचने लगे हैं और कहने लगे हैं कि क्या वाकई इमर्जेन्सी बुरी थी। आज लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। आखिर कारण इसका क्या है ? मैंने तो

Page No 106

(106)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अखबारों में पढ़ा कि आर० एस० एस० के बहुत बड़े पदाधिकारी ने अलवर में भाषण दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि देश में इससे तो अच्छी इमर्जेन्सी थी । आखिर उनको भी मजबूर होना पड़ा कहने के लिए इसलिए हालात कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं देश के अन्दर, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि 40 प्रतिशत खर्चा प्लान के अन्दर हम एग्रीकल्चर के ऊपर करना चाहते हैं । यह भी महज एक धोखा है । जो अब तक 30 पर्सेन्ट खर्चा होता आ रहा था प्लान के अन्दर उसको आप 40 पर्सेन्ट किस तरह से करने जा रहे हैं ? मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, उसके अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का खर्चा जोड़ रहे हैं । हैड एग्रीकल्चर का बनाने जा रहे हैं लेकिन रोड्स का जो सेपरेट हैड होता था उसको शामिल करके 40 पर्सेन्ट दिखाना चाहते हैं । यह जो आपकी धोखा देने की नीति है, आपकी मुगालते में डालने की नीति है यह उचित नहीं है । जो आप एग्रीकल्चर को पनपाने की बात कर रहे हैं इसके लिए आपको ठोस कदम उठाने चाहिए ।

राजस्थान में ही देख लीजिये । हम पिछले दिनों ट्रेक्टर ट्राली के ऊपर टैक्स समाप्त करने की बात कर रहे थे । इसके लिए बार-बार मांग आ रही है । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार आखिर क्या करने जा रही है इस बारे में ? आपको इन पर से टैक्स समाप्त कर देना चाहिए । इससे आपको यश मिलेगा । आखिर इससे आपको कोई बहुत बडी रकम तो मिल नहीं रही । मुश्किल से 40-50 लाख रुपया कमायेंगे लेकिन आप माफ कर देते हैं तो लोग हरेसमेंट से बचेंगे । इसके लिए काफी मांग आ रही है । यदि इसको समाप्त करते हैं तो आपकी वाहवाही भी होगी और किसानों को राहत भी मिलेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वाहवाही के लिए आपको चिंता हो रही है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : फिर मैं एक बात आपसे और निवेदन कर रहा था, श्रीमान, कानून और व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं चल रही है । क्राइम्स बढ रहे हैं । इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लेकिन एक मुद्दा है जिस पर बराबर सरकार का ध्यान रहना चाहिए । क्राइम्स को रोकने के लिए खर्चा तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन रोकने की दिशा म कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं ।

अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो कि सबसे बड़ी बात है । वह यह है कि गेहूं की फसल सिर पर आ रही है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई नीति घोषित नहीं हुई है । हम यह चाहते हैं कि इस सदन की बैठक समाप्त हो उसके पूर्व ही सरकार की तरफ से गेहूं की नीति के बारे में घोषणा होनी चाहिए । किसानों के दिमाग में हलचली पैदा हो रही है कि कहीं गेहूं का भाव इतना अधिक न गिर जाये कि हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। काश्तकार आज चिन्तित है । सरकार को इस बारे में शीघ्र घोषणा करनी चाहिए कि गेहूं किस भाव पर किसानों से खरीदने जा रहे हैं और किस रूप में खरीदने जा रहे हैं ? आखिर एजेन्सी क्या होगी ? तौर तरीका क्या होगा ? आज जनता के अंदर और किसानों के अन्दर धारणा होती

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जा रही है कि यह सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, यह काश्तकारों की सरकार नहीं है। यह चाहे जितना ढिंढोरा पीटें ग्रामोत्थान के बारे में, काश्तकारों के हितों के बारे में लेकिन इनकी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करने जा रहा है।

अभी हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने नये जिलों के निर्माण की घोषणा की और यह घोषणा भी धौलपुर में की। श्रीमन्, आप धोलपुर को ही जिला बना दें। लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। यह आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। कल कोई कुछ कहता है, परसों कोई कुछ कहता है, मजबूती नहीं है इस सरकार में। वह साझेदारी की दुकान है। हर साझेदार के दिमाग में बेईमानी भरी हुई है। हर साझेदार मुनाफा कमा लेना चाहता है ताकि कल अलग दुकान खोलनी पड़े तो पूरी केपिटल रहे, पूरी पूंजी रहे जिससे अपनी दुकान खोलकर बैठ जायें और जमा लें। जहां साझेदारों के विचारों में बेईमानी हो, वह दुकान चल नहीं सकती। जब घर का मालिक ही चोरी करता है तो कैसे दुकान चलेगी। घटकवाद की इतनी बीमारियां फैली हुई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रशासन कोलेप्स हो रहा है, राजस्थान का नहीं सारे हिन्दुस्तान का प्रशासन कोलेप्स हो रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 52 करोड़ के फालतू खर्चे की मांगें लेकर आये हैं, इसे सदन को मंजूरी नहीं देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब चर्चा खतम हो चुकी है। माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री नूरा : मेरे कटौती प्रस्ताव थे। मैं थोड़ी देर के लिये बाहर चला गया था।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपके नाम का जिक्र भी किया।

श्री नूरा : मांगों के संबंध में थे........

श्री उपाध्यक्ष : मांगें तो पारित हो चुकी। एप्रोप्रियेशन बिल के लिये आपने कोई सूचना नहीं दी।

श्री नूरा : पांच मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर भी कह दीजिये।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना है अनाज की खरीद फरोख्त के बारे में। जब किसान के घर में फसल आती है तो बाजार में बड़े पैसे वालों को लेने की छूट मिलती है। वह जितना भाव गिराकर खरीदना चाहें, खरीद लेते हैं और जब किसान को जरूरत होती है तो ये बड़े पैसे वाले गोदामों से अनाज निकाल कर जितना पैसा, मुनाफा कमाना चाहें, कमाते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं वह इतना अनाज खरीद नहीं सकते। महीना दो महीना का भले ही खरीद सकते हैं, ज्यादा अनाज बड़े पैसे वाले खरीद कर गोदामों में रखते हैं। राज्य की तरफ से किसानों को सस्ता अनाज सप्लाई नहीं हो पाता है। वह अनाज जहां पहुंचना चाहिये था, वहां नहीं पहुंचाया जाता। यहां जो पैसे की मन्जूरी दी जाती है, उस पैसे का उपयोग न हो सके, और उसका लाभ जनता को नहीं मिले तो पैसा खर्च करने की मंजरी नहीं दी जाये। यही बात अर्ज करना चाहता हूं। आगे से इस बात की सावधानी बरती जाये ताकि किसानों को पूरा लाभ मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह !

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, 52 करोड़ की जो अनुपूरक मांगें रखी गई हैं, उनके विषय में कुछ कहना है। उसके रखने का कारण क्या है ? हिन्दुस्तान का इतिहास है, मुगलों की जब सल्तनत बदली, मुगलों का जब पतन हुआ तो हिन्दुस्तान के सुबेदार और पिण्डारे आये। कांग्रेस सरकार का जब पतन हुआ तब अलग-अलग सूबेदार आये हैं घटक के रूप में....

एक माननीय सदस्य : और पिंडारी ?

श्री शिवचरणसिंह : पिंडारी कह लीजिये लेकिन वही की वही व्यवस्था आज हिन्दुस्तान की है। हिन्दुस्तान में जनता पार्टी की सरकार बनने के वाद घोषणा पत्रों के माध्यम से, बजट स्पीचेज के माध्यम से जो वायदे किये हैं वे पूरे नहीं किये। एक मिसाल देता हूं, 6 तारीख को माननीय फाईनेंस मिनिस्टर साहब ने यह घोषणा की कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर टैक्स नहीं लगायेंगे। जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर की यह घोषणा हुई उसी दिन 6 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन हुआ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैरो, डिस्क, और प्लाओ और दूसरे इम्प्लीमेन्ट्स पर 4 पर्सेंट का टैक्स लगा दिया। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की नालेज में लाने के लिये बात कह रहा हूं। जो इम्प्लीमेंट रखने वाले लोग थे वे हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले आये। आप समय पर कन्ट्रोल करते। 6 तारीख को एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट निकला इसकी आशा इस सरकार से नहीं थी, क्योंकि तीन प्रतिशत की एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में घोषणा की थी। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं।

इसलिये मैं अधिक नहीं कहूंगा। 52 करोड़ की नई मांगे रखी हैं तो आप किसानों की फसल का बीमा करने की बात करते बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते। आपने 13 हजार स्किल्ड लेबर और अन-स्किल्ड लेबर को रोजगार देने की बात की है। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि 13 हजार आदमियों को रोजगार देना चाहता हूं किन्तु रोजगार की व्यवस्था नहीं, आज देश की यह स्थिति है।

फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि घाटा था तो आपको टैक्स लगाना चाहिये था। जो चीज ज्यादा पैदा होती है, दूसरे प्रांतों में जाती है उस पर टैक्स लगाते। पिछली बार भी मैंने सुझाव दिया था। सरसों का तेल है उसके ऊपर आप हिम्मत करके टैक्स लगाइये। राजस्थान में खपत पर टैक्स कम करिये। राजस्थान के कन्ज्यूमर पर टैक्स कम करिये। आप हिम्मत करके ऐसी चीजों पर टैक्स, लगायें तो 20 करोड़ की आमदनी हो सकती है। आपका कोआर्डिनेटिंग प्लान होना चाहिए। उससे आमदनी बढ़ सकती है।

हमारे राजस्थान के अन्दर मिनरल्स हैं, राजस्थान मिनरल डिपाजिट बहुत अच्छे हैं किन्तु उनके एक्सप्लायटेशन के लिये कोई योजना नहीं है। उनको काम में लेने का कोई तरीका नहीं है। जो हमने खर्चा किया है उसकी पूर्ति के लिये साधन कहां हैं, क्या करें ?

हम कोसते हैं पहले वाली सरकार को कि उसका मन्त्रिमण्डल विलासिता में

(श्री शिवचरणसिंह)

रहता था। उसी प्रकार का रहन-सहन आपका है। कोई सिम्पलीसिटी नहीं, किसी बात में कमी नहीं। कोई साधारण व्यक्ति दिखने वाला नहीं।

फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को सुझाव दूंगा कि जो कुछ आपने टैक्स लगाये इसका मतलब आपको मालूम है कि आने वाले समय में महँगाई बढ़ेगी। जो खाने के तेल हैं उनकी इन्टरनेशनल मार्केट के अन्दर कीमतें बढ़ गई। धारिया साहब के स्टेटमेंट से कुछ डाउन गई हैं। आपको मालूम है इन पिछले 15 दिनों में मंगफली के तेल की महाराष्ट्र में नई फसल आई है। तेलों की कीमतें घटनी चाहिये थीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रेपसीड आयल की कीमत कम होनी चाहिए थी। राजस्थान में जिन के जरिये करवा रहे हैं वे ऐसे लोग हैं जो काफी करप्ट लोग है, उन का एक ही तरीका है, राज्य सरकार को किस प्रकार टेप किया जाय। उन लोगों से बचें, फिर जो लम्बी चौड़ी फौज है उससे भी आप सावधान रहें नहीं तो वही बात होगी जो पिछली सरकार की हो चुकी है। चाहे ट्रान्सफर के मामले हो, चाहे पोस्टिंग के हो और चाहे प्रमोशन के मामले हो एक एक एम. एल. ए. के पीछे आज इंजीनियर, डाक्टर 4-4, 6-6 पड़े हुए हैं। पुरानी सरकार को बदनाम करने की यही बात थी और आज भी यही है। इस कारण करप्शन बढ़ा है। आज नीचे कचहरियों में देखिये, थानों में देखिये और दूसरी जगहों पर देखिये, आपकी सरकार में करप्शन बढ़ा है। आपके सामने कहने से झिझकते हैं, डरते हैं लेकिन मैं कहता हूं आप हिम्मत से कहें करप्शन को दूर करने के लिये और सुझाव दें कि इन खर्चों को इस प्रकार कम किया जा सकता है और इस प्रकार से व्यवस्था से गड़बड़ियां दूर हो सकती हैं।

हमारे सामने तो करप्शन का जिक्र करते हैं लेकिन पीछे से कहते हैं, सामने कहने की हिम्मत नहीं है। मैं कहता हूं पार्टी में डिस्कस करें, पार्टी में रखें कि इस प्रकार का बजट होना चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन पार्टी मीटिंग हो नहीं, सामने आपके कहें नहीं तो किस प्रकार से व्यवस्था चलेगी समझ में नहीं आता है। इससे राजस्थान का भविष्य अच्छा दिखता नहीं है।

हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बड़े योग्य हैं और गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। जो टैक्स का भार वहन करें, उन पर अवश्य लगाइये। मैं बताता हूं आप जौहरियों पर टैक्स माफ करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे लेकिन एग्रीकल्चर वालों पर नहीं करेंगे। मैं जानता हूं जौहरियों का प्रदर्शन होगा और आप उनके प्रभाव में आयेंगे। प्रभाव से मेरा मतलब रुपये पैसे से नहीं है, आप उनके व्यक्तिगत प्रभाव में आ जायेंगे।

मैं अर्ज करना चाहता हूं हमारे यहां से जो तेल और दालें राजस्थान से बाहर जाती हैं, उन पर टेक्स बढ़ायें, एग्रीकल्चर इनपुट्स पर टैक्स घटायें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसको रद्द करिये। पत्थर पर फर्स्ट पाइन्ट पर सेल्स टैक्स लगा रखा है कन्ज्यूमर को उससे परेशानी होती है। आप इसको सीधा कर दीजिये। पांच करोड़ की आमदनी

(श्री शिवचरणसिंह)

बढ़ जायगी इन सारे साधनों के अनुसार। पत्थर पर इसलिये कह रहा हूं क्योंकि दूसरी स्टेट पंजाब और हरियाणा का जो प्रोडक्ट है उसको फारिन कन्ट्रीज ले जा रहे हैं। सीमेन्ट पर पाबन्दी लगा दें, सीमेंट की कमी है। जिसका आपका सोर्स कम है उस पर पाबन्दी लगा दें। मेरा निवेदन है आप ऐसे मुद्दों को टेप करें तो राज्य सरकार को आय होगी और घाटा कम होगा।

महँगाई बढ़ती है क्योंकि प्रोड्यूसर के लिये कोई कीमत तय नहीं है। उनको भी आप पाबन्द कीजिये। एग्रीकल्चरिस्ट के लिये आपने बजट में कुछ नहीं रखा है जिससे किसी प्रकार का इन्सेन्टिव मिले।

इतना ही कहने के पश्चात, जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय वित्त मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं। परन्तु उन्होंने एक प्रत्यक्ष आरोप लगाया है कि यह जो अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं ये केवल इसी वर्ष एक तरह से आई हैं। मेरा ऐसा कहना है, ऐसी बात नहीं है। सन 1975-76 में भी जो अनुपूरक अनुदानों की मांगें आई थीं वे लगभग 150 करोड़ की थी 76-77 में 117 करोड़ रुपये की थीं, अब उनके मुकाबले केवल 52 करोड़ की हैं।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि एक ही वर्ष के अन्दर तीन बार अनुपूरक अनुदान की मांगें आई। पहले मार्च के महीने में, फिर बाद में सितम्बर महीने में और अब मार्च के महीने में। इस सम्बन्ध में एक बात विचारणीय है। मार्च के महीने में केन्द्रीय सरकार बनी और वह केन्द्रीय सरकार एक काफी परिवर्तन के बाद आई मैं यह भी नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकार के जाने से कोई खास बात हुई लेकिन एक बात तो हुई कि कम से कम प्रजातन्त्र को स्वस्थ रखना है तो कोई भी दल हो और चाहे कितना ही जनोपयोगी हो, लोकप्रिय हो उसको एक दो बार में जाना ही चाहिये। देश की आजादी के बाद निरन्तर 30 वर्ष तक कांग्रेस का शासन रहा। जब मैं इस कांग्रेस में था तब भी सोचता था कि कोई भी दल निरन्तर सत्ता में बना रहता है तो वह दल वास्तव में जनतन्त्र को नहीं अपनायेगा वल्कि तानाशाही का उपयोग करेगा। इसलिए जो परिवर्तन हुआ मार्च के महीने में वह परिवर्तन मामूली परिवर्तन नहीं था। वह परिवर्तन इस कारण से नहीं हुआ कि हिंसा की भावना है, या दिल में द्वेष की भावना है वल्कि जो कुछ हुआ वह देश के भविष्य के लिये अच्छा है, शुभ है। जो कुछ परिवर्तन को देखते हुए बजट रखा था, 6 सितम्बर को रखा था वह वास्तव में वही बजट था जो मार्च में रखा गया था और उसे परिवर्तित बजट की संज्ञा दी गई थी। वह परिवर्तित बजट इसलिये आया कि दूसरी गवर्नमेंट बनी, दूसरी सरकार बनी और दूसरे तरीके से सोचा गया। आपके सामने जो आंकड़े मार्च में रखे गये थे यह योजना भिन्न व्यय में 168 करोड़ रखे थे वह योजना व्यय परिवर्तित बजट में 197 करोड़ का रखा गया था। संशोधित अनुमानों में एक करोड़, डेढ़ करोड़ ज्यादा हो गये इसलिये

(श्री आदित्येन्द्र)

योजना भिन्न व्यय में भी वृद्धि हुई और योजना व्यय में भी वृद्धि हुई। यह इस कारण से नहीं कि कोई हमने उस समय पूरे तौर से उन अनुमानों का ठीक प्रकार से अन्दाज नहीं लगा रखा था, वे सोच समझ कर ही लगाये गये थे लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, और यह पता नहीं था कि बरसात इतनी ज्यादा होगी कहीं पर जिससे बाढ़ आ जायगी। जो बजट रखा गया था वह 6 सितम्बर को रखा गया था। बाद में बाढ़ का और भी ज्यादा भयंकर रूप हो गया। आज भी यह पता नहीं था कि इस एक महीने में दूसरी प्राकृतिक आपदा आ जायगी—ओलों की वृष्टि। इस ओला वृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से कई राज्यों में तो करोडों रुपयों का नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार की आपत्तियां आया करती हैं। तो अनुपूरक अनुदान की मांग रखी गई हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है, अब की बार जो नयी बात हुई वह इस कारण से हुई कि बीच में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। हां, एक बात जरूर है, जो सुझाव दिया है वह वास्तव में महत्वपूर्ण है और वह यह है कि बढ़ती हुई महंगाई है, उसको रोकना चाहिये। इसके लिये यह भी जरूरी है कि 1960–61 में जो आवश्यक वस्तुओं के भाव थे, उन वस्तुओं के भावों के आधार पर हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे सेलेरीज और दूसरे महंगाई भत्ते हैं वे हमें ज्यादा न देना पड़े लेकिन जहां यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है वहां यह बड़े सोचने की चीज है। यह केवल एक राज्य के करने से नहीं होगा। यह तभी होगा जब कि केन्द्र में इस पर सोचें और केन्द्र के अलावा दूसरे राज्य भी सोचें। मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि यह विचार ऐसा है कि जिस पर हमें गंभीरता के साथ सोचना चाहिए और इसके ऊपर बाद में निर्णय भी लेना चाहिए।

दूसरी बात यह कही गई है कि यह जो घाटा उस समय हुआ था वह घाटा और हो जाता। ऐसी बात नहीं है। इस सम्बन्ध में जहां आमदनी हुई है वहां खर्चा भी ज्यादा बढ़ा है। संशोधित अनुमानों का अगर माननीय सदस्य अच्छी तरह से अध्ययन करें और बाद में 1978-79 के बजट अनुमानों को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि इस बात की कोशिश की गई है कि खर्च कम किये जावें। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि जो तड़क भड़क है, शान-शौकत है वह बढ़ी नहीं, तो उसमें कोई खास कमी आई हो, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो 5 करोड़ 22 लाख की मितव्ययता की गई है वह केवल पदों की रिक्तता के कारण नहीं हुई बल्कि उसमें यह भी बताया गया है कि ऐसे हमने उपाय भी किए गाड़ियों में जैसे मान लें कि ज्यादा पेट्रोल खर्च होता था, गाड़ियों का ज्यादा दुरुपयोग होता था उस दुरुपयोग को रोका। और भी कुछ ऐसी बातें थीं जिन बातों के लिए बराबर सोचा गया। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को सोचते हुए भी और उनके लिए कोशिश करते हुए भी शायद अभी तक कुछ करना सम्भव नहीं हुआ है। जैसे कि अभी हम मानते हैं कि जो खर्चा है सरकार का वह काफी बढ़ा हुआ है। शायद इतने आदमी, जो सेवाओं में हैं, की संख्या काफी है। तब भी अगले बजट में इस बात की कोशिश की गई है और एक हजार से ज्यादा पद कम किये गये हैं। यह भी एक तरह से देखा जाय तो आज के वातावरण को देखते हुए एक साहसिक कदम है, एक तरह का साहस

(श्री आदित्येन्द्र)

ही है। इसी काम को आगे भी करके और भी खर्चा कम किया जाएगा।

कभी-कभी बजट के सिलसिले में और बाद में भी इस तरह की बातें कही गई कि मंत्रियों के खर्चे वैसे ही हैं बल्कि ज्यादा खर्चा हो गया है। इस सम्बन्ध में काफी विचार किया जा रहा है कि इसको कैसे कम किया जावे। इसके अलावा जो शान-शौकत है उसको भी कैसे कम किया जावे।

कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे माननीय सदस्य श्योपतसिंहजी ने कहा है कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पर एक ओर टैक्स लगा दिया गया है और दूसरी ओर यह कहा गया है कि जो दूसरे उपकरण हैं वे उपकरण भी शामिल कर लिये जायेंगे, इस प्रकार से सरकार किसी भी उपकरण को कर मुक्त या कर लगाने के लिये सम्मिलित करने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही कहना है कि एक तो वह इम्प्लीमेंट्स हैं जो एक प्रकार से ट्रेक्टर के ही अंग हैं। ट्रेक्टर्स पर अभी तक फाइव पर्सेंट सेल्स टैक्स था उसे फोर पर्सेंट किया गया है। इसी तरह से दूसरे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, प्लाओ है, कल्टीवेटर है, हेरो है, इन पर टैक्स पहले तो शायद ज्यादा था पांच पर्सेंट से भी, बाद में जब पांच पर्सेंट था तो उससे भी कम उसको चार पर्सेंट किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे उपकरण हैं, थ्रेसर है, या और कोई फसल काटने के लिए या फसल का अनाज निकालने के लिए, अनाज अलग करने के लिए उनके लिए जो भी मांग चली आ रही थी, उन सभी को लिया है, शायद छः या सात उपकरणों को शामिल किया गया है, उसमें और भी उपकरण जोड़ कर दस, पन्द्रह या सोलह शामिल कर सकेंगे और सभी कर से मुक्त कर दिये जायेंगे।

अभी कुछ महानुभावों ने इस प्रकार के सुझाव दिये हैं, जैसा कि माननीय सदस्य, जो बयाना से आने वाले है, ने कहा है, एक तरह की उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा है कि जहां तक जौहरियों का सवाल है, ज्वेलर्स का टैक्स माफ कर दिया जाएगा और जो हमारी आवश्यक चीजें हैं उन पर टैक्स माफ नहीं करना चाहते। उन्होंने साथ में यह सुझाव भी दिया कि सरसों का तेल है उस पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। तो ये सब सवाल ऐसे है जो बहुत सोचने के हैं। मान लीजिए सरसों के तेल पर टैक्स है, क्योंकि ज्यादातर यह बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है अपने देश में, दूसरे राज्यों को अगर उस पर टैक्स बढ़ाते चले जायेंगे तो जो तेल यहां पर कन्ज्यूम होगा उस पर टैक्स का असर पड़ेगा। आखिरकार दूसरे राज्य भी हैं, मान लें कि हर एक राज्य यही नीति अपनाने लगे, यह नहीं सोचे कि पूरा देश एक है और हर एक राज्य अपने हित की बात सोचे, देश के हित की बात न देखे तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा।

एक प्रश्न अन्त में और है और वह है सैंटर और स्टेट के रिलेशन के संबंध में। सैंटर-स्टेट रिलेशन के बारे में मुख्य मंत्रीजी के कथन का एक हवाला दिया गया और यह कहा गया कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, हम यह चाहते हैं कि केन्द्र भी मजबूत हो और राज्य भी मजबूत हो। इसका अर्थ यही है कि केन्द्र को जरूर मजबूत करना चाहते हैं। केन्द्र मजबूत होना भी चाहिए।

(श्री आदित्येन्द्र)

मेरा ऐसा ख्याल है कि हम सभी माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस बात को मानेंगे कि आज के संसार की जो स्थिति है विस्फोटक स्थिति, उस स्थिति में केन्द्र को मजबूत होना ही चाहिए। इसलिये जो वित्तीय साधन उनके पास हैं वह वित्तीय साधन भी उनके पास होने चाहिए। केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध पहले से निर्धारित हैं। यह ठीक है कि परिस्थितियां बदलती जाती हैं और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में परिवर्तन होना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने, यह ठीक है, इस बात से इन्कार किया है कि इस सम्बन्ध में सभी राज्यों और केन्द्र के बीच में कोई कांफ्रेंस हों, उसकी इस समय आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ-साथ यह भी कहा है कि कोई भी राज्य अलग-अलग बैठ करके इस सम्बन्ध में विचार कर सकता है। मेरा इतना जरूर मानना है और आप भी मानेंगे, यह ठीक है कि राज्यों के वित्तीय साधन बिल्कुल सीमित हैं और केन्द्र के वित्तीय साधन एक प्रकार से बहुत काफी हैं बल्कि असीमित हैं तो ऐसी बात नहीं है कि इस सम्बन्ध में हम उनके सामने अपनी बात नहीं रखें। हमने अभी सेवन्थ फाइनेंस कमीशन के सामने भी अपनी बात रखी है। जहां अभी तक केवल आबादी के आधार को मान करके ही वित्तीय सहायता के बारे में निर्णय लिया जाता था वहां क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर और पिछड़ेपन के आधार पर वित्तीय सहायता के बारे में निर्णय करने की बातें कही गई हैं। दूसरे महानुभाव जो भी उनसे मिले हैं उन्होंने भी लगभग वही बातें कही हैं। यह बात नहीं है कि हम सचेत नहीं हैं। हम इस बात को मानते हैं कि खर्चा बढ़ रहा है और खर्चा भी इस प्रकार का कि जो शायद हमारी इस समय शक्ति से बाहर है फिर भी पूरे देश में चीजें हैं उन चीजों को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। आज से दो वर्ष पहले जिस समय इमर्जेंसी लागू हुई थी जून, 75 में उससे पहले की स्थिति के ऊपर आप दृष्टि डालें तो वह स्थिति बड़ी भयानक थी, बड़ी विस्फोटक थी। उसके पहले दो सालों में चीजों के दाम बहुत बढ़ गए थे। महंगाई आसमान को छू रही थी। उसके बाद जो हालात थे वे इमर्जेंसी के कारण केवल एक प्रकार से दब गए थे, सप्रेस हो गए लेकिन जैसे ही वह इमर्जेंसी हटी और प्रजातंत्र सच्चे अर्थों में कायम हुआ उसके बाद लोगों में जो आकांक्षा थी, जो अपेक्षायें थीं वे उभरीं। जो आकांक्षा और अपेक्षाएं थीं उनको ठीक प्रकार से चैनलाइज करने में, उनको नियंत्रित करने में समय लगेगा। इस बात के लिए अगर हम सब लोग मिल कर कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि स्थिति में काफी सुधार हो सकता है।

कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि जो भी खर्च आज हुए हैं, वे खर्च ज्यादा हैं इन खर्चों में कमी होनी चाहिए और इन खर्चों में काफी कमी की जा सकती है।

एक खास चर्चा भ्रष्टाचार के बारे में हो सकती है। यह एक ऐसी चीज है, जैसे केन्सर की बीमारी होती है। इसके लिए पूरे प्रयत्न होने चाहिए। ये पूरे प्रयत्न राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहियें। ये तमाम चीजें हैं, इन सब पर पूरे तौर से विचार नहीं करें तो पूरे तोर से भ्रष्टाचार को

(श्री आदित्येन्द्र)

खतम नहीं कर सकते हैं, प्रशासन से भ्रष्टाचार को खतम नहीं कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में से भ्रष्टाचार को खतम नहीं कर सकते हैं, हमारे राजनीतिक जीवन में से भ्रष्टाचार को खतम नहीं कर सकते हैं। इन तमाम चीजों....

श्री सूरजपाल सिंह : आपके क्या सुझाव हैं ?

श्री आदित्येन्द्र : मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज की जो स्थिति है, वह केवल, मैं समझता हूं, सुझाव देने से ठीक नहीं होगी। इन सुझावों का ठीक तरह से पालन करने से वह ठीक हो सकेगी। अगर हम इस तरह से नहीं सोचते हैं तो जितने जितने इलाज करेंगे इलाज से स्थिति का ठीक दिशा में परिवर्तन करना संभव नहीं होगा, बल्कि उलटी दिशा होगी। पिछली सरकारों के बारे में कोई बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। पिछली सरकारों ने विचार किया, योजनाएं बनाईं और योजनाओं को क्रियान्वित किया लेकिन शायद योजनाओं को बनाते समय पूरी तौर से यह ध्यान नहीं दिया कि ये योजनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे गरीब से गरीब को कुछ लाभ हो। हम समझ रहे थे कि योजना बन रही है, आमदनी बढ़ रही है, किन्तु हमारी आमदनी में गरीब और अमीर में भेदभाव ज्यादा ही बढ़ता चला गया है, इसको हम सभी मानेंगे। जो अब इसमें मोड़ दिया है, इसके बारे में जैसा पहले कह चुका हूं, यह मोड़ खास तौर से गांव के बारे में है। गांवों की तरक्की होनी चाहिए। गांव में उन लोगों को, जो गरीब से गरीब आदमी हैं, तरक्की होनी चाहिए वरना यह जो वातावरण बना हुआ है, हिंसात्मक वातावरण, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए पूर्ण अहिंसात्मक वातावरण बनाने के लिए, एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिससे हम तरक्की कर सकें हम सब मिल कर कोशिश करें।

इसके साथ मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो 52 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं, ये एक कारण से खास तौर में पेश हुई हैं। इनमें एक बड़ी रकम इस बात की है, चूंकि उस समय यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि यह जो योजना का खर्चा है, जो केन्द्र प्रवृतित योजनाएं हैं, उनमें कितना रुपया खर्च होगा, क्योंकि सरकार उस समय बनी थी इसलिए केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत हो गई तब व्यय कर सकें और पहले अन्दाजा हुआ। इसलिए 52 करोड़ रुपये की ये अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं, जो कोई ज्यादा नहीं हैं। उनमें आधी से ज्यादा मांगें इस तरह की हैं। मैं समझता हूं कि हाउस को, सदन को यह जो मैंने कहा है, उससे थोड़ा संतोष होगा और इन मांगों को पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अनुपूरक अनुदान की मांगों के सबंध में 52 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं और इस सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाय विधेयक को अस्वीकार क्यों कर दिया जाय, इस सम्बन्ध में मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में, श्रीमन्, आपके जरिये प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, यह 52 करोड़ रुपये की मांगें वित्त मंत्री महोदय ने सदन में पेश की हैं, इस 52 करोड़ रुपये की मांग के अन्दर राजस्थान के कमजोर वर्गों के लिए खर्च करने का कोई उल्लेख नहीं है, जिनके लिए वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में जिक्र किया था। इन मांगों में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि राजस्थान के कमजोर वर्गों विशेष कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति को ऊंचा उठाने के लिए और उनके विकास के लिए कोई धनराशि खर्च की जा रही है। मान्यवर, यह सारा प्रशासनिक अपव्यय है, जिसको हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। आप प्रदेश को क्या नई दिशा देना चाहते हैं? जैसा कि आपने दावा किया है, उसका भी जिक्र नहीं है। यह भी कहीं पर उल्लेख नहीं है कि अन्त्योदय योजना में कितना करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। नतीजा यह है, मान्यवर, राजस्थान के अंदर जिस अन्त्योदय योजना की हमारे वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री बार-बार शेखी बघारते जा रहे हैं, उसके लिए, उस योजना के अन्तर्गत भी इन अनुपूरक मांगों में कोई प्रावधान, प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। हकीकत तो यह है कि अन्त्योदय योजना में राजस्थान के गरीब तबके के लिए एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। इसका यह प्रमाण है कि इन अनुपूरक मांगों मे कहीं कोई खर्च का प्रस्ताव नहीं है। मान्यवर, हमें प्रसन्नता होती अगर यह 52 करोड़ रुपया हो अन्त्योदय योजना के लिए खर्च किया जाता और हम खुशी-खुशी समर्थन देते।

आज इस प्रदेश के अन्दर हरिजनों को उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा है। उनकी बेदखली को रोकने के लिये सरकार कितना खर्च करना चाहती है? समाज कल्याण के लिए, हरिजनों के उत्थान के लिये, उनके विकास के लिये, उनके प्रगति के लिये कितना ज्यादा खर्च की मांग की गई है? हमें खुशी होती, श्रीमन्, यदि यह 52 करोड़ रुपया ही शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये होता और हम खुशी-खुशी इसके लिये अपना समर्थन देते। परन्तु, मान्यवर यह सारा प्रशासनिक अपव्यय है। आपने कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया।

राजस्थान कैनाल के अन्दर ही यह ज्यादा खर्च कर देते तो हमें प्रसन्नता होती और राजस्थान को भी अपने वित्त मंत्री पर गर्व होता कि राजस्थान कैनाल के लिये यह रुपया मांग रहे हैं। यह 52 करोड़ रुपया सारा का सारा प्रशासनिक अपव्यय है, प्रशासनिक अकर्मण्यता है, सारी की सारी यह फाइनेंशियल इर्रेगुलेलिटी है। यह बताती है कि हमारे वित्त मंत्री प्रशासनिक विभागों पर कन्ट्रोल नहीं कर सके। उसका यह प्रमाण है कि यह 52 करोड़ रुपये का ज्यादा खर्च हो रहा है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

राजस्थान की जनता के विकास के लिये, राजस्थान की बहबूदी के लिये; राजस्थान की समस्याओं को हल करने के लिये, उसके विकास के लिये यह पैसा खर्च होता तो हमें खुशी होती।

आज राजस्थान में लोग अकाल से भूखे मर रहे हैं। मान्यवर, यह पहला मौका है कि लोग भूखे मर रहे हैं। सीकर, झुंझुनूं में कोई काम नहीं खोला जा रहा है। हजारों लोग भूखे मर रहे हैं फिर भी अकाल राहत कार्यों को कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। यह 52 करोड़ रुपया ही अगर अकाल से पीड़ित, भूख से मर रहे लोगों के लिये खर्च करने के लिये मांगा जाता तो हमें पास करने में प्रसन्नता होती।

आज हमारे बच्चों को क्षमता के अनुसार पूरी खुराक नहीं मिलती, गर्भवती महिलाओं को पूरी खुराक नहीं मिलती है; उनको भूखा ही सोना पड़ता है, वे अपने बच्चों को पूरा भोजन नहीं दे पाती हैं। इसके लिये यह 52 करोड़ मांगा जाता तो, मान्यवर, हमें प्रसन्नता होती। इस 52 करोड़ रुपये में से कितना अन्त्योदय योजना में या हरिजनों के उत्थान के लिये आपने रखा है, कहीं पर भी ऐसा संकेत नहीं है। यह तो केवल हेराफेरी है। अन्त्योदय योजना के लिये आपने एक पैसे की भी मांग नहीं की है। तो यह क्या है? यह प्रशासनिक अक्षमता है, फाइनेंशियल इर्रेगुलेरिटी है। नहीं है तो क्या है? मैं यह वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। आज हरिजन, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। गरीबों के बच्चे किताब, स्लेट लेकर स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको दोपहर का भोजन नहीं मिलता है। गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि कमजोरी की भावना उनमें पैदा हो रही है। गरीब लड़के नंगे हैं, उनके तन पर कपड़ा नहीं है, नेकर नहीं है, इसलिये स्कूल नहीं जा सकते और घर में बैठे हुए हैं। इन सब बातों का सारे प्रोग्राम में मन्त्री महोदय ने कहीं कोई जिक्र नही किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है आपका समाज कल्याण?

उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रधान मन्त्रीजी मोरारजी भाई जयपुर आये थे तो मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम एक साल में कच्ची बस्तियों की समस्या हल कर देंगे। क्या मुख्य मन्त्री महोदय उनको उजाड़ देंगे? कच्ची बस्तियों का विकास करना था, उसका इस सप्लीमेन्ट्री बजट में कोई जिक्र नहीं है। 1973-74, 74-75, और 75-76 में एक करोड़ रुपया व्यय किया गया। लाखों रुपया जोधपुर में व्यय किया गया था। आज कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो कैसे विचार करेंगे? मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा था, कच्ची बस्तियों के रहने वालों को बिना ब्याज के रुपया दिया गया था। चार-चार हजार रुपये की धनराशि उनको दी गई थी। आपको विश्वास नहीं हो तो नगर आयोजना मंत्रीजी को साथ ले जायें। जाकर देख आयें अगर सड़क नहीं हो। आज सड़कें टूटी पड़ी हैं। पानी से भरी पड़ी हुई हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, कैसे आप कच्ची बस्तियों की समस्या को हल कर देंगे। कच्ची बस्तियों के लिये नगर आयोजन के लिये क्या मन्त्री महोदय ने मांग

(श्री रामनारायण चौधरी)

की है ? इसमें यह कहीं नहीं है कि कच्ची बस्तियों में ज्यादा रुपया खर्च कर दिया है। यह कहीं नहीं लिखा है। आपने बाबू लोग लिये होंगे। दूसरे काम कर लिये होंगे। आपने नगर के किसी विकास के नाम पर, पानी की समस्या पर कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया है। तो हम इसको कैसे समर्थन दें ? मैं इसको समर्थन नहीं दे सकता हूं। आप अपने बहुमत के आधार पर स्वीकार करायेंगे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। लेकिन यह याद रखें कि प्रधान मन्त्रीजी से आपने एक साल का वायदा किया है और व्यय कुछ नहीं किया है। इसलिये गरीबों को ऊंचा उठाने के लिये; शानदार बस्तियां बसाने के लिये, जो सुविधाएं दूसरों को प्राप्त हैं, वह सुविधाएं देने के लिये माननीय मन्त्री महोदय इसमें प्रावधान कर दें। किस प्रकार से और कौन-कौन तरीके से कच्ची बस्तियों की समस्या हल करेंगे ? क्या योजना है ? मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रधान मन्त्री महोदय को जो वायदा किया है वह एक वर्ष का वायदा किया है। अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर आदि में जो कच्ची बस्तियों की समस्या है, वह एक वर्ष में नहीं रहने देंगे। कोई समस्या नहीं रहेगी। यह वह कैसे करेंगे तो क्या आपने प्रधान मन्त्री से धन वसूल करने के लिये वायदा किया था ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर कोई योजना है तो बताई जावे।

मान्यवर, आपकी घण्टी बज रही है। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, आपने प्रस्तुत विधेयक में कहीं भी यह बताया है कि अन्त्योदय योजना में ज्यादा खर्च हो गया है ? कच्ची बस्तियों के उद्धार के लिए पैसा खर्च किया गया है; इसका कोई जिक्र नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उद्धार के लिए ज्यादा खर्च किया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। राजस्थान केनाल को पूरा करने के लिए खर्चा किया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह सारा का सारा प्रशासनिक झगड़ा है। निजी या अपने अधिकारियों की मार्फत ज्यादा खर्चा कर दिया; वह विकास के काम नहीं आया। हरिजनों को कोई निर्व्याज, विना चार्ज के रुपया दिया ? आप किस प्रकार से एक गरीब को ऊंचा उठाने के लिए कोई योजना बनायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह विधेयक अस्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने यह विनियोग विधेयक पेश किया है, इससे वित्त की स्थिति मालूम पडती है। जो यह सरकार है, इसको कल सर्टिफिकेट मिला है। जय प्रकाश बाबू ने पटना में यह इजहार किया है, उन्होंने कहा है "मैंने कामना की थी कि देश के अन्दर क्रान्ति आयेगी। एक सामाजिक क्रान्ति आयेगी।" उन्होंने यह सर्टिफिकेट दिया है, कि मैं 9 महीने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह केवल सत्ता परिवर्तन हुआ है। सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ है। "यह जे. पी., का स्टेटमेण्ट है। आम आदमी यह कहेगा कि आपका प्रशासन का खर्चा बढ़ रहा है। आपके अपने लोगों

(118)

(श्री मूलचन्द डागा)

की, बड़े-बड़े अधिकारियों की और सेक्रेटरी की तनख्वाह है, जिसका कम से कम 12 हजार रुपया हर महीने का होगा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 330 रुपया देते हो। आप डिस्पेरिटी को मिटाने, विषमता को घटाने को चले थे लेकिन वह घटी नहीं। लेकिन एक न एक दिन यह घटेगी जब खूनी क्रान्ति आयेगी ।

आपने सीलिंग लॉ को इम्प्लीमेण्ट नहीं किया । बेरी आयोग को बैठाकर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, सीलिंग लॉ को इम्प्लीमेण्ट कर देते तो छोटे-छोटे लोगों को लाभ होता । आज गांवों में धनवान लोग आगे आना चाहते हैं। अभी हाल में हुये पंचायत चुनावों ने इस बात को साबित किया है। धनी और जागीरदार लोग सरपंच बने हैं । कहीं गरीब सरपंच नहीं बने हैं । उनके हाथों में यह ताकत नहीं है

आज कैपिटल पर टैक्स नहीं है । पूंजीपतियों पर टैक्स नहीं है । गरीबों को उठाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं, और पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि सारा पैसा सरकारी मशीनरी पर खर्च करते हो । आज मैं चुनौती देता हूं, सरकारी सचिवालय में जितने कर्मचारी हैं, उनको जाकर देखें उनकी काम करने की क्षमता 8 घंटे की नहीं है। उनमें मुश्किल से चार घंटे काम करने की क्षमता है । वह इतना काम ही कर पाते हैं । आज अनुपयोगी चीजों पर ज्यादा खर्चा होता है। पौने तीन करोड़ लोग टैक्स देते हैं। गरीब मेहनत करता है, खून पसीना एक करके कमाता है। उसमें से टैक्स देता है। यह चन्द पूंजीपतियों का राज है। थोड़ी सी नौकरशाही का राज है ।

यह वह राज है जिसमें समग्र क्रान्ति की बात नहीं है । कुछ सरकारी नौकर ही राज करेंगे, उनको आपने लाखों रुपया दिया है। आज भी जो सरकारी नौकर मोटर खरीदना चाहता है उसको कर्ज दिया जायगा, जो सरकारी नौकर मकान बनाना चाहता है, उसको कर्ज दिया जायगा। आपने स्कवेन्जर्स का लोन बन्द कर दिया । मिडिल इन्कम ग्रुप के लिये नाम मात्र की रकम मांगी हैं । आपने एलान कर दिया कि कोआपरेटिव सोसायटीज में वृद्धि की जायगी । मैं तो सोचता था कि अर्थ व्यवस्था में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन आप लायेंगे। मुझे जयपुर की ढाई सौ वीं वर्ष गांठ मनाने में कोई एतराज नहीं, किन्तु आपने पचास लाख रुपया आवास के लिये रखा था वह किस काम के लिए खर्च हुआ? मोरारजी भाई जब रामनिवास बाग में आये थे तो यह एलान किया था कि ढाई सौ वीं वर्ष गांठ के वर्ष में कोई कच्ची बस्ती नहीं रहेगी लेकिन देखते हैं कि सारा पैसा कुछ ही कामों के लिय खर्च किया जाता है और लाखों रुपयों की बरबादी की जा रही है। गन्दी बस्तियां आज भी मौजूद हैं ,गरीबों के लिए सर छिपाने को जगह नहीं है।

अन्त्योदय योजना क्या है आपकी? बार-बार इसके लिए कहा गया, जैसे एक सर्वोदय योजना थी, उसमें भूदान हुआ लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ । उसी तरह से भैरोंसिंह शेखावत की अन्त्योदय योजना है। मैंने पूछा था कि अन्त्योदय योजना का क्या कानून है, इसके क्या नियम हैं? समाज के आखिरी आदमी को स्वावलम्बी बनाने की योजना है, यह सब ढकोसला है लोगों को गुमराह करने का तरीका है। अन्त्योदय योजना के अन्दर आपने किसको

(श्री मूलचन्द डागा)

लिया है? क्या उन भिखारियों को लिया है? जो भीख मांग कर गुजारा करते हैं वे समाज को आखिरी पंक्तियों में है। क्या अन्त्योदय योजना है,यह समग्र क्रान्ति क्या है? 104 गांव छांट लिये, 150 नहीं लिये, गलती कर दी 150 गांव छांटते तो 150 मेम्बर हैं, एक एक गांव बंट जाता।

श्री नवनीत पालीवाल : इसकी चिन्ता आप मत करिये।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे बहुत चिन्ता है। ये तो 100 वर्ष जीयेंगे। मुझे चिन्ता है उनकी जो नये चुन कर आये हैं। हमारे गुरुजी तो जानते हैं कि जिन्दगी निकाल दी। आप आवाज देते हैं कि भावी इतिहास हमारा है। ये देखो वे छाती पीट रहे हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पश्चाताप मत करिये। हम लोग सावधान हैं, जागो-जागो करते रहेंगे। विरोधी दल वाले आलोचना नहीं करना चाहते।

आपका यह जो बजट है यह क्रान्तिकारी बजट नहीं हो सकता, आप नौकरशाही बजट बनाते हैं। श्रीमन्, यह डिफेक्ट है बजट में, रुपया कहां खर्च होता है, परफार्मेन्स क्या है, किस प्रकार से उपयोग होता है, इसको देखने के लिये ये पोथे दे दिये, न तो मेम्बर इनको पढ़ सकते और न मन्त्री, जी। मंत्री जी वैसे काफी ज्ञानवान हैं, उन्हें काफी ज्ञान है। यह बहुत बड़ा जाल है आंकड़ों का। इसमें सारे लोग फंसते हैं, केवल कुछ पूंजीपति ही नहीं फंसते। क्या आपने यह देखने का प्रयत्न किया कि विभाग में इतना रु। कहां खर्च हो रहा है? भ्रष्टाचार कहां पनपता है? भ्रष्टाचार का एक ही कारण है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं वे प्रजातन्त्र को नुकसान देते हैं और प्रजातन्त्र पर छा जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कहना चाहता हूं कि आपने परिवर्तित बजट पेश किया है, और सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड पेश कर रहे हैं तो मेहरबानी करके इसको देखिये। वैसे समय आपको कम मिलता है, लेकिन हमने सोचा था जनता पार्टी इन्कलाब लेकर आयेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक साल निकाल गया, और चार साल निकाल लो, और फिर मैदान में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते-पढ़ते आ गये।

(व्यवधान)

तुम्हारी समाज कल्याण की लड़कियां भाग गईं, तुम तो शर्म खाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह दो बातें तीस साल की बात और दस साल की बात....

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सदन के अन्दर तुम्हारी-तुम्हारी शब्द का प्रयोग किया गया तो यह उचित नहीं है। सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये संयत एवं सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा, आपकी बात कहूंगा। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि तीस साल की बात न लायें। दूसरी

(श्री मूलचन्द डागा)

बात दस साल में बेरोजगारी दूर करने की है, दस साल में बेरोजगारी दूर की जायगी। ये जो दो आंकड़े हैं आपके, एक तो तीस साल और एक दस साल, ये दोनों खतरनाक हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : ये तो चलते रहेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : बोलने दो।

श्री मूलचन्द डागा : यदि यह दुकानदारी इसी तरह से चलानी है, आपने आयोग बैठाये, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। बैरी आयोग किस लिए बिठाया? सीलिंग कानून को डाउन करने के लिए। कानसिंह आयोग किस लिये बिठाया? लाखों रुपया आयोगों पर खर्च कर दिया। यह आयोग कुछ नहीं कर सकते...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जनता काम मांगती है। इतना कह कर मैं मांग करता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल को पास नहीं किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 52 करोड़ की सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स सदन के विचारार्थ रखी गई हैं। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं और माननीय वित्त मन्त्री जी का जवाब भी सुनने को मिला। यह जो सप्लीमेन्ट्री मांगें रखी हैं 52 करोड की, पहले इससे भी ज्यादा रखी थीं। किसी भी विभाग में या किसी योजना में इतना ज्यादा खर्चा क्यों होता है, इसके बारे में इसमें विचार नहीं किया गया है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये सब तुम्हारी योजनायें हैं, और हमारा कुछ भी नहीं है। तो अब तो काफी समय हो गया है, आपने क्या विचार किया? फाइनेन्स कमीशन के साथ बैठा कर विचार आपने भी किया होगा, अनुपूरक मांगें इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं, इतनी ज्यादा मांगें क्यों बढ़ जाती हैं? मेरा निवेदन है कि नान-टैक्स रेवेन्यू कम करें, जनता की भलाई के लिए, जनता इसकी उम्मीद कर रही है।

माननीय वित्त मन्त्री जी, आपने अन्त्योदय योजना के माध्यम से गरीबों को स्वावलम्बी बनाने की घोषणा की है। इसके बारे में हमको अनुपूरक मांग के अन्दर बताया होता कि एक करोड़ रुपये की राशि या इतने लाख रूपयों की राशि इसके लिये हैं। यह नई योजना लाये हैं, इसके लिए यह अनुपूरक मांग लानी पड़ी है, तो हम आपकी सराहना करते।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने शराबबन्दी करने के लिए लोगों को समझाने के लिए, उनके मस्तिष्क में परिवर्तन लाने के लिये कोई योजना बनाई है जिससे आप लोगों को समझायेंगे और शराबबन्दी करायेंगे? उसके लिए कोई प्रस्ताव इस बजट में नहीं है।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, क्या सहकारिता आन्दोलन के रूप में कोई योजना है? आपने यह कहा कि हम सहकारिता को नये आन्दोलन के रूप में लाना चाहते हैं। हर जिले में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां स्थापित करके सहकारिता के जरिये गांवों में स्वावलम्बन को आगे बढ़ाने की या गांवों को अपने पैरों पर खड़ा करने की क्या कोई योजना है? ऐसी कोई नई योजना आपकी इसमें नहीं है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

एजूकेशन के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी या माननीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा करते कि हम फीमेल एजूकेशन के अन्दर क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं। आपकी यह योजना 10+2+3 की है यह दूसरी स्टेट्स में गुजरात और महाराष्ट्र में लागू हो चुकी है। इसको लागू करने की घोषणा करने जा रहे हैं और राजस्थान में इस योजना को लागू करने के लिए इतने करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, यह भी इसमें नहीं है।

दूसरा विभागों में फालतू खर्चा होता है। आपने कहा है कि कांग्रेस के समय से फालतू खर्चा हो रहा है उसको बन्द करेंगे। वह आपने बन्द नहीं किया है यह इससे मालूम होता है।

आप कहते हैं कि हम जनता की भलाई के काम करना चाहते हैं आपने पंचायतों के चुनाव कराये हैं किन्तु पंचायत समितियां और जिला परिषदें वहीं की वहीं अड़ी हुई हैं। क्या पंचायत समितियों का रूप होगा, क्या जिला परिषदों का रूप होगा, जिला परिषदों को क्या पावर दी जायेंगी? उनके लिए क्या बजट रखना चाहते हैं, पंचायत समितियों को क्या पावर देकर रखना चाहते हैं, गुजरात का पैटर्न रखना चाहते हैं या महाराष्ट्र का पैटर्न रखना चाहते हैं उनके सुधार की क्या स्कीम है? उसके लिए यह अनुपूरक मांग है तो वह भी नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री जी यह कहें कि अंत्योदय योजना लागू की है तो उसके लिए हम यह क्रान्तिकारी कदम उठाने जा रहे हैं गांव वालों को शहरों की तरफ नहीं जाना पड़े और रोजगार गांवों के अन्दर ही मिले ऐसी कोई योजना नहीं है। सिर्फ यह बता देते हैं कि इतने लोगों को एम्प्लायमेंट देंगे तो उसकी जिलेवाइज कोई लिस्ट नहीं है। जिलेवाइज संख्या पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं है। देहाती क्षेत्र के अन्दर कम से कम 2–4 मील के अन्दर-अन्दर, या एक मील के अन्दर-अन्दर या पांच किलोमीटर के अन्दर-अन्दर कम से कम एक प्राइमरी स्कूल खोलने जा रहे हैं, उसके लिए यह अनुपूरक मांग नहीं है। उसके बारे में भी कोई योजना नहीं है। आप ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई योजना नहीं है? आप 52 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पास करने जा रहे हैं फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं है।

आप कहते हैं कि हम क्रान्तिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं और 30 वर्ष में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है। हर काम में क्या क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके बारे में भी कोई बात इसमें नहीं है।

माननीय मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार को खतम नहीं कर सकते हैं। यहां पर मैं उनकी ताईद करता हूं कि यह तपेदिक की बीमारी, इस तरह से खतम नहीं हो जाती है कि एक आदमी तो यह कहता है कि वह भ्रष्ट आदमी है और दूसरा कहता है कि वह बहुत अच्छा है। यह जो कन्ट्रोवर्सी है इसको दूर करने के लिये जब तक सब पार्टियों के अच्छे-अच्छे आदमी बैठकर एकमत नहीं होते हैं कि कौन अधिकारी अच्छा है और कौन खराब है, तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता है। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में केसेज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो क्या उसके बारे में नई योजना है कि ऐसे आदमी इसमें रखेंगे ? खुद एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत है। तो उसके बारे में भी आपकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स रखी हैं लेकिन कोई नई योजना नहीं है, ग्रामों के विकास के बारे में कोई योजना नहीं है; प्राथमिक शिक्षा के बारे में नया दृष्टिकोण नहीं है, गांवों के अन्दर या नगरों के अन्दर लड़के-लड़कियों के लिए होस्टल बनाना है, हर पंचायत समिति में एक होस्टल होना चाहिए उसके लिये कोई योजना नहीं है ।

दूसरे, गांवों में चिकित्सा के लिये राजनारायणजी ने स्कीम बनाई है कि गांव के एक आदमी को तीन महीने की ट्रेनिंग देकर उससे इलाज करवाया जाय। यह गांव वालों के साथ खिलवाड़ है। गांवों में दवाई की थैली कंधे पर ले जाने वाले आदमी से इलाज करवाना चाहते हैं तो उससे इलाज होने का नहीं है ।

तो यह ऐसी बात है कि जिनको सुन सुनकर लोग उकता गये हैं। आप कहते हैं कि जनता जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देती है । लोग कैसे दें ? उनको आगे बढ़ाने वाला नियोजन का कोई तरीका आपके पास नहीं है। इन्दिराजी के कारण आपकी गवर्नमेंट बनी तो इन बातों के कारण ही वह वापस न आ जाये। वह गांवों में क्यों जा रही है ? आपने गांवों के विकास का नारा दिया था लेकिन उसके बारे में आपने कोई प्रयास नहीं किया । आपके प्रधान मंत्रीजी कितने ही नोट व फोटू भेजें कि हर आदमी परिवार नियोजन कराये लेकिन कोई मानता नहीं है । आपके परिवार नियोजन के खिलाफ भाषणों के कारण ही जनता उसके खिलाफ हो गई है। आप इसके बारे में जाकर गांवों में भाषण नहीं दे सकते। परिवार नियोजन में यदि कोई ज्यादतियां हुई हैं तो उनकी इन्क्वायरी करा कर दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाई जा सकती थी । आपने यह विचार रखा कि परिवार नियोजन नहीं होना चाहिए तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

होस्टल आदि का कोई काम नहीं हुआ है तो यह सप्लीमेंट्री डिमांण्ड आप किस चीज के लिए पेश करना चाहते हैं ? कोई आपका नया दृष्टिकोण नहीं है । नई सरकार बनी है तो कोई नई दृष्टि होनी चाहिए, कोई नई स्कीम होनी चाहिए । ऐसी स्कीम नहीं है । आपने कह दिया कि 102 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड रख दो या 52 करोड की स्वीकार कर दो तो 52 करोड़ की मांग लाने के बाद आपके पास कोई नई स्कीम नहीं है । यह 52 करोड किस हिसाब से आयेगा ? किसी अधिकारी ने आपको दे दिया नक्शा बनाकर और आपने यहां पर रख दी । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपकी सरकार जनता सरकार है तो जनता के मायने हैं कामन मैन, तो 80 पर्सेंट जो कामन मैन है उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए कम से कम एक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक स्कूल तो दें। जनता की भलाई के नये काम करें। आपके चलने फिरने में, आपके बोलने

श्री रघुनाथ विश्नोई)

, आपकी नई विचारधारा प्रतिबिम्बित होनी चाहिए, वह इसमें बिल्कुल नहीं है। इस लिए मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि भले ही आप इस सप्लीमेंट्री डिमाण्ड को पास करवा लें, लेकिन उसके बारे में आपका क्या जवाब है उससे हमको कन्विन्स कराने का प्रयत्न करें। आपको पास कराना है तो करा लीजिये, लेकिन इसके बारे में आपको गम्भीरता से विचार करना है। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन कृपया जल्दी समाप्त कर दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, लगातार जनता पार्टी के मंत्रियों के भाषण हो रहे हैं और उनकी विचारधारा मैं सुन रहा हूं। किस प्रकार से राजस्थान को आगे ले जा रहे हैं या पीछे धकेल रहे हैं, इसके बारे में इस सरकार ने कोई प्रगति नहीं की है, इससे मुझे निराशा ही हुई है।

आवासन समस्या के लिए भी जो हमारी सरकार का पहले 20 सूत्री कार्यक्रम था उसके द्वारा गरीबों के लिए जो व्यवस्था कर रहे थे, उसमें 8,16,000 प्लाट्स का वितरण किया गया था और उन पर उनको बसाने के लिए योजना बनाई गई थी। 9 करोड़ की राशि विभिन्न जिलों में वितरित की गई थी, परन्तु उसके बाद में उस योजना की बड़ी दुर्गति हुई। जनता सरकार के आने के बाद आवासन समस्या के लिए क्या सोचा गया? अन्त्योदय योजना लागू की गई, अन्त्योदय योजना में जो गरीब आदमी हैं उनकी आवासीय समस्या के लिए क्या कदम उठाये गये? आज हम उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं, उनको गरीबी की रेखा से पार कराना चाहते हैं उनको प्लाट्स भी दे चुके हैं, फ्री प्लाट्स दिए गए हैं। अगर उनकी आवासीय समस्या के बारे में नहीं सोचा गया तो उनकी क्या दुर्गति होगी? मैं वित्त मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उनकी क्या योजना है? अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को और जो लोग नगरों में रह रहे हैं, जो हरिजन थे, उनको भी अनुदान के रूप में राशि मिलती है। उनके लिए रहने के लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है, इसकी रूप रेखा क्या है, वह प्रस्तुत की जाए। गरीब आदमियों को ऊंचा उठाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए। वे चाहते हैं कि कैसे भी हो उनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था की जाए।

राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार आवाज उठाती है कि हम अधिक गांवों की ओर ध्यान देना चाहते हैं, तो आपने ग्रामीण क्षेत्रों में क्या तरक्की की, क्या गृह उद्योग स्थापित किए और उनसे क्या लाभ हुआ, ग्रामोद्योगों ने क्या तरक्की की? बाड़मेर व जैसलमेर जो सीमावर्ती जिले हैं वहां ऊन अधिक होती है तो गलीचे के उद्योग, को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये? उनकी इकानामी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाये? यह सब योजनायें बननी चाहिए। वास्तव में क्या हम गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, ग्रामों की उन्नति करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, इसके लिये कोई भी योजना, पेश नहीं की गई।

(24)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

सब से महत्वपूर्ण समस्या है पानी की। इसके लिए प्रश्न करते हैं तो जवाब मिलता है कि निगम बनाया जाएगा। इससे कोई समस्या हल हो जाती है? निगम का पैसा कहां से आकर टूट पड़ेगा ? वह भी लोन के रूप में लिया जाता है, वह भी री-पे करना पड़ेगा। तो कितने वर्षों में पानी की समस्या का निदान आप करेंगे ताकि हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों को संतोष प्राप्त हो ? छठी योजना में आप कितनी राशि खर्च करके कितनी पानी की समस्या का हल कर सकेंगे ? कोई भी सरकार जो तरक्की करना चाहती है, अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहती हैं तो उसको बताना चाहिए कि इतने वर्षों में पानी की समस्या का हल निकाल सकेंगे। तब तो जाकर उसकी परफार्मेंस का मूल्यांकन हो सकता है।

ग्रामों की उन्नति को देखें, अन्त्योदय योजना को क्रियान्विति की दृष्टि से देखें तो यह सरकार सफल नहीं हुई है इसलिए जय-प्रकाश नारायण ने कहा है कि सोश्यो-इकानामिक रिवोल्यूशन लाया जाए। कानून व व्यवस्था की स्थिति हर जगह खराब है। जयपुर शहर क्या दूसरी जगह भी यही स्थिति है। चोरियां हो रही हैं और सभी भयभीत हैं। आप कानून व व्यवस्था को कन्ट्रोल नहीं कर सकते इसके लिए भी श्रीमती इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते हो, कभी उसकी पार्टी को दोषी ठहराते हो। वास्तव में क्या समस्या का हल करना चाहते हैं? पहले भी यह प्रश्न उठा था हरिजनों के बारे में कि उनकी स्थिति खराब है। अब तो शहरों में भी यह स्थिति बिगड़ी हुई है।

खेतड़ी प्रकरण आपके सामने आया। मैं खुद संतुष्ट हूं कि यह बिल्कुल सही घटना है परंतु प्रश्न उठता है कि जांच कराने के लिए नैतिकता रखें तो आप तीन मैन कमेटी सदस्यों की नियुक्त करें। अगर सच्चाई सामने लाना चाहते है तो जुडिशियल इन्क्वायरी करायें या कोई भी इन्क्वायरी करायें इस प्रकार का कांड हुआ हो तो कौन सामने आयेगा, महिला तो सामने नहीं आ सकती। कहने का मतलब यह है कि यह कानून व व्यवस्था खराब होने का प्रतीक है कि गुंडों व बदमाशों को भय नहीं। अपनी हिंदू संस्कृति इस प्रकार की है कि महिलायें समाज में बदनाम हो जाती हैं इसलिए वे गवाही देने आगे नहीं आतीं। तो जिस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, सामंतवादी व्यवस्था चल रही है, सागड़ी प्रथा भी जारी है, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, बेगार अभी भी जारी है, बगीपा ले रहे हैं। जागीरदार कहते हैं कि हम प्रोटेक्शन देते हैं इसलिए बगीपा किसानों से वसूल करते हैं। पहले यह स्थिति नहीं थी क्योंकि विरोधी दल में पहले जो सामंतवादी तत्व थे, हमारे जिले में उनका जोश बढ़ गया, वे फिर सर उठा रहे हैं, जनता पार्टी कानून व व्यवस्था तोड़ने वालों को प्रश्रय दे रही है।

सभी शिक्षण संस्थाओं में आर. एस. एस. सिर उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पुरानी कांग्रेस में भी हमारी विचारधारा के लोग हैं लेकिन सबसे बड़ा खतरा आर. एस. एस. का है। शिक्षण संस्थाओं में साम्प्रदायिकता का वातावरण पैदा कर रहे हैं जिससे हमारे देश को आंच पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में जनता पार्टी सेक्रेटरी ठाकुर ने आवाज उठाई है और कहा है कि आर. एस. एस. से भारी खतरा है.....

श्री रघुनन्दन व्यास : पाईंट आफ आर्डर। पीछे से प्राक्सी बोल रही है।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से कह दीजिए कि अगर वह अंग्रेजी न समझें तो हिंदी में बोलें, ये प्राम्पटिंग को प्राक्सी कह रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : देश में खास तौर से उत्तर भारत को आर. एस. एस. से ज्यादा खतरा है। यह हमारी सिक्यूलर स्टेट व डेमोक्रेटिक वेल्यूज को खतम कर देगा। इसलिए मैं कह रहा था कि तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती, कोई विकास नहीं हो सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इस प्रकार का दृष्टिकोण रहेगा।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आर. एस. एस. का इस सदन से क्या लेना-देना है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो कुछ बोलें वह बिल के स्कोप में ही बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस वालों को सोते-सोते आर. एस. एस. का भूत ही नजर आता है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह आर. एस. एस. के कर्मचारी इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब वित्त मन्त्रीजी इसका उत्तर देंगे। नियमों में ऐसा प्रावधान है कि जब वित्त मंत्री जी बोल चुकें उसके बाद दूसरे माननीय सदस्य जो बोलें उसका जवाब वित्त मन्त्रीजी देते हैं। माननीय वित्त मन्त्रीजी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कुछ नई घोषणा कर डालो, मास्टर साहब, ताकि आपको यश मिले।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विचार सदन में रखे उनके ऊपर माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे सदन में उठाये हैं। वैसे तो सब प्रश्नों का उत्तर देने का मैंने प्रयत्न किया। बाद में कुछ माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं उनमें माननीय सदस्यों ने सिर्फ इतना ही कहा कि इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि गरीबों के लिये कोई भलाई के लिये की गयी हो। या कोई इस बजट में ऐसा प्रावधान नहीं जो कि गरीबों के लिये किया गया हो।

यहां पर अन्त्योदय योजना के बारे में भी कहा गया है। जहां तक अन्त्योदय योजना का सवाल है अन्त्योदय योजना के सम्बंध में बजट स्पीच में भी काफी कुछ कहा गया है। यहां यह भी कहा गया है कि इन पांच महीनों में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कुछ भी नहीं किया गया है। उनके लिये कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि 45 हजार परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन दी गयी है या कुछ और दिया गया है। उनको किसी न किसी तरह से ऊपर उठाने की कोशिश की गयी है। अगले वर्ष के बजट में निरन्तर हम उनको और ऊपर उठाने में लगे रहेंगे।

जहां तक वर्ष 1977-78 का प्रश्न है मैंने यहां पर बताया कि जहां तक हमारी आयोजना का प्रश्न है हमने उसमें भी तीस करोड़ रुपया बढ़ाया है। 30 करोड़ रुपये जो हैं वह ज्यादातर इन कामों पर खर्च किये

(श्री आदित्येन्द्र)

गये हैं जो कि गांवों के लोगों से संबंधित हैं जैसे कि कृषि का सवाल है, सिंचाई का सवाल है, बिजली का सवाल है या दूसरे काम हैं जिनका गांवों से संबंध है। इसी प्रकार पेय जल की समस्या के हल के लिये खर्च किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस थोड़े से समय में यानि 8-9 महीनों के समय में काफी व्यय किया गया। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मितव्ययता के बारे में जहां तक सवाल है मैं बताना चाहूंगा कि जितनी मितव्ययता हम करना चाहते थे उतनी तो नहीं कर पाये लेकिन फिर भी हमने मितव्ययता की ओर काफी कदम उठाये हैं। हमारे यहां पर पहले भी बार-बार ऐसा होता रहा है कि मितव्ययता की ओर कार्यवाही की जाती रही है। जैसे हर विभाग में जो खर्च किया जाता है उस के लिए वित्त विभाग की ओर से त्रैमासिक यह आदेश जाते हैं कि कम खर्च किया जाय। जहां तक हो कम खर्च करना चाहिये।

उसके लिये अनुशासन भी धीरे-धीरे काम में लाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये अनुपूरक अनुदानों की मांगें 52 करोड़ की आयी हैं इसमें मैंने कोई नयी मांग नहीं रखी है, यह सभी पुराने साल की मांगें हैं। जो खर्च हो गया था पुराने साल में, जो खर्चा ऐसा था जो ऐसी घटनाओं पर हुआ जो आकस्मिक रूप से हो जाती हैं जिनके बारे में पहले हम सोच नहीं सकते हैं। इस वर्ष खास तौर से प्राकृतिक घटनाएं हुई उनके कारण यह तमाम मांगें आई हैं? विशेष तौर से फ्लड के लिये और उसके साथ में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभाव की स्थिति हुई वहां पर खर्च किया गया है। यह सभी ऐसी घटनाएं थीं जो मांग आई अपरिहार्य व्यय था, सभी अनफोरसीन खर्च था, उन पर किया गया था इसलिए यह मांगें आई।

इतना ही निवेदन करते हुए अंत में मैं सदन से कहूंगा कि विनियोग विधेयक को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1978 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28 मार्च, 1978 के प्रातः 11.00 बजे तक के के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.38 बजे मंगलवार दिनांक 28 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी)।

127

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न सं० 502 की सूची)

सूची "अ"

जिला उदयपुर में तहसील भीम और देवगढ़ के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

तहसील भीम ।

1. बरार
2. भीम
3. छापली
4. दवेर
5. बाधाना
6. बरजाल
7. गुढा केसा
8. पीपली
9. बगड़
10. लाखा गुढा
11. काछबली
12. मण्डावर
13. कुकर खेडा

तहसील देवगढ़ ।

1. लसानी
2. ताल
3. कलालों की आंटी
4. शोपुरी
5. देराडा
6. कामला
7. कामली
8. माता की बस्सी
9. ईसरमण्ड

Page No 128

(128)

सूची "ब"

तहसील भीम और देवगढ़ के निम्नलिखित ग्रामों का सर्वे वर्ष 1977-78 में किया गया

1. तहसील भीम :

ठिकरियाबास कलां

1. तहसील देवगढ़ :

1. दौलपुरा
2. मदारिया
3. हीरा का खेडा
4. मालियों का बास
5. हाडवा का बास
6. कालेसरिया
7. नीमझर
8. अर्जुनगढ़
9. कांकरोद
10. सूरतपुरा
11. लक्ष्मीपुरा
12. आजना
13. कुआथल

———

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न सं० 513 की सूची)

क्रम सं०	योजना का नाम	मीटर कनेक्शन की दरें प्रति हजार लीटर की (रु० में)		फ्लेट रेट कनेक्शन की दरें (रु० में)		मीटर कनेक्शन पर कम से कम दरें (रु० में)		विशेष विवरण
		समयावधि में जमा कराने पर	समयावधि के पश्चात् जमा कराने पर	समयावधि में जमा कराने पर	समयावधि के पश्चात् जमा कराने पर	समयावधि में जमा कराने पर	समयावधि के पश्चात् जमा कराने पर	
1.	पाली	0.56	0.70	7.70	9.60	7.70	9.60	सरकारी मीटर लगाने
2.	सोजत	0.56	0.70	7.70	9.60	7.70	9.60	पर मीटर रेन्ट अलग
3.	सुमेरपुर	0.56	0.70	7.70	9.60	7.70	9.60	से लिया जाता है।
4.	बाली	0.52	0.65	7.70	9.60	7.70	9.60	जिसकी दरें निम्न
5.	सादड़ी	0.52	0.65	7.70	9.60	7.70	9.60	प्रकार हैं। प्रतिमाह
6.	जोधपुर	0.52	0.65	7.70	9.60	7.70	9.60	1/2" इन्च 1.25
7.	फलौदी	0.52	0.65	7.70	9.60	7.70	9.60	3/4" 2.25
8.	पीपाड़ शहर	0.60	0.75	7.70	9.60	7.70	9.60	1" 2.50

(130)

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न सं. 519 की सूची)

श्री यादव हरिजन छात्रावास सिवाना में गत 5 वर्षों में प्रवेश किये गये छात्रों का वर्षवार ब्यौरा वर्ष 1972-73

क्रमांक	नाम छात्र	पिता का नाम	कक्षा
1	2	3	4
1.	पालाराम	श्री भगुलाराम	11
2.	रामदेव प्रसाद	,, कस्तूराम	,,
3.	किशोरीलाल	,, गोदाराम	,,
4.	रामसिंह	,, महादाराम	,,
5.	जगदीश प्रसाद	,, टेकचन्द्र	10
6.	विश्वेश्वरलाल	,, खुबाराम	,,
7.	हरदेवसिंह	,, जुगलाल सिंह	,,
8.	अमरसिंह	,, प्रह्लादराम	,,
9.	गिरधारीलाल	,, मालाराम	,,
10.	मनीराम	,, सुगराराम	,,
11.	खगराम	,, मांगीलाल	,,
12.	प्रभुराम	,, मनसाराम	,,
13.	पोकरमल	,, इन्द्राजसिंह	,,
14.	मडिसालसिंह	,, रावतसिंह	,,
15.	रोहिताश्व	,, हरलाल	,,
16.	भगडीराम	,, बुंदराम	,,
17.	बंशीधर	,, गुरुदयालसिंह	,,
18.	जयलालसिंह	,, गोकुलराम	,,
19.	बहादुरसिंह	,, मंगलचन्द	9
20.	धर्मपाल	,, कुरंडाराम	,,
21,	शिवलाल	,, लीलाराम	,,
22,	नरंगलाल	,, हनुमान प्रसाद	,,
23.	प्रभुदयाल	,, देवकरणराम	,,
24.	ओमप्रकाश	,, मोहरसिंह	,,
25.	महादेव प्रसाद	,, शंभुदयाल	,,
26,	ईश्वरसिंह	,, मूलाराम	,,
27.	रामेश्वरलाल	,, जोसीराम	,,

Page No 131

(131)

1	2	3	4
28.	शेरसिंह	श्री घीसाराम	9
29.	ख्यालीराम	,, प्रह्लादराम	,,
30.	भरतसिंह	,, चन्दगीराम	,,
31.	रोहिताश्व	,, मालाराम	,,
32.	जगमालसिंह	,, बीरूराम	,,
33.	धर्मपाल	,, महाधाराम	8
34.	किशोरीलाल	,, बीरबलाराम	,,
35.	दयानन्द	,, शंकरराम	,,
36.	सुभाषचन्द्र	,, तेजाराम	,,
37.	हरिराम	,, कजोडाराम	7
38.	दयानन्द	,, नारायणराम	8
39.	छोटूराम	,, जयनारायण	7
40.	हरिसिंह	,, रतीराम	,,
41.	मूलचन्द	,, भैरूराम	,,
42.	हरिसिंह	,, गुटाराम	,,
43.	धर्मपाल	,, लेखुराम	,,
44.	मातुराम	,, भूराराम	,,
45	राधेश्याम	,, मूलचन्द	,,
46.	रामसिंह	,, महादाराम	,,
47.	जयनारायण	,, मालीराम	7
48.	बिहारीलाल	,, नन्दराम	6
49.	शेरसिंह	,, हनुमान प्रसाद	,,
50.	हरिसिंह	,, हनुमाम प्रसाद	,,

श्री यादव हरिजन छात्रावास, सिंघाना सत्र 1973-74 में छात्रों की सूची:-

क्रमांक	नाम छात्र	पिता का नाम	कक्षा
1	2	3	4
1.	जगदीश प्रसाद	श्री टेकचन्द	11
2.	प्रभुराम	,, मन्साराम	,,
3.	भगडीराम	,, बुद्धराम	,,
4.	हवासिंह	,, बिसनसिंह	,,

1	2	3	4
5.	सुलतानसिंह	श्री पीरूराम	11
6.	पोकरमल	,, इन्द्राजसिंह	,,
7.	भीखाराम	,, सुरजाराम	,,
8.	धर्मपालसिंह	,, जगमालसिंह	,,
9.	शेरसिंह	,, पीसाराम	10
10.	बहादुरसिंह	,, मंगलचन्द	,,
11.	ईश्वरसिंह	,, मूलाराम	,,
12.	बंशीधर	,, गुरुदयाल	,,
13.	महावीर प्रसाद	,, शंभुदयाल	,,
14.	ओमप्रकाश	,, मोहरसिंह	,,
15.	हिम्मतसिंह	,, लीलाराम	,,
16.	कृपानन्द	,, मनभरराम	,,
17.	सुभाषचन्द्र	,, तेजाराम	9
18.	शिवलाल	,, लीलाराम	,,
19.	धर्मपाल	,, पूरणमल	,,
20.	प्रदीपकुमार	,, बुद्धराज	,,
21.	हनुमानप्रसाद	,, रामेश्वरदयाल	,,
22.	रामावतार	,, गुरुदयाल	,,
23.	उदमीराम	,, बुद्धराम	,,
24.	कन्हैयालाल	,, रतीराम	,,
25.	सुन्दरलाल	,, रामलाल	,,
26.	सीराराम	,, छोटूराम	,,
27.	पितराम	,, बजरंगलाल	,,
28.	मंगजाराम	,, प्रहलादराम	,,
29.	देवकरण	,, गोरछराम	,,
30.	महेन्द्रसिंह	,, पाहुधनराम	,,
31.	महताबसिंह	,, बालाराम	,,
32.	इन्द्राजसिंह	,, मालाराम	,,
33.	महावीरप्रसाद	,, सुलतानसिंह	,,
34.	मुंगाराम	,, लादुराम	,,
35.	मासुराम	,, मुराराम	8
36.	हरिराम	,, कजोड़ाराम	,,
37.	छोटूराम	,, जयनारायण	,,
38.	रामसिंह	,, महादाराम	,,
39.	जगदीशप्रसाद	,, हरफूल	,,

1	2	3	4
40.	गुरुदयाल	श्री जयनारायण	8
41.	मगनसिंह	,, फूलाराम	,,
42.	बाबूलाल	,, दुरजाराम	,,
43.	जगदीशप्रसाद	,, सुलतानसिंह	,,
44.	मूलचन्द	,, भेरूराम	,,
45.	बिहारीलाल	,, नन्दराम	7
46.	शेरसिंह	,, हनुमानप्रसाद	,,
47.	मेहताबसिंह	,, भोखाराम	,,
48.	बलबीरसिंह	,, भगवानाराम	6
49.	महेन्द्रसिंह	,, घुडाराम	,,
50.	घीसाराम	,, सोहनलाल	,,

श्री यादव हरिजन छात्रावास, सिघाना सत्र 1974-75 में छात्रों की सूची

क्रमांक	नाम छात्र	पिता का नाम	कक्षा
1	2	3	4
1.	शेरसिंह	श्री घीसाराम	11
2.	ईश्वरसिंह	,, मूलाराम	,,
3.	कृपानन्द	,, मनभरराम	,,
4.	विश्वेश्वरलाल	,, खूबाराम	,,
5.	बंशीधर	,, गुरूदयाल	,,
6.	रामेश्वरलाल	,, जोखीराम	,,
7.	भमीलाल	,, बुद्धराम	,,
8.	होशियारसिंह	,, सांचलराम	,,
9.	बहादुरसिंह	,, मंगलचन्द	,,
10.	घासीराम	,, महादाराम	,,
11.	धर्मपालसिंह	,, पूरणमल	10
12.	प्रदीपकुमार	,, बुद्धराम	,,
13.	हनुमानप्रसाद	,, रामेश्वरदयाल	,,
14.	रामावतार	,, गुरूदयाल	,,
15.	उदमीराम	,, बुद्धाराम	,,
16.	सुन्दरलाल	,, रामलाल	,,

(134)

1	2	3	4
17.	घीसाराम	श्री छोटूराम	10
18.	पितराम	,, बजरंगलाल	,,
19.	इन्द्राजसिंह	,, मालाराम	,,
20.	मेहतावसिंह	,, पालाराम	,,
21.	मूंगाराम	,, लादूराम	,,
22.	धर्मपाल	,, महादाराम	,,
23.	कन्हैयालाल	,, रत्तीराम	,,
24.	प्रकाशचन्द्र	,, चन्दाराम	,,
25.	मातुराम	,, भूराराम	9
26.	हीराराम	,, कजोड़राम	,,
27.	छोटराम	,, जयनारायण	,,
28.	रामसिंह	,, महादाराम	,,
29.	बाबूलाल	,, बुरखाराम	,,
30.	मगनसिंह	,, फूलाराम	,,
31.	मूलचन्द	,, मैंरूराम	,,
32.	शेरसिंह	,, थावरमल	,,
33.	शेरसिंह	,, ठाकरसिंह	,,
34.	हरीराम	,, मातादीन	,,
35.	कैलाशचन्द्र	,, परसराम	,,
36.	प्रसादीलाल	,, मालाराम	,,
37.	लक्ष्मीनारायण	,, मूलचन्द	,,
38.	महावीर प्रसाद	,, शिवनारायण	,,
39.	रामेश्वरलाल	,, मथुराराम	,,
40.	रोहिताश्व	,, टिढाराम	,,
41.	गुरुदयाल	,, रूपचन्द	,,
42.	फूलचन्द	,, जयलाराम	,,
43.	दीपचन्द	,, सुण्ठाराम	,,
44.	धर्मपाल	,, लेखूराम	,,
45.	जगदीश प्रसाद	,, सुलतानसिंह	,,
46.	हरीराम	,, रत्तीराम	,,
47.	ओमप्रकाश	,, प्रभातीलाल	9
48.	बिहारीलाल	,, नन्दराम	8
49.	नागरमल	,, नाथुराम	7
50.	महेन्द्रसिंह	,, घूडाराम	,,

श्री यादव हरिजन छात्रावास के छात्रों को सत्र 1975–76 की सूची:—

क्रमांक	नाम छात्र	पिता का नाम	कक्षा
1	2	3	4
1.	हिम्मतसिंह	श्री लीलाराम	11
2.	सुन्दरलाल	„ रामलाल	„
3.	धर्मपाल	„ पूरणमल	„
4.	मदनलाल	„ सुरजाराम	„
5.	सुभाषचन्द्र	„ छोटूराम	„
6.	बजरंगलाल	„ किशनाराम	„
7.	धर्मपालसिंह	„ महादाराम	„
8.	किशोरीलाल	„ बीरबल	„
9.	प्रसादीलाल	„ मालाराम	10
10.	रोहिताश्वकुमार	„ टीकाराम	„
11.	मातुराम	„ भूराराम	„
12.	लक्ष्मीचन्द	„ मूलचन्द	„
13.	मोहनलाल	„ मालाराम	„
14.	माहीराम	„ प्रेमाराम	„
15.	जगदीशप्रसाद	„ सुलतानसिंह	„
16.	रामसिंह	„ जयकरण	„
17.	रामसिंह	„ रतीराम	„
18.	छोटूराम	„ जयनारायण	„
19.	मूलचन्द	„ मेहराम	„
20.	शेरसिंह	„ ठाकुरसिंह	„
21.	धर्मपाल	„ केशरदास	„
22.	उदयसिंह	„ जयदयाल	9
23.	समन्दरसिंह	„ सुलतानसिंह	„
24.	दीपचन्द	„ रावतराम	„
25.	रोहिताश्वकुमार	„ रामस्वरूप	„
26.	हीरालाल	„ मूलाराम	„
27.	महेन्द्रसिंह	„ श्योराम	„
28.	धर्मपाल	„ लेखूराम	„
29.	प्रभुदयाल	„ बनसीराम	„
30.	रामसिंह	„ आसाराम	„

1	2	3	4
31.	जगदीशप्रसाद	श्री प्रभातराम	10
32.	गुरुदयाल	,, प्रहलादसिंह	,,
33.	शिवराम	,, मामचन्द	,,
34.	रामस्वरूप	,, सोहनलाल	,,
35.	राधेश्याम	,, बृजलाल	,,
36.	रामस्वरूप	,, दानाराम	,,
37.	कालूराम	,, भुथराम	7
38.	महतावसिंह	,, माताराम	6
39.	रतीराम	,, चुनाराम	,,
40.	गुगनराम	,, लक्ष्मणराम	,,
41.	मनोहरलाल	,, हरदेवाराम	7
42.	घीसाराम	,, सोहनलाल	,,
43.	ओमप्रकाश	,, भगवानाराम	,,
44.	मदनलाल	,, कुरडाराम	,,
45.	जगमालसिंह	,, कुरडाराम	6
46.	श्रीचन्द	,, नाथराम	,,
47.	महावीरप्रसाद	,, मादुराम	,,
48.	रामावतार	,, डूंगाराम	,,
49.	भवानीसिंह	,, मालाराम	,,
50.	रुढाराम	,, गिद्धाराम	,,

यादव हरिजन छात्रावास, सिंघाना सत्र 1976-77 की छात्र प्रवेश सूची

क्रमांक	नाम छात्र	पिता का नाम	कक्षा
1	2	3	4
1.	प्रसादीलाल	श्री मालाराम	11
2.	महीराम	,, प्रभाराम	,,
3.	रामसिंह	,, रतिराम	,,
4.	रामसिंह	,, जयकरण	,,
5.	उदमीराम	,, बूलाराम	,,
6.	समदरसिंह	,, सुलतानाराम	10
7.	दीपचन्द	, रावतराम	,,
8.	रोहिताश्व	,, रामस्वरूप	,,

1	2	3	4
9.	हीरालाल	श्री मूलाराम	10
10.	महेन्द्रसिंह	,, श्योराम	,,
11.	धर्मपाल	,, लीखूराम	,,
12.	गुरुदयाल	,, प्रहलादसिंह	,,
13.	राधेश्याम	,, बृजलाल	,,
14.	ओमप्रकाश	,, मालाराम	,,
15.	कैलाशचन्द	,, परसराम	,,
16.	सरदाराम	,, भगवानाराम	,,
17.	बुद्धाराम	,, मोडूराम	9
18.	रामसिंह	,, गुरुदयालसिंह	,,
19.	इन्द्राजसिंह	,, लेखाराम	,,
20.	रामकुमार	,, श्योराम	,,
21.	महेन्द्रसिंह	,, धुडाराम	8
22.	महेन्द्रसिंह	,, होशियारसिंह	6
23.	मनीराम	,, सांवलराम	10
24.	मातुराम	,, रामकरण	9
25.	जगदीशप्रसाद	,, बुद्धाराम	10
26.	रामअवतार	,, गुरुदयाल	11
27.	ओमप्रकाश	,, मोहरसिंह	,,
28.	भोगराज	,, मुरलीधर	7
29.	गुगनराम	,, लक्ष्मणराम	,,
30.	मातुराम	,, भूराराम	10
31.	रघुवीरसिंह	,, हरजीराम	9
32.	मामराज	,, तोताराम	,,
33.	मदनलाल	,, बजरंगलाल	,,
34.	सुरेन्द्रकुमार	,, बारसीराम	,,
35.	ओमप्रकाश	,, सावलराम	,,
36.	रामस्वरूप	,, सोहनलाल	,,
37.	मन्दरूप	,, मामचन्द	,,
38.	अमीचन्द	,, देवकरण	,,
39.	शीसराम	,, चन्दगीराम	,,
40.	रामस्वरूप	,, भोलाराम	,,
41.	मनोहरलाल	,, हरदेवाराम	8
42.	घीसाराम	,, सोहनलाल	,,

1	2	3	4
43.	ओमप्रकाश	श्री भैरुलाल	7
44.	मदनलाल	,, कुरडाराम	8
45.	महावीरप्रसाद	,, माडूराम	7
46.	भवानीसिंह	,, मालाराम	,,
47.	रूडाराम	,, गोदाराम	,,
48.	रोहिताश्व	,, मूलचन्द	6
49.	बीरबहादुर	,, भूराराम	,,
50.	प्रभुदयाल	,, मनीराम	,,

कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सीकर द्वारा श्री यादव हरिजन छात्रावास, सिंघाना की वर्ष 72–73 से 76–77 तक 5 वर्षों में स्वीकृत अनुदान राशि का ब्योरा:–

क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत राशि
1.	1972–73	31820/–
2.	1973–74	29000/–
3.	1974–75	29700/–
4.	1975–76	28500/–
5.	1976–77	38150/–

— —

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 526 का विवरण)

1. तकनीकी विभागों में पूर्ण रूप से हिन्दी में काम करने के लिये तथा तकनीकी परीक्षाओं तथा शिक्षण का माध्यम हिन्दी हो - इसके लिए समयबद्ध योजना के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

2. जिन राजकीय विभागों में अब भी किन्हीं कारणों से अंग्रेजी का प्रयोग होता है - वहां विषय विशेष एवं कार्य विशेष के लिये हिन्दी की अनिवार्यता के आदेश जारी किये जायेंगे।

3. प्रशासन में हिन्दी के अनिवार्य प्रयोग की दिशा में आधारभूत नियम ग्रंथों के अधिकृत हिन्दी अनुवाद हो चुके हैं - परन्तु उन्हें अद्यावधि करके प्रकाशित करने का काम वाकी है। इस दिशा में आवश्यक प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह प्रयत्न भी किया जा रहा है कि भविष्य में जो नियमादि प्रसारित किये जायें वे मूलतः हिन्दी में ही हों।

4. राजभाषा सम्बन्धी आदेशों के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक विभाग में व राज्य स्तर पर क्रियान्वयन समितियां गठित किये जाने पर भी विचार चल रहा है।

5. अधिकारियों और कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाये उसका माध्यम हिन्दी हो तथा हिन्दी में राज काम करने का प्रशिक्षण भी प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ दिया जाये इसकी व्यवस्था की जा रही है।

6. सरकारी तथा असरकारी संस्थानों, निगमों में हिन्दी प्रयोग हेतु व्यवस्थायें करवाई जा रही हैं।

7. विभिन्न विभागों के प्रयोजनार्थ उनसे सम्बन्धित हिन्दी शब्दावलियां तथा प्रारूप उपलब्ध करवाये जायेंगे।

8. समस्त विभागों में हिन्दी शीघ्र लिपिकों की मांग की पूर्ति।

9. विधि एवं न्याय क्षेत्र में सम्पूर्ण हिन्दी प्रयोग हेतु प्रयास।

10. प्रदेश की शेष रही समस्त अंग्रेजी असांविदीय सामग्री का हिन्दी अनुवाद।

11. राजभाषा हिन्दी का परिष्कार करते हुए सम्पर्क भाषा के रूप में उसे विकसित कर सक्षम एव समृद्ध बनाना।

12. शोध सन्दर्भ पुस्तकालय का विस्तार।

(140)

13. गैर सरकारी क्षेत्र में हिन्दी प्रयोग हेतु रुचि जागृत कर जनमानस तैयार करवाना।

14. राजकीय विभागों तथा अर्द्ध सरकारी संस्थानों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुप्रतिष्ठित करने के लिए प्रतियोगिता पुरस्कार तथा प्रोत्साहन योजनायें चलाना।

15. राजकीय सेवाओं में भर्ती के पूर्व अथवा बाद में राजकाजी हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था तथा हिन्दी टंकण परीक्षा आदि का आयोजन।

16. राजकीय विभागों से योजनाबद्ध कार्यक्रम के रूप में अंग्रेजी के टंकण यंत्र सरेण्डर करवाकर अधिकाधिक हिन्दी टंकण यंत्र उपलब्ध करना।

17. अन्य हिन्दी भाषी राज्यों तथा केन्द्र सरकार की हिन्दी योजनाओं के साथ तथा तद्नुरूप आवश्यक समन्वय कार्यक्रमों को राजस्थान प्रदेश में चालू करना।

परिशिष्ट—5

[समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर]

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सी. ए. एस. डाक्टरों का कन्फर्मेशन का मामला

527. श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में सी. ए. एस. डाक्टरों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जून, 73 में किया गया था, किन्तु करीब पांच वर्ष पूर्ण होने पर भी उन्हें अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया जब कि स्थान रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक कन्फर्म कर दिया जायगा ?

उत्तर

जी हां। वर्ष 1973 में चयनित 605 सी.ए.एस. डाक्टरों में से 242 डाक्टरों को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10-8-77 को स्थाई किया जा चुका है। शेष डाक्टरों को स्थाई पदों के विरुद्ध स्थाई करने की कार्यवाही की जारी है।

राज्य में वनों के विकास हेतु योजनाएं

528. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वनों के विकास हेतु राज्य सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील नादोती में दलपुरा एवं गुढ़ाचन्द जी वाले पहाडों पर क्लोजर बनाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें एवं उपरोक्त क्लोजर का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में वनों के विकास संबंधी प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं :—

1. परिभाषित वनों का पुनर्वास एवं वन सुरक्षा।
2. भू-संरक्षण क्षेत्र (पहाड़ी क्षेत्र एवं रेवाइन्स)।
3. विश्व खाद्य कार्यक्रम।
4. सूखा संभावित क्षेत्र का विकास।

Page No 142

(142)

(वन मन्त्री)

5. राजस्थान नहर परियोजना।
6. चम्बल क्षेत्र विकास।
7. आदिवासी क्षेत्र विकास।
8. नदी घाटी योजना (केन्द्रीय प्रवर्तक)
9. पठार स्थिरीकरण (,, ,,)
10. परिभाषित वनों का पुनर्रोपण (केन्द्रीय प्रवर्तक)
11. बंजर एवं पंचायत क्षेत्रों में मिश्रित वन (,,)
12. हवाई पट्टियों पर वृक्षारोपण (केन्द्रीय प्रवर्तक)
13. मरुस्थल विकास (केन्द्रीय प्रवर्तक)

(2) जी नहीं।

ग्राम वाली में आयुर्वेद अस्पताल

529. श्री सुरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति भीनमाल के ग्राम वाली में राज्य-सरकार द्वारा आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा की गई थी ? अगर हां, तो अब तक वहां वैद्य की नियुक्ति न होने के क्या कारण है ?

(2) उक्त गांव में वैद्य की नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां किन्तु दिनांक 27-9-77 के आदेश द्वारा औषधालय खोलने की स्वीकृति निरस्त कर दी गयी। इसी कारण वैद्य की नियुक्ति नहीं की गयी।

(2) अब औषधालय खोलने की स्वीकृति नहीं होने से वैद्य की नियुक्ति अब नहीं की जा सकती।

कुशलगढ़ नगर में चोरियों के मामले

530. श्री जिथिंग (कुशलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में कुशलगढ़ नगर के स्वर्णकार ब्रदर्स की दुकान से नकद 23000/– रुपयों की चोरी एवं भगवानलाल लखावत के यहां

(श्री जिंधिग)

से पौने दो लाख के जेवरात की चोरी हुई है ? यदि हां, तो कब-कब और पुलिस में रपट कब दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि भगवानलाल लखावत के यहां से चोरी में गये जेवरात आदिवासियों एव अन्य लोगों के गिरवी रखे हुए थे ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों का कितना-कितना चांदी सोना गिरवी रखा हुआ था ? प्रति व्यक्ति के वजन सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या पुलिस उक्त मामले की तफतीश कर रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या तथ्य सामने आये ?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में 23 हजार की तफतीश में पुलिस फेल रही ? ठीक उसी तरह बाद वाली चोरी में भी ढिलाई बरती जा रही है ? क्या राज्य सरकार इस मामले को सी. बी. आई. को सुपुर्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मैसर्स स्वर्णकार ब्रदर्स कुशलगढ़ की दुकान से दिनांक 9 जुलाई से 11 जुलाई 1977 के बीच 23,000/- रुपये नकद चोरी जाने की रिपोर्ट दिनांक 21-7-77 को दर्ज करवाई गई। श्री भगवानलाल लखावत की जैन मन्दिर से दिनांक 12/13 फरवरी 1978 की रात्रि को घटित 90,000/- रुपये के जेवरात आदि की चोरी की घटना की रिपोर्ट दिनांक 13 फरवरी 78 को पुलिस थाना कुशलगढ़ पर दर्ज करवाई गई।

(2) जी हां। श्री भगवानलाल लखावत के यहां जिन-जिन आदिवासियों के गिरवी रखे हुए गहने चोरी गये उनकी सूची संलग्न है।

(3) जी हां। जैन दिगम्बर मंदिर में हुई चोरी की घटना अब तक की तफतीश से संदेहात्मक बनी हुई है। सम्पूर्ण तथ्यों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(4) 23 हजार की चोरी में माल मुजिमान की बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा काफी प्रयास करने पर भी कोई सुराग न मिलने पर एफ० आर० अदम पता लगाई गई है। जैन मंदिर की चोरी से सम्बन्धित अपराध की तफतीश अब सी०आई०डी० अपराध शाखा राज्य सरकार के आदेशानुसार कर रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(144)

विधायक निवास में डाकू की गिरफ्तारी

531. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व विधायक रामकुमार के पास से विधायक निवास में श्री जनमेघ डाकू को एस. पी. जयपुर ने रात्रि को 2 बजे पकड़ा था ?

(2) क्या यह सही है कि श्री जनमेघ डाकू को गंगापुर सिविल कोर्ट से 3 वर्ष की सजा हो चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा में भूतपूर्व मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी ने यह आश्वासन दिया था कि डाकुओं को संरक्षण देने वाले के खिलाफ जांच की जायेगी तथा सख्त कार्यवाही की जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ? इसका क्या कारण रहा है ?

(5) क्या वर्तमान सरकार ऐसे गलत संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की सोचती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 3-4-75 को मध्य रात्रि के बाद डाकू जनमेघ को विधायक निवास कमरा नं० 75 श्री रामकुमार विधायक के निवास पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(2) जी नहीं। जनमेघ डाकू को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट सैशन जज गंगापुर न्यायालय से मुकदमा नं० 15/75 थाना मन्डरायल के सिलसिले में दिनांक 11-5-77 को 4 वर्ष की सख्त कैद हुई थी।

(3) जी हां।

(4) भू०पू० सरकार द्वारा इस घटना की जाँच डी०आई०जी० सी०आई०डी० द्वारा करवाई गई थी।

(5) डी०आई०जी०, सी०आई०डी० के नतीजे से श्री रामकुमार भू० पू० विधायक का इस घटना में हाथ होना नहीं पाया गया। अत: श्री रामकुमार के खिलाफ इस घटना के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को विशेष वेतन हेतु आयोग

532. श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1973 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष वेतन हेतु आयोग बैठाया गया था ?

(2) यदि हां, तो आयोग ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) आयोग ने किन-किन कर्मचारियों को विशेष वेतन देने की सिफारिश की है और कितनी-कितनी राशि देय है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि बी. सी. जी. कर्मचारियों को दैनिक यात्रा भत्ता दिया जा रहा है ? अगर हां, तो कितना ?

(5) क्या बी. सी. जी. कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। एक बोर्ड का गठन किया गया था।

(2) बोर्ड की सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। अभी बोर्ड की रिपोर्ट एवं सिफारिशों पर विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है।

(3) सिफारिशें सदन की मेज पर रख दी गई है। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां। बी०सी०जी० कर्मचारियों को दैनिक यात्रा भत्ता राजस्थान यात्रा भत्ता नियम के अनुसार निर्धारित वेतन श्रृंखला की दर से दिया जाता है।

(5) जी हां। केवल बी.सी.जी. तकनिशियनों के दैनिक भत्ते को कार्य सम्पन्न करने की नीति से प्रशासनिक आदेश द्वारा जोड़ा गया है।

(146)

RECOMMENDATIONS OF THE BOARD CONSTITUTED VIDE GOVERNMENT ORDER No. Dated 23-4-73 TO EXAMINE THE DEPARTMENTS IN WHICH HEALTH HAZARDS CONTINUE AND DETAILS OF STAFF WHO ARE ENTITLED FOR THE GRANT OF SPECIAL PAY.

1. Para Medical staff including clerks and Class IV working in Department of Anatomy and Pharmacology of the Medical Colleges
2. Injector Dead body
3. Compounders working in Pharmaceutical Laboratory and Animal House Keeper.
4. Mental Hospital Lab.
5. Staff woking in the or attached to the T. B. Clinics and T. B. Hospitals and T. B. Demonstration Centres:—
   - (a) TB Health Visitor.
   - (b) Non Medical Team Leader.
   - (e) Social Worker.
   - (d) Public Health Nurses.
   - (e) B. C. G. Technician,
   - (f) Physiotherapist.
6. Para Medical staff working in Government Analyst Lab. Rajasthan.
7. All those categories of staff in the CPA Lab. Rajasthan who were being paid special pay till objected by AG in 1972.
8. Junior Analytical Assistant senior Analytical Assistant in CPA Lab.
9. Laboratory Attendants and Lab. Incharge posted in Medical Colleges.

(147)

10. Literate Attendants working in Laboratory of various departments of Medical Colleges and other Laboratories like CPA Lab. etc. and are actually assisting the Tech.

11. Curator in any Department of Medical College.

12. Assistant Chemist in any Department of the Medical Colleges.

13. Class IV servants of the Hospitals who assist in post mortem in the Department of Forensic Medicine.

14. Technicians and Senior Technicians working in Cholera Eradication Programme dealing with diagnostic investigations of Cholera patients.

15. Class IV in Cholera investigation Lab.

———

परिशिष्ट—6

(तारांकित प्रश्न संख्या 504 की सूची)

जोधपुर विश्वविद्यालय में जुलाई, 1977 से अब तक उपकुलपति अथवा कार्यवाहक उपकुलपति के पद पर रहे व्यक्तियों की सूची.

क्र. स.	व्यक्तियों का नाम	समयावधि
1	2	3
1.	श्री एस० चक्रवर्ती, कार्यवाहक उपकुलपति	20-7-77 से 28-7-1977 मध्याह्न
2.	श्री बी० एम० भाटिया, उपकुलपति	28-7-77 से 12-12-1977 मध्याह्न
3.	श्री एस० सी० गोयल, कार्यवाहक उपकुलपति (श्री बी०एम० भाटिया के अवकाश की अवधि में)	3-12-1977 से 12-12-1977
4.	श्री एस० चक्रवर्ती, कार्यवाहक उपकुलपति	13-12-1977 से 18-12-1977
5.	श्री एम० एम० कोठारी, उपकुलपति	19-12-1977 से 20-2-1978
6.	श्री आर० एस० कपूर उपकुलपति।	25-2-1978 से वर्तमान।

सूची

क्र. सं.	नाम पद	त्याग-पत्र अथवा पद छोड़ने का कारण
1	2	3
1.	श्री एस० चक्रवर्ती, कार्यवाहक उपकुलपति	डा० बी० एम० भाटिया की उपकुलपति के पद पर नियुक्ति
2.	श्री बी० एम० भाटिया, उपकुलपति	विश्वविद्यालय की विषम स्थिति एवं स्वास्थ्य का दौर्बल्य

149

1	3	3
3.	श्री एस० सी० गोयल कार्यवाहक उपकुलपति (श्री बी० एम० भाटिया की अवकाश अवधि में)	उनके किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण
4.	श्री एस. चक्रवर्ती, कार्यवाहक उपकुलपति	अपने कार्य के अतिरिक्त उपकुलपति के कार्य करने में कठिनाई।
5.	श्री एन० एम० कोठारी, उपकुलपति	उपकुलपति के कार्यों को निर्वहन करने में असमर्थता।

परिशिष्ट—7

(तारांकित प्रश्न सं० 506 का ब्योरा)

क्रम सं०	सन्	अपराध पंजीबद्ध	चालान	चालान पेश करने से पूर्व विभागीय जांच	अन्तिम प्रतिवेदन	विचाराधीन अपराध
1.	1973	18	5	1	10	2
2.	1974	16	8	1	6	1
3.	1975	12	7	1	2	2
4.	1976	7	2	—	4	1
5.	1977	8	2	1	3	2
योग		61	24	4	25	8

नोट:— सन् 1978 में दिनांक 20-3-78 तक कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है ।

परिशिष्ट—8

(तारांकित प्रश्न सं० 509 की सूची)

क्रम सं०	नाम	समय जिसमें कर्मचारी पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रहा से	तक
1.	श्री श्रीचन्दलाल	1-8-74	23-8-74
2.	,, मधुकर बांगीड़	1-8-74	30-9-74
3.	,, पी० एस० गर्ग	1-8-74	10-10-74
4.	,, के० एस० गगोरिया	1-8-74	18-10-74
5.	,, एस० पी० पालीवाल	1-8-74	10-10-74
6.	,, बी० पी० विनायक	14-8-74	10-10-74
7.	,, जे० पी० गुप्ता	1-8-74	19-10-74
8.	,, के० एन० पारीक	1-8-74	10-10-74
9.	,, प्रहलादसिंह	1-8-74	10-10-74
10.	,, सीतलप्रसाद शर्मा	1-8-74	10-10-74
11.	,, एम० आर० चौधरी	1-8-74	10-10-74
12.	,, जे० पी० कुमावत	1-8-74	10-10-74
13.	,, पी० के० जैन	1-8-74	10-10-74
14.	,, ओ० पी० कालरा	1-8-74	10-10-74
15.	,, आर० वासुदेवन	1-8-74	10-10-74
16.	,, व्याय जाज	1-8-74	17-9-74
17.	,, शीतलप्रसाद गुप्ता	1-8-74	30-9-74
18.	,, दरबारीलाल	1-8-74	17-9-74
19.	,, जे० पी० शर्मा	1-8-74	17-9-74
20.	,, ए० सी० गुप्ता	1-8-74	17-9-74
21.	,, सम्पतराज सिंघल	1-8-74	17-9-74
22.	,, एस० के० बीसा	1-8-74	17-9-74
23.	,, आर० सी० जैन	1-8-74	10-10-74
24.	,, चरणलाल गुप्ता	1-8-74	17-9-74

———

(152)

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न सं० 230 की सूची)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

प्रश्न सं० 2 के सन्दर्भ में आगार वाइज वाहनों की सूची

क.स.	आगार का नाम	वाहनों की संख्या	आन रोड वाहनों की संख्या
1	2	3	4
1.	अलवर	13	56
2.	भरतपुर	15	65
3.	हिण्डौन	9	29
4.	नगर वाहन सेवा, जयपुर	9	68
5.	जयपुर	20	93+57
6.	सीकर	9	51
7.	खेतड़ी	20	22
8.	झुन्झुनू	9	49
9.	कोटपूतली	5	35
10.	अजमेर	11	74
11.	भीलवाड़ा	8	52
12.	ब्यावर	—	36
13.	कोटा	12	60
14.	बूंदी	8	56
15.	झालावाड़	9	23
16.	टोंक	3	45
17.	जोधपुर	9	75
18.	सिरोही	6	39
19.	जालौर	2	44
20.	आबूरोड	4	36
21.	फलौदी	3	25
22.	बाड़मेर	3	31

Page No 153

153

1	2	3	4
23.	उदयपुर	16	73
24.	डूंगरपुर	1	40
25.	बांसवाड़ा	6	40
26.	चित्तौड़गढ़	8	36
27.	बीकानेर	9	71
28.	गंगानगर	6	62
29.	हनुमानगढ़	16	47
30.	सरदारशहर	7	38
	योग….	245	1538

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

कोटपूतली आगार की वाहन स्थिति

क्र. स.	रजिस्ट्रेशन नं०		फिटनेस स्वीकृत दिनांक	फिटनेस की वैधता दि०
1	2	3	4	5
1.	आर०एस०एल०	5433	फिटनेस हेतु आवेदन किया हुआ	
2.	आर०आर०एल०	856	”	
3.	आर०एस०एम०	419	”	
4.	”	3936	3–8–72	24–7–78
5.	”	3937	3–8–72	21–7–78
6.	”	7714	27–8–73	24–4–78
7.	”	7723	30–[illegible]–73	28–4–78
8.	”	7730	27–8–73	—
9.	”	7710	फिटनेस हेतु आवेदन किया हुआ	
10.	”	8117	27–8–73	28–4–78
11.	”	9212	31–10–73	24–4–78

Page No 154

(154)

1	2	3	4	5
12.	आर०एस०एम०	9734	10-2-73	21-7-78
13.	,,	8105	27-7-73	21-7-78
14.	,	7704	फिटनेस हेतु ग्रावेदन किया हुग्रा	
15.	,,	7449	20-6-73	24-4-78
16.	ग्रार०एम०एम०	1063	12-4-74	28-7-78
17.	,,	1084	27-4-74	19-7-78
18.	,,	3949	फिटनेस हेतु ग्रावेदन किया हुआ है	
19.	,,	4214	,,	
20.	,,	5452	13-2-75	19-7-78
21.	,	1479	फिटनेस हेतु ग्रावेदन किया हुग्रा है	
22.	,,	390	5-2-74	20-7-78
23.	ग्रार०एस०जी०	5281	7-1-77	17-7-79
24.	,,	6284	7-1-77	17-1-79
25.	,,	6012	24-2-77	3-3-79
26	,,	6013	24-2-77	3-3-79
27.	,,	6026	24-2-77	3-3-79
28.	,,	5609	1-2-77	7-2-79
29.	,,	6216	8-3-77	7-3-79
30.	,,	6218	8-3-77	7-3-79
31.	,,	6221	8-3-77	7-3-79
32.	,,	6309	8-3-77	7-3-79
33.	ग्रार०एम०एम०	3953	फिटनेस हेतु ग्रावेदन किया हुग्रा है	
34.	ग्रार०एस०जी०	7491	12-5-77	11-5-79
35.	,,	7483	12-5-77	11-5-79
	Vehicle of Road		Applied for	
36.		1496	,,	
37.		7704	,,	
38.		7734	,,	
39.		9734	,,	
40.		1084	,,	

———

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न सं० 235 की सूची)

क्रम सं०	नाम व पद अधिकारी
1.	श्री भीमसिंह, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.	,, जी० रामचन्द्र, निदेशक, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, जयपुर।
3.	,, मुन्नालाल गोयल, निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4.	,, आर० एस० कुमट, भूतपूर्व जिलाधीश, जयपुर।
5.	,, गजेन्द्र हल्दिया, एस० डी० ओ०, रायसिंहनगर व प्रशासक, नगरपालिका, श्रीविजयनगर।
6.	,, आनन्दप्रसाद, एस० डी० ओ०, पाली।
7.	,, हरिराम मीणा, एस० डी० ओ०, भीनमाल।
8.	,, चन्द्रप्रकाश, भूतपूर्व जिलाधीश, अलवर।
9.	,, जे० एम० खान, भूतपूर्व जिलाधीश, सिरोही।

———

(156)

परिशिष्ट--11

(अतारांकित प्रश्न सं० 237 की सूची)

क्रम सं०	कार्य का विवरण	लागत	विशेष विवरण
1.	III टाइप क्वार्टर	45,000/-	योजना में सिविल
2.	ई. टाइप क्वार्टर	36,750/-	कार्य की कुल लागत
3.	एच. टाइप क्वार्टर नागौर एवं मूण्डवा	80 000/-	8.81 लाख रुपये रखी गई है।
4.	तीन लाख गेलन क्षमता का स्वच्छ जलाशय	अभी तक 50,000/-	कार्य प्रगति पर है।

———

Copy of order no. F. 1 (3)/FD/Exp. III/74/1267 dated 21-10-75 issued by the Financial Commissionner and Secretary to Govt. Finance (Exp. III) Department, Rajasthan, Jaipur copy endorsed to Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Rajasthan Jaipur at. Sl. No. 6 and others.

Powers delegated to the officers in the Public Works, Department Building and Roads and Irrigation branches and P.H.E.D.

SECTION—V

(Temporary Establishment)

S. No.	Nature of Power	To Whom Delegated	Extent and conditions			Amended vide Govt. No. FD/Exp/III/74/108
65.	To create non-Gazetted posts on w/c establishment and to make appointments thereto, subject to availability of funds in the sanctioned estimates of the works concerned to meet the outlay.	Chief Engineer	Full powers, provided the maximum of the Pay scale of the posts does not exceed. Rs.	650/- P.M.	1100/-	27-6-77 w.e.f. 1-9-76
		Supdt. Engineer.	-do-	425/-	830/-	
		E.E./Horticulturist.	-do-	330/-	770/-	
		A.E./Supdt. of Gardens ..	-do-	90/-	330/-	

Note: —The delegation in col. 4 are subject to the condition that appointments are made in accordance with prescribed rules and the period for which the posts are created does not exceed the period shown in the sanctioned estimate.

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 240 की सूचना)

S. M. S. HOSPITAL, JAIPUR

	Machines	Year since lying idle	Repairable or not	Replacement	Approx. cost and Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Part of the Central Air Conditioning Plant 3 Compressors	1956	No	Yes	Rs. 5 lacs taken in the next year budget for its replacement/repairs.
2.	Eye Operation Air Conditioning Plant	1975	Yes	No	Rs. 12,000 estimate received and it shall be got repaired in the current year.
3.	K. Oil Autoclave in Operation Theatre	1960	No	Yes	Replacement demanded in the next year budget.
4.	2 Air Conditioner Children Ward	1970	No	Yes	New Air Conditioner required
5.	Part of the Laundry Machine Washers, Druges Stores Press	1975	No	Yes	Replaced with new Laundry in the current year.
6.	Kachara Waist burning machine	1957	No	Yes	New plant may be asked in the next year budget 0.50 lacks.

7.	ECG Machines Burdic Machine	1977	No	Yes	New machine according to the requirement may be got purchased.
8.	Verticle Type Non clogging Pumps 4 Nos.	1977	No	Yes	Rs. 1.25 lakhs required in the next year budget for their replacement. They were repaired by Water Works Deptt. and now only two are working.
9.	Steam Hot Water Bottles in Operation Theatre	1972	No	Yes	Rs. 0.50 lakhs are required for the old bottles replacement.
10.	Blanket (Woollon) Sterilizer Disinfector	1972	No	Yes	More than Rs. 0.50 lakhs are required for the replacement.
11.	Food Lift	1965	Yes	Yes	Replacement is desirable.

जनाना अस्पताल, जयपुर में मशीन व उपकरण खराब हैं, जिनकी सूची

क. स.	मशीन व उपकरण का नाम व संख्या	खराब होने की अवधि	लागत क्रय मूल्य	अनुमानित व्यय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	स्टीम बोयलर—एक सख्या 90386 व इसके सम्बन्धित उपकरण	विगत 10 वर्ष से खराब पड़ा है	—	—	यह क्रय राजस्थान राज्य बनने से पूर्व की गई थी जिनका विवरण चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है, यह सभी सामान अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है, अतः इसके मरम्मत में होने वाले अनुमानित व्यय का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
2.	लिफ्ट—एक	विगत 10 वर्ष से खराब पड़ी है	—	—	—यथा—
3.	स्टरलाईजर—एक	विगत 10 वर्ष से खराब है	—	—	—यथा—
4.	पम्प व मोटर 4½ होर्स–दो पावर	विगत 10 वर्ष से खराब है	—	—	यह राजस्थान बनने से पूर्व में क्रय की गई थी। इसे किसी अन्य काम में लिया

					जा सकता है। पूर्व में इस मोटर को उपयोग लोहे की टंकी में पानी भरने के काम में लिया जाता था परन्तु अभी चिकित्सालय में सिमेन्ट का टैंक वनने के बाद यहां के लिए अनावश्यक हो गयी है।
5.	फेरडिक करेन्ट—एक	विगत 10 वर्ष से खराब है	500-00	--	अनुपयोगी घोषित की जा चुकी है।
6.	वाशिंग मशीन—दो	,,	5000-00	—	,,
7.	एक्सरे प्लेट डवलपिंग मशीन—एक		2000-00	—	,,
8.	इलेक्ट्रिक प्लेट—एक		80-00	—	,,
9.	वाटर गीजर—दो		2000-00	—	राजस्थान राज्य वनने से पूर्व में क्रय किया गया था एवं अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है।
10.	किनोग्रेक्स एपरेटस—एक	,,	200-00	—	यथा

(162)

LIST OF UNSERVICEABLE SURPLUS ARTICLES (HEAVY MACHINES) OF ZENANA HOSPITAL, JAIPUR FOR THE YEAR 1976-77

S.No.	Particulars	Brief particulars as to quality make etc.	Quantity	Year of purchase	Purchase price	Circumstances under which rendered surplus/Unserviceable	Present condition of store i.e. wheather serviceable or unserviceable
1.	Steam Boiler No. 90386 and its all parts	Make Marshall sons & Co., (India) Madras	1 set.	State Time	Not known	After use	Unserviceable
2.	LIFT OLD	WAY GOOD CITIS	1 set.	,,	,,	,,	,,
3.	Motor with water pump 4½ H.P.	Metropolitan Amp. 6.5 3 phase Vott. 440/400 (Made in England)	2 set.	,,	,,	Surplus. Previously it was used for filling the water in iron tank which were fixed on the top of the hospital but it became surplus when the cemented tank has completed.	Serviceable
4.	Very old Sterlizer	The fulton Sylchen Co.	1	,,	,,	After use	Unserviceable.

(163)

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न सं० 244 की सूची)

सूची संख्या-1

गांगड़ी सिंचाई योजना के अन्तर्गत डूब में आने वाली जमीन का विवरण जिनको नकद में चुकारा कर दिया गया है

क्रम स०	नाम आसामी	ग्रा० न०	रकबा	लगान		रकम
				रु०	आना	
1	2	3	4	5	6	7
1.	देवा पिता पाला मावजी पिता नामजी	1	1/14	3	6	935.00
2.	मावजी पिता भेरा मीणा	1	1/14	3	6	1360.00
3.	आत्या पिता राधा मीणा	1	/2	8	2	20.00
4.	आकागोमा पिता वगता मीणा गंगा पिता लिम्बा	1	1/5	2	8	625.00
5.	आकलिया पिता वगता मीणा	10	9/4	17	2	4007.50
6.	उदीया पिता भीका मीणा दांतलिया	6	7/6	6	8	1751.50
7.	उकरिया पिता होगा मीणा फौत काबिज पाचिया पिता उकाडिया मीणा	6	6/11	4	0	1220.00
8.	कालिया पिता वगता मीणा	8	12	10	7	2959.50
9.	केवजी पिता कमला मीणा	5	2/19	10	2	2147.00
10.	कानिया अकालिया पिता वगता मीणा	4	3/19	2	3	676.50
11.	केवजी पिता कमला पाचीया पिता ऊंकार गोतमा दड़िया पिता भेरा	1	1/1	0	2	105.00
12.	केवजी पिता कमला मातिया दड़िया पिता भेरा तेजीया पिता आकाना	1	/2	—	—	4.00
13.	खातिया पिता पूजा मीणा	5	7/2	3	0	1240.00

(164)

1	2	3	4	5	6	7
14.	गांगला पिता लिम्बा मीणा	16	12/2	11	2	3128.00
15.	गांगला पिता लिम्बा थावरिया पिता नेगजी मीणा	3	3/9	6	12	1702.00
16.	गोतिया दडिया पिता भेरा हीरा तेजिया पिता रामा मीणा	1	/19	1	11	462.50
17.	गोतिया दडिया पिता भेरा	3	1/5	1	13	420.00
18.	तेजीया पिता रामा मीणा बातलिया	3	7/12	6	13	1792.50
19.	थावरा पिता नगजी मीणा बातलिया	2	2/4	3	2	787.50
20.	थावरा पिता वाला मीणा	8	8/11	7	9	2052.50
21.	थावरिया पिता वाला उदीया पिता कीका मीणा दातलिया	2	1/6	8	14	236.00
22.	देवला पिता भेरा मीणा	7	10/19	7	14	2360.00
23.	देवला कानिया पिता भेरा चमार	1	1/6	—	—	52.00
24.	देवली भगवान रकमीया पिता वाला	1	/1	—	—	2.00
25.	धर्मा पिता लखमा मीणा	7	6/11	10	1	2490.00
26.	नाथिया पिता कोदरा मीणा	3	7/10	6	—	1790.00
27.	पदमा पिता लाला मीणा	2	2/2	0	14	355.00
28.	पुरिया थावरा केशीमा कानिया पिता हुरजी	1	1/4	1	3	300.00
29.	भगवान पिता वाला मीणा	8	6/18	10	12	2775.00
30.	भेरा पिता भगन्ना मीणा	3	3/18	1	4	547.50
31.	मावजी नानजी केशीया पिता भेरा मीणा	8	11/14	17	1	440.00
32.	रकमीया पिता वाला मीणा	7	4/11	8	2	2135.00
33.	रामला भेरा पिता देवा	1	/12	—	—	4.00
34.	वातिया पिता कीका मीणा	1	1/10	0	6	375.00
35.	हुरजी पिता वाला मीणा	4	5/15	3	11	1221.00
36.	रामला पिता भेरा मीणा	13	13/1	8	1	2723.00
					कुल योग	49,170.00

सूची संख्या 2

गांगरी सिंचाई योजना के अन्तर्गत डूब में आने वाली जमीन का विवरण जिन्होंने अपने खातेदारी अधिकार सुरक्षित रखे

क्रम स०	नाम आसामी	ख़ा० नं०	लगान रु०	लगान आना	रकबा	
1.	रकबा पिता भेरू खेमा पिता पाचा मीणा, निवासी गांगरी	2	/7	0	4	
2.	पुजिया पिता देवा मीणा गांगरी	1	/4	0	1	—
3.	काना पिता रतना मीणा, गांगरी	1	/5	0	4	—
4.	खरतिया पिता निगल मीणा	1	/3	0	2	—
5.	मोतीया दतीया पुनिया पिता हिसा	2	1/7	4	14	—
6.	रूपा पिता रतना मीणा	2	/15	0	4	
7.	काना वाला पिता पदमा मीणा	1	/10	0	4	
8.	धरन पिता तेजी मीणा	1	/9	0	3	
9.	थूला पिता मेगा मीणा	1	/10	0	4	
10.	हरजी पिता भेरा मीणा	4	/9	0	2	
11.	रामला पिता रतना मीणा	1	/10	0	12	
12.	नन्दीया पिता वगता मीणा	1	/7	0	4	

सूची संख्या 3

गांगरी बांध के डूब में आये कुओं की सूची

क्र. स.	नाम आसामी मय वल्दीयत	ख़ा० न०	रकबा	रकम	वि० वि०
1	2	3	4	5	6
1.	तेजीया पिता रायगा मीणा, दांतलिया	115	/2	2477.00	
2.	खातिया पिता पूंजा देवा बिघू	194	/2	964.00	
3.	कवा पिता कमला, तेजा पिता रथा	189	/2	1618.00	
4.	रामला भेरा पिता देवा, भोजिया पिता दूदा	132	/2	1369.00	

(166)

1	2	3	4	5
5.	थावरा पिता पाला, उदोया लिकीकायी	154	/3	706.00
6.	कानीया आकनीया पिता वकता मीणा	32	/2	1377.00
7.	रामला देवा पिता भेरा मीणा	60	/2	1446.00
८.	मादजी, नानाजी, केरिया पिता भेरा मीणा	72	/2	1546.00
9.	खातू पिता पूंजा मीणा	112	/2	1377.00
			कुल देय मुआवजा....	12880.00

सूची संख्या 4

गांगरी सिंचाई योजना के अन्तर्गत डूब में आयी जायदाद, मकान का विवरण

क्र. स.	नाम आसामी मय वल्दीयत	मकान	रुपये
1.	रामा पिता देवा मीणा	1	266–00
2.	आकणिया पिता बिरजी	1	604–00
3.	काना पिता वगता मीणा	1	4734–00
4.	थावरा पिता वाला	1	197–00
6.	गांगा पिता लिम्बा	1	942–00
6.	वगता पिता लिम्बा	1	1268–00
7.	माना पिता लिम्बा	1	310–00
		कुल देय मुआवजा ...	8326–00

— — — —

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 248 की सूची)

सन् 1971 से अब तक निम्न अभ्यार्थियों को अंशकालीन विधि व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया है तथा उनके प्रति वर्ष के परीक्षा परिणाम उनके नाम के आगे अंकित हैं:—

क्रमांक	व्याख्याता का नाम	परीक्षा परिणाम		
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	2	3	4	5
		1971–72		
1.	श्री जी. एन. माथुर	97 प्रतिशत		
2.	,, पी. पी. गांधी	94 प्रतिशत		
3.	,, एस. चांद मोहम्मद	94 प्रतिशत		
		1972–73		
1.	श्री जी. एन. माथुर	69 प्रतिशत	100 प्रतिशत	
2.	,, पी. पी. गांधी	100 प्रतिशत	95 प्रतिशत	
		1973–74		
1.	श्री जी. एन. माथुर	94 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
2.	,, पी. पी. गांधी	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	96 प्रतिशत
3.	,, चांद मोहम्मद	92 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
		1974–75		
1.	श्री जी. एन. माथुर			
2.	,, वी. डी. जालान	71 प्रतिशत	88 प्रतिशत	89 प्रतिशत
3.	,, फतेहसिंह			
		1975–76		
1.	श्री जी. एन माथुर	73 प्रतिशत	86 प्रतिशत	87 प्रतिशत
2.	,, बी. एन. माथुर	74 प्रतिशत	85 प्रतिशत	95 प्रतिशत
3.	,, नवरंगलाल	82 प्रतिशत	90 प्रतिशत	95 प्रतिशत
4.	,, वी. डी. जालान	61 प्रतिशत	88 प्रतिशत	91 प्रतिशत

Page No 168

1	2	3	4	5
		1976–77		
1.	श्री बी. एन. माथुर	100 प्रतिशत	90 प्रतिशत	95 प्रतिशत
2.	,, जी. एन. माथुर	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	95 प्रतिशत
3.	,, बी. डी. जालान	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	92 प्रतिशत

———

परिशिष्ट—15

(अतारांकित प्रश्न सं० 251 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्र० सं०	नाम अध्यापक कार्यरत स्थान	पिता का नाम	जन्म तिथि	योग्यता	प्रशिक्षण योग्यता	विषय	नियुक्ति तिथि	वरिष्ठता क्रमांक	ग्रेड पाने की तिथि
384.	श्री शिवसिंह स० अ० रां० उ० प्रा० वि० पिचयाक	श्री मलाराम	12-7-21	विशारद 50	जे. टी. सी. 52		10-9-46	प्रमे 62	1-11-54
408.	श्री मदनलाल स० अ० रा० उ० प्रा० वि० खेजड़ला	श्री सोनीलाल	27-1-29	मध्यमा 43 विशारद 50	बी. एस. टी. सी. 56		3-11-48	प्रमे 104	1-10-56

जिला शिक्षा अधिकारी,
जोधपुर

Page No 170

(170)

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 254 की सूची)

नये विद्यालय खोलने/विषय खोलने के लिए मानदण्ड

(अ) प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये मानदण्ड

(1) 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित गांवों की ढाणियों की जन-संख्या 500 हो यदि ऐसे स्थान शेष न हों तो जन संख्या क्रमशः 400 तथा 300 भी ली जा सकती है।

(2) रेगिस्तानी तथा जनजाति वाले स्थानों में यदि 5 किलोमीटर में 500 की जनसंख्या उपलब्ध न हो तो 8 किलोमीटर में 250 अथवा 150 तक के लिए भी स्कूल खोला जा सकता है।

(3) उचित भवन की व्यवस्था पचायत समिति या स्थानीय जनता द्वारा हो।

(4) छात्रों के स्कूलों में कम से कम 25 छात्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 20 छात्र हों।

(5) ग्रामीण जनजाति व छात्राओं वाले स्कूलों में 15 विद्यार्थी होने पर ही शाला प्रारम्भ की जाय।

(6) दो या अधिक गांवों के बीच लगभग समान स्थिति हो तो शाला प्रारम्भ करते समय उस स्थान को प्राथमिकता दी जाये जहां भवन व्यवस्था तथा अध्यापक आवास व्यवस्था, नल, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध हो।

(7) जो स्कूल विद्यमान है यदि उसमें पर्याप्त छात्रायें हैं तथा वहां दूसरे स्कूल की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा भर्ती होने वाली लड़कियों की तादाद भी पर्याप्त हो तो वहां छात्रा स्कूल अलग से खोला जा सकता है अन्यथा सामान्यतः प्राइमरी स्कूल छात्र व छात्राओं दोनों के लिए एक ही होगा।

(ब) उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए मानदण्ड

	कक्षा 6 में छात्र संख्या	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1	2	3	4
1.	बालकों के लिये विद्यालय	40	30
	बालिकाओं के लिये विद्यालय	30	15
2.	कक्षा 3, 4, 5, में छात्र संख्या—		
	बालकों के विद्यालय	40	
	बालिकाओं के विद्यालय तथा जनजाति के विद्यालय	30	

1	2	3	4
	3. कक्षा 5 में छात्र संख्या—		
	बालकों के विद्यालय	12	
	बालिकाओं के विद्यालय तथा जनजाति क्षेत्र के विद्यालय।	10	

4. 5 किलोमीटर में रिक्त पोषक विद्यालयों की कक्षा 5 में (केवल बालकों के लिये, बालिकाओं के स्तर पर नहीं) 20 छात्र हों।
5. भवन व्यवस्था स्थानीय जनता द्वारा की जाय।
6. 5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा मॉडल स्कूल न हो।

(स) माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये मानदण्ड

1. कक्षा 6 से 8 तक कुल छात्र संख्या 60 तथा छात्राओं के लिये 50 हो।
2. उसी स्कूल की कक्षा 8 में 15 छात्र हों। 8 किलोमीटर स्थित अन्य स्थित पोषक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 8 में 30 छात्र हों।
3. बालिका विद्यालय के लिये उसी स्कूल की कक्षा 8 में 30 छात्र हों।
4. जिस जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय का अनुपात अधिक हो तथा राजस्थान के अनुपात से ऊंचा हो, वहां कक्षा 8 में 10 छात्र/छात्रा होने पर भी माध्यमिक विद्यालय के लिये विचार किया जावे।
5. छात्र संख्या का प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।
6. कक्षा 9, 10 के लिये एवं पुस्तकालय, वाचनालय के लिये नये तीन कमरे 20-25 के नाप के हों। अन्य कक्षाओं के लिये छात्रों की खण्डवार छात्र संख्या को देख कर मौजूदा कमरों को पर्याप्त माना जा सकता है। नए कमरे जो भी बनाये जावें, वे 20 × 25 के होने चाहियें।
7. बड़े शहरों के लिये जिला शिक्षा अधिकारी वहां की आवश्यकता देखते हुए पूर्ण विवरण देकर अपने प्रस्ताव भेजेंगे।
8. छात्रों के स्कूल के लिये निकटतम सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर से कम न हो।
9. स्कूल खोलने की जो अनुशंसा की जावे उसमें छात्रों की संख्या का जो स्टेटमेंट भेजें वह कक्षावार होना चाहिये।

(172)

(द) नए विषय खोलने के लिये मानदण्ड

(क) वर्ग खोलने के लिये

	बालक	बालिका
(1) विद्यालयों में दूसरा वर्ग खोलने के लिये कक्षा 9 में न्यूनतम छात्र संख्या ।	40	30
(2) तीसरा वर्ग ।	70	60

(ख) एक वर्ग में नया विषय खोलने का स्तर

चौथा विषय खोलने के लिये कक्षा 9 में कुल छात्र	35
पांचवा विषय खोलने के लिये कक्षा 9 में कुल छात्र	50
छटा विषय खोलने के लिये कक्षा 9 में कुल छात्र	60
सातवां विषय खोलने के लिये कक्षा 9 में कुल छात्र	90

आवश्यक:–जो विषय खोला जा रहा है उसे कक्षा 9 में न्यूनतम 10 छात्र होने पर ही विषय प्रारम्भ किया जाय । किन्तु निम्नांकित विषयों में छात्र संख्या कम हो सकती है ।

संस्कृत	—	6
अंग्रेजी	—	6
गणित	—	6 (केवल बालिकाओं के लिये)
गृह विज्ञान	—	6 (केवल बालिकाओं के लिये)

———